खण्ड–27, अंक–03
बुधवार, 02 पौष, शक संवत्, 1931
(23 दिसम्बर, 2009 ई०)

उत्तराखण्ड विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(द्वितीय विधान सभा)
(तृतीय सत्र, 2009)

उत्तराखण्ड विधान सभा

(खण्ड 27 में 04 अंक हैं)

उत्तराखण्ड विधान सभा, सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तराखण्ड (भारत)
2012

मूल्य–

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थिति	'क'
प्रश्नोत्तर	1–60
नियम–300 के अन्तर्गत सूचनाएं	60
चीनी उद्योग की सहकारी व सरकारी मिलों के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता मूल वेतन में समायोजित करने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	60–61
राज्य में ए0डी0बी0 योजना के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार में चतुर्थ एवं पंचम चरण के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण हेतु चयन किये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	61
जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2008–2009 एवं 2009–2010 में एस0सी0पी0 योजना के अन्तर्गत कोई स्वीकृति जारी नहीं किये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	61–62
जनपद टिहरी गढ़वाल के ग्राम पिलखी में बिजली के झुके तारों के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	62
श्री हंस महाराज राजकीय इण्टर कालेज पोखड़ा के जीर्ण–शीर्ण भवन का पुनर्निर्माण–जीर्णोद्धार किये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	62
जनपद टिहरी गढ़वाल एवं उत्तरकाशी में निवासरत जौनपुरी एवं रवांल्टा समुदाय को पिछड़ी जातियों को केन्द्रीय सूची में शामिल किये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना ...	63
जनपद टिहरी गढ़वाल के धनोल्टी नागटिब्बा जीप मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करते हुए लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना ...	63–64
कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश (स्वीकृत)	64–66

विषय	पृष्ठ–संख्या
नियम–310 के अन्तर्गत कतिपय विषयों को सुने जाने की मांग ...	66–69
कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	69–74
गन्ना मंत्री द्वारा घोषित गन्ने के मूल्यों और किसानों को दिये जा रहे मूल्यों में अन्तर पर श्री तिलक राज बेहड़ द्वारा उठाया गया व्यवस्था का प्रश्न	74–102
वित्तीय वर्ष 2009–10 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान:–	
अनुदान संख्या–03 मंत्रिपरिषद, अनुदान संख्या–04 न्याय प्रशासन, अनुदान संख्या–06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन, अनुदान संख्या–07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें, अनुदान संख्या–08 आबकारी, अनुदान संख्या–10 पुलिस एवं जेल, अनुदान संख्या–11 शिक्षा, खेल, एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति , अनुदान संख्या–12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण, अनुदान संख्या–13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास, अनुदान संख्या–14 सूचना, अनुदान संख्या–15 कल्याण योजनाएं, अनुदान संख्या–16 श्रम और रोजगार, अनुदान संख्या–17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान, अनुदान संख्या–18 सहकारिता, अनुदान संख्या–19 ग्राम्य विकास, अनुदान संख्या–20 सिंचाई एवं बाढ़, अनुदान संख्या–21 ऊर्जा, अनुदान संख्या–22 लोक निर्माण, अनुदान संख्या–23 उद्योग, अनुदान संख्या–24 परिवहन, अनुदान संख्या–25 खाद्य, अनुदान संख्या–26 पर्यटन, अनुदान संख्या–27 वन, अनुदान संख्या–28 पशुपालन, अनुदान संख्या–29 औद्योगिक विकास, अनुदान संख्या–30 अनुसूचित जातियों का कल्याण, अनुदान संख्या–31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण (स्वीकृत)	102–110
उत्तराखण्ड विनियोग (2009–10 का अनुपूरक) विधेयक, 2009 (पुरःस्थापित एवं पारित)	110–114
उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक,2009 (पारित)	114–123
प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदन इक्फाई विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 (संशोधन) विधेयक, 2009 (पारित)	123–126

विषय	पृष्ठ–संख्या
प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित देव संस्कृति विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2009 (पारित)	127–128
प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित हिमगिरी नभ विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी इन द स्काई) अधिनियम, 2003 (संशोधन) विधेयक, 2009 (पारित)	128–130
प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित पतंजलि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 (संशोधन) विधेयक 2009 (पारित)	130–132
प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित पेट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 (संशोधन) विधेयक 2009 (पारित)	133–135
उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के निवासियों को जाति प्रमाण–पत्र लेने में आ रही परेशानियों के सम्बन्ध में श्री प्रेमानन्द महाजन, श्री तिलक राज बेहड़ एवं डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गई सूचना पर नियम–54 के अन्तर्गत चर्चा (समाप्त)	135–152
नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं	152
राज्य में शिक्षा विभाग में कार्यरत् उत्तर प्रदेश के विकल्पधारी शिक्षकों को उनके मूल स्थान में भेजने के सम्बन्ध में श्री यशपाल बेनाम, सदस्य , विधान सभा द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर शिक्षा राज्य मंत्री का वक्तव्य	153
राज्य के जनपद अल्मोड़ा के देघाट नामक स्थान में निर्माणाधीन उच्च स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण की धीमी गति से उत्पन्न जनाक्रोश के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	153–155
नत्थियाँ	156–166

'क'

उपस्थिति

1—श्री अजय टम्टा
2—श्री अरविन्द पाण्डे
3—श्री अनिल नौटियाल
4—श्रीमती अमृता रावत
5—श्रीमती आशा
6—श्री ओम गोपाल
7—श्री करन मेहरा
8—श्री किशोर उपाध्याय
9—श्री केदार सिंह रावत
10—श्री केदार सिंह फोनिया
11—श्री खजान दास
12—श्री खड़क सिंह बोहरा
13—श्री गगन सिंह
14—श्री गणेश जोशी
15—श्री गोपाल सिंह
16—श्री गोपाल सिंह रावत
17—श्री गोविन्द लाल
18—श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल
19—श्री गोविन्द सिंह बिष्ट
20—श्री चन्दन राम दास
21—श्री जोगाराम टम्टा
22—श्री जोत सिंह गुनसोला
23—हाजी तस्लीम अहमद
24—श्री तिलक राज बेहड़
25—श्री दिनेश अग्रवाल
26—श्री दिवाकर भट्ट
27—श्री दिवान सिंह
28—श्री नारायण पाल
29—श्री पुष्पेश त्रिपाठी
30—श्री प्रकाश पन्त
31—कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"
32—श्री प्रीतम सिंह
33—श्री प्रेम चन्द अग्रवाल
34—श्री प्रेमानन्द महाजन
35—श्री बलवन्त सिंह भौर्याल
36—श्री बलवीर सिंह नेगी
37—श्री बिशन सिंह चुफाल
38—श्री बंशीधर भगत
39—श्री बृज मोहन कोटवाल
40—श्री शेर सिंह गढ़िया
41—मे0ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी ए0वी0एस0एम0
42—श्री मदन कौशिक
43—श्री मनोज तिवारी
44—श्री मयूख सिंह
45—श्री महेन्द्र सिंह माहरा ''मद्दू भाई''
46—श्री मातबर सिंह कण्डारी
47—श्री कुलदीप कुमार
48—श्री यशपाल आर्य
49—श्री यशपाल बेनाम
50—चौ0 यशवीर सिंह
51—श्री रणजीत रावत
52—डा0 रमेश पोखरियाल'निशंक'
53—श्री राजकुमार
54—श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी
55—श्री राजेश उर्फ राजेश जुवांठा
56—श्रीमती विजय बड़थ्वाल
57—श्री विजय सिंह (गुड्डू पंवार)
58—श्रीमती वीना महराना
59—श्री शहजाद
60—डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल
61—श्री शैलेन्द्र सिंह रावत
62—श्री सुरेन्द्र राकेश
63—श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
64—श्री सुरेश चन्द जैन
65—डा0 हरक सिंह रावत
66—श्री हरभजन सिंह चीमा
67—श्री हरिदास
68—श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत

बुधवार, दिनांक 23 दिसम्बर, 2009 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा–मण्डप, देहरादून में दिन के 11:00 बजे अध्यक्ष श्री हरबंस कपूर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित प्रश्न

सरकार द्वारा गन्ने के मूल्य में वृद्धि पर विचार

**1– कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

क्या गन्ना मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश में वर्तमान में चीनी का भाव रू0 4000 से 4200 प्रति कुन्तल है ?

क्या राज्य सरकार द्वारा गन्ने का मूल्य अपेक्षाकृत बहुत कम घोषित (रू0 215 सामान्य एवं रू0 220 अगेती प्रजाति) कर दिये जाने से कृषकों को आर्थिक हानि हो रही है ?

क्या सरकार जनहित में गन्ने के मूल्य में समानुपातिक वृद्धि कर मूल्य रू0 245 प्रति कुन्तल सामान्य तथा रू0 250 प्रति कुन्तल (अगेती प्रजाति) घोषित करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

चीनी, उद्योग मंत्री (श्री मदन कौशिक)–

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान निर्धारित गन्ना मूल्य राज्यों में सबसे अधिक एवं लाभकारी मूल्य है।

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि गन्ने की फसल को जो चीनी मिलों में ले जाया जाता है उसकी रिकवरी का क्या प्रतिशत आंका गया है ? कितने प्रतिशत रिकवरी उसमें से है और सरकार प्रति कुन्तल गन्ने का क्या रेट दे रही है और प्रति कुन्तल चीनी मिल को कितना रुपया पड़ रहा है?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, इससे उसका क्या सम्बन्ध हुआ? माननीय सदस्य जो पूछ रहे हैं इसका मूल प्रश्न से क्या सम्बन्ध है ? माननीय सदस्य ने जो पूछा उसका सीधा सा उत्तर लिखा हुआ है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी का जवाब तो आने दीजिए।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, आपने कहा कितना पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है। दो चीज हैं। इन्होंने पूछा क्या वर्तमान में चीनी का रेट 4000 से 4200 प्रति कुन्तल है। हमने कहा 'जी हाँ'। क्या राज्य सरकार ने कम घोषित किया, हमने उत्तर दिया, 'जी नहीं'। क्या 250 रूपये देंगे, हमने उत्तर दिया 'जी नहीं'। माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न का सीधा सा उत्तर है। (व्यवधान)

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, हमने प्रतिशत पूछा है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं। बात तो पूरी कह लेने दीजिए। प्रतिशत भी शायद इसी में बता दें।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, आपने पूछा कि चीनी के दाम क्या हैं, हमने कितना रुपया घोषित किया है वह मैंने बताया है और आपने कहा कि क्या 250 रूपये प्रति कुन्तल देंगे। हम लोगों ने 215–220 दिया है। आपने पूछा है, वह हम लोगों ने इन्सेन्टिव सहित घोषित किया है। 192 और 197 जो राज्य सरकार ने मिनिमम प्राइज था वह दिया है। वह मिनिमम प्राइज देने के पीछे राज्य सरकार का जो एक मत है कि गन्ना बोर्ड पहले होता था राज्यों के अन्दर, वह हमारे यहाँ नहीं है। गन्ना बोर्ड का हमारे यहाँ गठन नहीं हुआ। गन्ना बोर्ड का गठन तत्कालीन उत्तर प्रदेश में हुआ था, तब हमने गन्ने का मूल्य निर्धारित करने के लिए कि गन्ना मूल्य कैसे निर्धारित करेंगे..........।

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, बड़ा प्वांइटेड प्रश्न है गन्ने का निर्धारण आप रिकवरी से करेंगे कि गन्ने में से कितने प्रतिशत चीनी मिलती है। जितनी चीनी मिलती है उस आधार पर आप मूल्य निर्धारित करते हैं। यदि चीनी के प्रतिशत में और किसान को दिये गये पैसे में इतना बड़ा फर्क होगा मुनाफे का तो क्या यह न्यायोचित है? समानुपातिक अनुपात में पैसा दिया जाना चाहिए।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, जो गन्ने के मूल्य का निर्धारण होता है वह तीन–चार चीजों पर बेस्ड होता है। मान्यवर, इसमें हाईकोर्ट के आदेश से कमेटी का गठन हुआ। उस कमेटी में जो एक्सपर्ट लोग थे, उनमें (व्यवधान)

(व्यवधान के मध्य)

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, आप प्रश्न की तैयारी करके आये ही नहीं हैं।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, नाम तो देखके बताना पड़ेगा, आप सुनते तो सही। मान्यवर, डा0 बी0के0 सिंह, डीन, कृषि व्यवसायिक प्रबन्धक निदेशक, पन्तनगर विश्वविद्यालय (व्यवधान)

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, ये नहीं पूछ रहा हूँ केवल आप रिकवरी तो बता दें। हमें इतिहास में नहीं जाना है और न ही पी0एच0डी0 करनी है। (व्यवधान के मध्य)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, वर्तमान समय में जो रिकवरी चल रही है वह 8.50 प्रतिशत से 9 प्रतिशत तक है। गन्ने का मूल्य निर्धारण 9 प्रतिशत पर करते हैं, 10 प्रतिशत नहीं है। वैसे जो गन्ने के मूल्य का निर्धारण एक्सपर्ट ने किया, वह 9 प्रतिशत पर किया है।

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, 9 प्रतिशत के रेट पर रिकवरी क्या होनी चाहिए वह भी बता दें? (व्यवधान के मध्य)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, रिकवरी का जो रेट निश्चित है वह 190 से 192 तक का है। (व्यवधान के मध्य)

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, चीनी मिल को एक कुन्तल में 9 प्रतिशत के हिसाब से कितना रेट मिलता है ?

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय प्रणव जी, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, सुनने के लिए तैयार ही नहीं हैं।(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

यदि आप आपस में ही बातचीत करेंगे तो कैसे होगा।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन हुआ जिसमें डा0 बी0के0 सिंह, डा0 अजय शर्मा, किसान प्रतिनिधि श्री सतपाल राणा, जे0एस0 कौरया (व्यवधान के मध्य)

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, इस कहानी को सुन के क्या करेंगे, आप प्रश्न से भटक रहे हैं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य जी, आप विद्वान हैं। यदि आप सुनेंगे नहीं तो कैसे उत्तर आ पायेगा। अगर आप आपस में ही बात–चीत करते रहेंगे तो आपके प्रश्न का जवाब नहीं आ पायेगा। माननीय मंत्री जी, प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, अगर उसमें कोई कमी होती है तो उसमें बतायें। माननीय मंत्री जी, संक्षेप में उत्तर दें जो माननीय सदस्य ने पूछा है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, गन्ने का मूल्य रूपया 190 से 192 पर 9 प्रतिशत के हिसाब से किया है। हमारे यहाँ रिकवरी बेस मूल्य का निर्धारण नहीं किया जाता है। साउथ में ऐसा होता है चूंकि वहां पर कॉपरेटिव समिति हैं और निजी मिलें हैं। वहां एक बेस मानते हैं, जैसा भारत सरकार ने कहा है कि 129 रूपये मूल्य पर देना है वह अव्यवहारिकता है। गन्ने के मूल्य को राज्य अपने हिसाब से निर्धारित करता है रिकवरी बेस नहीं होता है। वह पूरे सीजन के लिए होता है। हमारे यहाँ बेस मूल्य के हिसाब से रेट निर्धारण नहीं किया जाता है। हमने एक बेस मानकर पूरे एक्सपर्ट कमेटी ने एक रिपोर्ट के आधार पर हमने मूल्य 190–195 और दो रूपये बढ़ाकर 192–197 तक कर दिया है।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया कि एक कुन्तल गन्ने में 9 किलो चीनी बनती है। इसे हिसाब लगायें तो 360 मूल्य के हिसाब से बाजार में चीनी बेची जाती है। लेकिन इन्होंने 330 के हिसाब से बेची, बाजार से 30 रू0 किलो सस्ती बेची है। मैं बधाई देना चाहता हूँ। (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, रूपया 300 की चीनी बिकी और गन्ने का रेट 220 रूपया, पेरने की लागत माननीय मंत्री जी बता दें, जो शीरा बनता है जो एक्सेस एसेसरीज है वह बच रही है उसकी लागत बता दें। माननीय मंत्री जी भटका रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप अपनी बात बतायें।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, कहने के लिए न तो कांग्रेस के पास कुछ है और न ही बसपा के पास कुछ है। मान्यवर, यह हर चीज पूछें, हमारे पास सबका जवाब है, इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय मंत्री जी, आज 20 तारांकित प्रश्न लगे हैं जिनका उत्तर आना है और अगर ऐसे उत्तर दिया जायेगा तो बहुत समय लगेगा। इसलिए आप स्पेसिफिक आन्सर दीजिए। माननीय मंत्री जी, आपसे कह रहा हूँ कि आप पद के उत्तर दीजिए।

(घोर व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, अभी जैसाकि माननीय सिंघल जी ने कहा कि गन्ना बनाने में ऑरेशन ऑफ कास्ट निकालते है, मैटेरियल ऑफ कॉस्ट निकालते हैं, इनट्रस्ट एण्ड वर्किंग कैपिटल, इन्ट्रस्ट ऑफ कैपिटल सब टोटल उनका करते हैं और 20 प्रतिशत किसान का प्रोफिट निकाल कर यह सब सारा हम निकालते हैं उसके बाद गन्ने का रेट निकाला और उसमें 2 रूपये बढ़ाकर 192–97 रूपया कर दिया।

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, कृपया किच्छा शुगर मिल की रिकवरी गत वर्ष कितनी थी, बता दें।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, रिकवरी बेस मूल्य निर्धारित नहीं होता। एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट आई, पूरे साल का रेट हुआ अब आप किच्छा की रिकवरी पूछ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

श्री प्रणव जी, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, यह इससे सम्बन्धित नही है लेकिन फिर भी बता देते हैं कि किच्छा की पिछले वर्ष की रिकवरी थी 9.4 प्रतिशत। [XXX]

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। जो माननीय मंत्री जी ने टिप्पणी की है उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री प्रेम चन्द अग्रवाल–

मान्यवर, सबसे पहले तो मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूँ कि इस सरकार ने हिन्दुस्तान में अपने प्रदेश में सबसे ज्यादा गन्ने का मूल्य किया है। (व्यवधान) मान्यवर, मेरा सवाल माननीय मंत्री जी से यह है कि जो गन्ना मूल्य रूपये 192 और 197 देने की आपने घोषणा की है तो क्या किसानों को इसके साथ कोई बोनस भी सरकार देगी?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, सरकार ने 192 और 197 गन्ने का मूल्य घोषित किया है और 215 एवं 220 के बीच का जो अन्तर है उसका बोनस किसानों को दिया जायेगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, भारत सरकार ने इस बार जो गन्ने का मूल्य घोषित किया है वह 129 रूपया है और भारत सरकार ने कहा कि इससे ज्यादा कोई राज्य डिक्लेयर करेगा तो उस राज्य को देना पड़ेगा, इससे बहुत बड़ा आन्दोलन पूरे देश में हुआ, बाद में भारत सरकार को अपना अध्यादेश वापस लेना पड़ा, इसमे संशोधन करना पड़ा तब उसके बाद राज्यों ने अपना मूल्य घोषित किया और यहाँ पर सबसे ज्यादा घोषित किया।

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि जब चीनी मिलें एक कुन्तल चीनी पर डेढ सौ रूपया मुनाफा कमा रही है, प्रश्न यह है कि जब एक कुन्तल गन्ने पर 360 रूपये चीनी मिल कमा रही हैं और उनको 220 रूपया दे रहे हैं डेढ सौ रूपये का फर्क है तो क्यों 30 रूपया नहीं बढाती ?

नोट–[XXX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, इस समय जो रेट राज्य सरकार ने किया है वह हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा है, अनेक राज्यों में कांग्रेस की सरकार भी है, बसपा की भी सरकार है और यहाँ पर सबसे ज्यादा किया है, उसके बाद मिलों को हमने कहा है कि जिस प्रकार से चीनी के रेट बढ़ते हैं और देने की स्थिति में हो तो बोनस दिया जा सकता है और उस आधार पर 215 दिया।

प्रदेश की सस्ते गल्ले की दुकानों से राशन का वितरण

**2– श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या खाद्य मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश की सस्ते गल्ले की दुकानों से विगत तीन माह से राशन की बिक्री लगभग बन्द है?

यदि हाँ, तो यह स्थिति उत्पन्न होने के क्या कारण हैं ?

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री दिवाकर भट्ट)–

विगत तीन माहों में राज्य के सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों से उपभोक्ताओं को निम्नानुसार खाद्यान्न एवं चीनी का वितरण किया गया है:–

माह	खाद्यान्न	चीनी
सितम्बर,09	308159.517	38913.00
अक्टूबर,09	321873.326	13803.00
नवम्बर	350320.281	2915.00

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि आपने सवाल का जवाब में उत्तर दिया है कि विगत 3 माह में वितरण किया गया, मेरा पहला सवाल यह है माननीय मंत्री जी से कि वितरण के सापेक्ष।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, इसमें उत्तर ही गलत है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठ जायें, मैं आपको भी अवसर दूँगा।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने प्रश्न किया था कि 'सस्ते गल्ले की दुकानों में विगत तीन माह से राशन की बिक्री लगभग बन्द है' इसमें इन्होंने उत्तर नहीं दिया है और न तो 'हाँ' में और न ही 'नहीं' में दिया है, इन्होंने कहा कि वितरण किया जा रहा है तो यह उत्तर बिल्कुल गलत है। माननीय अध्यक्ष जी, इसके साथ–साथ मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि वितरण तो इन्होंने बता दिया है और वितरण बताने के साथ–साथ मैं यह जानना चाहता हूँ कि वितरण के सापेक्ष कितना खाद्यान्न और चीनी उत्तराखण्ड को आवंटित की गई, यह मैं जानना चाहता हूँ।

श्री दिवाकर भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने पूछा था कि क्या 3 महीने से खाद्यान्न आपूर्ति हुई है या बन्द है, आपका प्रश्न है कि बन्द है।

मान्यवर, ऐसी कोई शिकायत पूरे राज्य के अंदर प्राप्त नहीं हुई है कि कहीं कोई दिक्कत हुई हो। मान्यवर, राज्य सरकार की ओर से आवंटित किया गया है यह उत्तर में दिया है। यदि कोई ऐसी शिकायत हो तो बतायें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, जो प्रश्न अनुपूरक के रूप में माननीय सदस्य द्वारा किया गया है, उसका पहले उत्तर दे दें। (व्यवधान)

मैं सभी माननीय सदस्यों को बोलने का मौका दूंगा। आप वरिष्ठ सदस्य हैं आप जानते हैं कि जो माननीय सदस्य मूल प्रश्न पूछता है, उसे पहले प्रश्न पूछने का मौका दिया जाता है।

श्री दिवाकर भट्ट–

मान्यवर, केन्द्र सरकार की ओर से राज्य सरकार को जो खाद्यान्न आवंटित किया गया है, उसका मैं विवरण दे रहा हूँ। आपने प्रश्न किया कि कितना खाद्यान्न केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को आवंटित किया गया है?

श्री अध्यक्ष–

माननीय सुरेन्द्र राकेश जी, एक बार फिर प्रश्न करें।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि वितरण के सापेक्ष कितना खाद्यान्न और चीनी का आवंटन उत्तराखण्ड सरकार को केन्द्र से आवंटित होना चाहिए था? मेरा दूसरा प्रश्न है जैसा कि माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि किसी भी जनपद से सरकार को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। इस सम्बन्ध में जानना चाहता हूँ कि पिछले

तीन महीने से हरिद्वार जनपद को एक भी चीनी का दाना नहीं बांटा गया है। मंत्री जी बतायें कि विगत तीन महीनों सितम्बर, अक्टूबर और नवम्बर माह में हरिद्वार जनपद को चीनी आवंटित की गयी है या नहीं और उसका वितरण किया गया है या नहीं?

श्री दिवाकर भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य का प्रश्न केवल हरिद्वार जनपद से सम्बन्धित है, जबकि मैंने उत्तर पूरे प्रदेश के सम्बन्ध में दिया है। (व्यवधान)

श्री तिलक राज बेहड़–

माननीय अध्यक्ष जी, यही बहुत बड़ी बात है कि वे सदन में प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। नहीं तो अभी तक अक्सर कहते थे कि मेरा स्वास्थ्य खराब है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं आ रहा है। सदन का समय खराब किया जा रहा है। आज वितरण पूरे उत्तराखण्ड में नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

श्री मनोज तिवारी–

माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है, इसलिए इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाय। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, मेरा प्रश्न है कि केन्द्र से हरिद्वार जनपद के लिए कुल कितना आवंटन किया गया है, यह बता दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री दिवाकर भट्ट–

मान्यवर, हरिद्वार जनपद को कुल कितना आवंटन हुआ है, इसका उत्तर मैं दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सुरेन्द्र राकेश जी, आपका उत्तर आ गया है।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, अभी पूरा उत्तर नहीं आया है, मेरा अनुरोध है कि इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाय। (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य पहले ध्यान से उत्तर तो सुन लें। (व्यवधान)

श्री दिवाकर भट्ट–

मान्यवर, केन्द्र सरकार से जो जिलों को आवंटित हुआ है। उसे मैं बता रहा हूँ। मान्यवर, हरिद्वार जनपद को जो आवंटन हुआ है वह अभी तक 1337 मैट्रिक टन तीन महीनों में हुआ है।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, मैंने चीनी के बारे में पूछा है। (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, आपने राशन के बारे में पूछा है।

(सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, राशन में चीनी भी आती है। (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी बता तो रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, मैं इनसे नहीं पूछ रहा। मैं तो माननीय खाद्य मंत्री जी से पूछ रहा हूँ। (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, आप केवल इन्हीं के संरक्षक नहीं हैं। आप हमारे संरक्षक भी हैं। (व्यवधान) सरकार के भी संरक्षक हैं।

श्री अध्यक्ष–

मैंने आपको अनुमति नहीं दी है बोलने के लिए। माननीय मंत्री जी उत्तर देने के लिए खड़े हैं। (व्यवधान) मंत्री जी की बात तो आने दीजिए। (व्यवधान) आपस में ही बात करते रहेंगे।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, मैंने चीनी के बारे में पूछा है। (व्यवधान)

श्री दिवाकर भट्ट–

मान्यवर, हरिद्वार में 1272 मीट्रिक टन चीनी दी गयी है। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है, उसका जवाब ही गलत है। जो जवाब आपने लिखित में दिया है, उसमें कहीं पर भी नहीं लिखा है कि खाद्यान्न मीट्रिक टन में है, कुन्तल में है या किलो में है, यह क्या है? (व्यवधान)

श्री दिवाकर भट्ट–

मान्यवर, मीट्रिक टन में है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाह रहा हूँ कि प्रदेश में सस्ते गल्ले की दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को कुल कितने मीट्रिक टन गेहूँ, कुल कितने मीट्रिक टन चावल और कुल कितने मीट्रिक टन चीनी का आवंटन किया जाता है? क्या भारत सरकार से वह पूरा मिल रहा है? यदि नहीं मिल रहा तो उसके लिए प्रदेश सरकार ने क्या व्यवस्था की है? (व्यवधान)

श्री दिवाकर भट्ट–

मान्यवर, माननीय सदस्य द्वारा जो प्रश्न पूछा गया है, वह ए0पी0एल0 या बी0पी0एल0 किसके लिए पूछा गया है? मैं किसका बताऊँ, ए0पी0एल0 का या बी0पी0एल0 का या सबका बता दूँ?

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, वैसे तो मैं पूरे की जानकारी चाह रहा हूँ लेकिन बी0पी0एल0 और अन्त्योदय का राशन तो पूरा का पूरा भारत सरकार से मिलता है। मैं जानना चाहता हूँ कि ए0पी0एल0 में कितने मीट्रिक टन की आवश्यकता प्रदेश सरकार को है? जितने की आवश्यकता है, क्या भारत सरकार से उतना आवंटन हो रहा है, यह माननीय मंत्री जी बता दें।

श्री दिवाकर भट्ट–

मान्यवर, राज्य की आबादी के हिसाब से हमको लगभग 18 हजार मीट्रिक टन की आवश्यकता होती है। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, यह लगभग में नहीं होता। (व्यवधान)

श्री दिवाकर भट्ट–

मान्यवर, लगभग हटा दीजिए। (व्यवधान) मान्यवर, 2005 में 18000 मीट्रिक टन गेहूँ मिला था, 2007 में यह 16000 मीट्रिक टन हो गया।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, आवश्यकता कितनी थी?

श्री दिवाकर भट्ट–

मान्यवर, आवश्यकता 18 हजार मीट्रिक टन की थी और है, (व्यवधान) मान्यवर, मैंने माननीय सदस्यों से अनुरोध किया है कि मेरी पूरी बात सुन लें। इस समय आबादी के हिसाब से, जो आबादी बढ़ी है 2000 से अब तक, उसके अनुसार 18 हजार मीट्रिक टन की आवश्यकता है। इस समय हमको 16000 मीट्रिक टन गेहूं मिलता है और (व्यवधान)

श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि हरिद्वार जनपद में कार्ड धारकों के लिये विगत तीन महीनों सितम्बर, अक्टूबर और नवम्बर के लिये कितनी चीनी की आवश्यकता थी और कितना वितरण किया गया?

श्री दिवाकर भट्ट–

मान्यवर, हरिद्वार में 91.8 मीट्रिक टन चीनी की आवश्यकता थी और 2.6 मीट्रिक टन का वितरण किया गया।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, मेरा प्रश्न यही तो था कि क्या वहां पर बिक्री लगभग बन्द है, तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि बिक्री बन्द नहीं है। हरिद्वार जनपद में पिछले तीन महीनों से एक भी गांव को चीनी नहीं मिल रही है, इसका मतलब बिक्री बन्द होना ही तो हुआ।

श्री दिवाकर भट्ट–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने दुकानों पर बिक्री बन्द होने की बात की थी।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय शहजाद जी, एक बार फिर से प्रश्न पूछ लें।

श्री शहजाद–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ, इस 2.6 मीट्रिक टन चीनी का वितरण किन–किन गांवों में और किन–किन ब्लाकों में हुआ है?

श्री दिवाकर भट्ट–

मान्यवर, प्रश्न बहुत विस्तीर्ण है, इसका उत्तर अभी नहीं दिया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष–

यह तो विस्तृत प्रश्न है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री शहजाद–

मान्यवर, इन तीन महीनों में हरिद्वार के किसी गांव में चीनी मिली ही नहीं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, चीनी के बारे में बता दीजिये।

श्री दिवाकर भट्ट–

मान्यवर, यदि नवम्बर के महीने को छोड़ दें, तो हमें बहुत कम चीनी मिली है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

जब माननीय मंत्री जी आपको बताने के लिये खड़े होते हैं तो आप लोग उन्हें सुनते ही नहीं हैं। माननीय मंत्री जी, एक बार और बता दीजिये।

श्री दिवाकर भट्ट–

मान्यवर, तीन महीने से भारत सरकार की ओर से हमें चीनी उपलब्ध नहीं हुई है।

श्री रणजीत रावत–

मान्यवर, प्रश्न का उत्तर तो आया ही नहीं है, इसलिये इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाय।

(बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी–अपनी बात कहने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री अध्यक्ष–

जब माननीय मंत्री जी आपको बता रहे हैं तो आप लोग उनको सुनने को तैयार

नहीं हो रहे हैं, कृपया स्थान ग्रहण करें।

(कई माननीय सदस्यों के साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण ऐसे किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आ पायेगा, जैसे आप चाह रहे हैं। आपने प्रश्न किया, माननीय मंत्री जी बोले नहीं और आप पहले ही बोलने लगते हैं। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, सवाल यह है कि हरिद्वार जनपद में गत तीन महीने में चीनी का वितरण हुआ या नहीं, यह मैं जानना चाहता हूँ। (व्यवधान)

श्री दिवाकर भट्ट–

मान्यवर, मैं हरिद्वार की बात कर रहा हूँ। इन तीन महीनों में 2.6 मीट्रिक टन हरिद्वार में चीनी का वितरण हुआ है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, एक भी दाना चीनी का नहीं दिया गया है, आप इसका परीक्षण करवा लें। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

स्थगित तारांकित प्रश्न

उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 2005 के नियम 40(2) के अन्तर्गत प्रथम बुधवार हेतु स्थगित तारांकित प्रश्न

जनपद ऊधमसिंह नगर में जलाशयों हेतु सिंचाई विभाग को दी गयी भूमि का विवरण एवं अवशेष भूमि का भूमिहीन खेतीहर मजदूरो में वितरण

*1–श्री प्रेमानन्द महाजन–

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला ऊधमसिंह नगर में स्थित बेगुल डाम, नानक सागर, तुमडिया बौर आदि जलाशयों हेतु राजस्व विभाग द्वारा सिंचाई विभाग को कितनी एकड़ भूमि दी गयी थी?

क्या मंत्री जी अवगत हैं कि जलाशयों को बनने के बाद शेष बची भूमि को सिंचाई विभाग से वापस ले लिया गया है?

यदि नहीं, तो क्यों?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त भूमि को भूमिहीन खेतीहर मजदूरों में वितरित किये जाने पर विचार करेगी? यदि नहीं तो क्यों? यदि हाँ, तो कब तक?

श्री दिवाकर भट्ट–

तुमड़िया जलाशय हेतु 463.428 एकड़, हरिपुरा जलाशय हेतु 1324.29 एकड़, बौर जलाशय हेतु 602.23 एकड़ नानक सागर जलाशय हेतु 10998.00 एकड़, धौरा जलाशय हेतु 473.70 एकड़ एवं बेगुल डाम हेतु 1051.65 एकड़, शारदा सागर हेतु 4198.85 एकड़ भूमि राजस्व विभाग द्वारा सिंचाई विभाग को दी गयी थी।

सिंचाई विभाग के उपयोग के उपरांत अवशेष भूमि में से उस भूमि का कब्जा राजस्व विभाग द्वारा प्राप्त किया गया जो मौके पर रिक्त थी।

प्राप्त भूमि में से कुछ भूमि पूर्व में पात्र व्यक्तियों को पट्टे पर दी गयी है। वर्तमान में लीज पर भूमि आवंटन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री प्रेमानन्द महाजन–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि राजस्व विभाग को डामवार कितने–कितने एकड़ जमीन वापस मिली और ये जमीनें डाम बनने से पहले जो राजस्व विभाग की थी, वो किनके कब्जे में थी ? इस समय इन जमीनों को डामवार कितने किसानों को बांटा गया है और जो बाकी जमीन बची है राजस्व विभाग की उस पर किन लोगों का अवैध कब्जा है ? इन अवैध कब्जेदारों को पट्टे देने के लिए तत्कालीन सरकार द्वारा क्या कोई शासनादेश जारी हुआ था ?

श्री दिवाकर भट्ट–

मान्यवर, तुमड़िया जलाशय हेतु 463.428 एकड़ भूमि सिंचाई विभाग को दी गयी थी। परियोजना में उपयोग के बाद अवशेष 39.50 एकड़ भूमि सिंचाई विभाग द्वारा ही पांच व्यक्तियों को पट्टे पर आवंटित की गई है। वर्तमान में इस जलाशय से कोई भी भूमि अवशेष उपलब्ध नहीं है। (व्यवधान) हरिपुरा एवं बौर जलाशय हेतु 1926.52 एकड़, भूमि उपलब्ध कराई गई थी। इसमें से 267.669 एकड़ भूमि उपयोग के बाद अवशेष बची। इस भूमि में से 117.91 एकड़ भूमि खातेदारों के नाम वर्ग–1–क में दर्ज है। लगभग 105 एकड़ भूमि जलाशय हेतु रिक्त है एवं कुछ भूमि जलाशय के अन्य उपयोग में लाई जा रही है। इस भूमि में से 35.62 एकड़ पट्टे पर आवंटित की गयी है। नानक सागर जलाशय हेतु 10998.33 एकड़ भूमि आवंटित की गई थी। (व्यवधान) इसमें से 39.92 एकड़ भूमि अवशेष बची। अवशेष भूमि में से 13.49 एकड़ भूमि पट्टे पर आवंटित की जा चुकी है। 17.38 एकड़ भूमि पर अवैध कब्जा है एवं लगभग 8.5 एकड़ भूमि श्रेणी–1–क में खातेदारों के नाम दर्ज है। मान्यवर, इस तरह धौरा जलाशय हेतु 473.70 एकड़ भूमि आवंटित की गई थी जो समस्त भूमि परियोजना में उपयोग कर ली गई।

श्री प्रेमानन्द महाजन–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे पास आंकड़े हैं। मान्यवर, तत्कालीन उत्तर प्रदेश शासन

के राजस्व विभाग की तरफ से जो अवैध कब्जाधारियों को नियमित पट्टा देने के लिए एक आदेश जारी हुआ था। उसके अनुसार तुमड़िया डेम में लगभग 228 एकड़ भूमि राजस्व को मिली, हरिपुरा और बौर जलाशय में 368.78 एकड़ जमीन राजस्व विभाग को मिली। नानक सागर में 39.9 एकड़ भूमि राजस्व विभाग को मिली। इसी तरह बेगुल में 63 एकड़ भूमि मिली और शारदा सागर में 651 एकड़ भूमि राजस्व विभाग को मिली। मान्यवर, ये सारी जमीनें किसानों की थी। आज ये किसान अवैध कब्जेदार के रूप में बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न पूछिये।

श्री प्रेमानन्द महाजन–

मान्यवर, वो खेतीहर, भूमिहीन मजदूर जो उस जमीन पर बैठे हैं, क्या उनको राजस्व विभाग द्वारा भूमिधरी का अधिकार दिया जायेगा ?

श्री दिवाकर भट्ट–

मान्यवर, ऐसा कोई विचार नहीं है।

श्री तिलक राज बेहड़–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने कहा कि भूमिधरी का अधिकार दिये जाने पर विचार नहीं है। ऐसे जलाशय जिनके अन्दर गाँव बसे हैं और उनको ग्राम प्रधान भी चुनने का अधिकार है, उनके अन्दर विद्युतीकरण हो चुका है, वहाँ पर प्राइमरी पाठशालायें हैं, जूनियर हाईस्कूल बन चुके हैं, वहाँ पर सड़कें हैं, वह जिला पंचायत सदस्य चुनते हैं, जब उनको जनप्रतिनिधि तक चुनने का अधिकार है, वह मतदान कर विधायक, एम0पी0 तक का चुनाव करते हैं। क्या उन राजस्व गांवों को भूमिधरी का अधिकार दिया जायेगा ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, भूमिधरी का अधिकार दिये जाने का कोई भी अद्यतन विचार सरकार के सामने नहीं है।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष जी, इस पर सरकार विचार तो कर सकती है, जब कि उनको सारे अधिकार हैं और उन्हीं की जमीन को सरकार ने जलाशय बनाने को लिया, आज वह बिना भूमि के वहाँ पर हैं।

श्री अध्यक्ष–

श्री त्रिपाठी जी, आपको बोलने की अनुमति किसने दी। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री नारायण पाल–

माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय मंत्री जी ने आँकड़े पढ़ कर बताये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न पूछिये।

श्री नारायण पाल–

मान्यवर, जो डैम के किनारे की जमीनों का मसला है, इसमें राजस्व विभाग, सिंचाई विभाग और वन विभाग इन तीनों का सीमांकन नहीं हुआ है, यह तीनों विभागों का विवाद का विषय बना हुआ है कि यह जमीन किस की है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न करिये।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, इसमें तुमड़िया डैम का उल्लेख हुआ। तुमड़िया डैम जब बना तो 228 एकड़ जमीन जो राजस्व विभाग की थी वहाँ रहने वाले परिवारों को उस राजस्व भूमि से बाहर कर दिया गया है और सिंचाई विभाग द्वारा उनको वन भूमि में पट्टे दे दिये गये लेकिन उनको आज राजस्व के अधिकार नहीं मिले। जब कि सन् 1961 में उनसे राजस्व भूमि ली गई थी। मेरा प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा 2006 में वन अधिनियम पास हुआ है जिसमें गैरपरम्परागत और अनुसूचित जनजाति के लोगों को अधिकार देने की बात है, उसमें एक क्लॉज है वन विकास की योजनाओं के अन्तर्गत जिनको पुनर्स्थापित किया गया उनको भूमिधरी के अधिकार दिये जायेंगे। क्या सरकार 228 एकड़ के शिप्रा वासियों को उस अधिनियम के अन्तर्गत अधिकार देने के बारे में विचार कर रही है ?

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, जिस भूमि का जिक्र माननीय सदस्य गणों ने किया और जिस भूमि में श्रीमन् वर्ग–1 क की भूमि के तहत भूमिधरी का अधिकार दिये जाने का प्रश्न है। यह सम्भव नहीं है क्योंकि वर्तमान में परिचालित (व्यवधान)

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, आप शायद ठीक से समझ नहीं पाये। मेरा यह कहना है कि शिप्रा गांव, जहाँ तुमड़िया डैम बना, वहाँ रहने वाले गांववासियों की 228 एकड़ भूमि जो भूमिधरी की थी, वह ले ली गई, उनको बाहर विस्थापित कर दिया गया, उनको पट्टे दे दिये गये। उनको अभी तक राईट्स नहीं मिले, तो मेरा आपसे यह कहना है कि जो अधिनियम–2006

पास हुआ उसमें एक क्लॉज यह है कि विकास कार्यों के लिए पुनर्स्थापित जो लोग होंगे उनको भूमिधरी के राइट्स दे दिये जायेंगे। मान्यवर, 49 साल हो गये भूमिधरी के राइट्स नहीं मिले जबकि सरकार ने भूमिधरी की ही जमीन ली थी। तो सरकार उस अधिनियम के अन्तर्गत कोई कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, इस स्पैसिफिक केस का परीक्षण करवाना पड़ेगा कि उनको पट्टे किस शर्त पर दिये गये हैं। क्योंकि अगर भूमि ली गई होगी तो कुछ शर्तें लगाई गई होंगी, उन शर्तों के तहत उनको पट्टे दिये गये। अब उन पट्टों पर अगर हम संक्रमणीय अधिकार भूमिधरी का दे सकेंगे या नहीं दे सकेंगे उसका परीक्षण कराना पड़ेगा कि वह भूमि किस प्रकार की है। मान्यवर, परीक्षण करवायेंगे उसके अनुसार ही कार्यवाही करेंगे।

श्री प्रेमानन्द महाजन–

मान्यवर, मेरा प्रश्न था कि डैम बनने से पहले यह जो भूमि थी वह किसी न किसी के कब्जे में थी। राजस्व विभाग ने वापस ले ली, डैम को दे दी। जब जमीन राजस्व विभाग को वापस मिली तो क्या सरकार जिनकी जमीन ली गई है उनको पट्टे देने के लिए विचार करेगी ? क्योंकि माननीय मंत्री जी ने पहले ही कह दिया कि प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। मेरा प्रश्न यह है कि आगे के लिए कोई जाँच कराकर किसी प्रस्ताव पर विचार करेगी ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, 381 ऐसे प्रकरण हैं कि जो अवैध कब्जेदार हैं। जिनके पास किसी भी तरह का वैध पट्टा नहीं है। प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन हैं। माननीय न्यायालयों से विचाराधीन प्रकरण जब तक निस्तारित नहीं होते हैं, तब तक सरकार कैसे कार्यवाही कर सकती है।

श्री गोपाल सिंह–

मान्यवर, नानक सागर डैम में जब भूमि ली गई थी, वन विभाग की भूमि ली गई थी, कुछ राजस्व विभाग की थी। कुछ भूमि वापस कर दी गई। शारदा सागर में कितनी भूमि राजस्व विभाग को वापस कर दी गई है, कितनी भूमि वन विभाग के पास रह गयी है। माननीय अध्यक्ष जी, शारदा डैम में पता ही नहीं चल पा रहा है कि कितनी भूमि वन विभाग की हैं, कितनी राजस्व विभाग की है, कितनी सिंचाई विभाग की है। मान्यवर, इसका सर्वे कराकर यह चिन्हित किया जाए कि कौन सी भूमि वन विभाग की है, कौन सी सिंचाई विभाग की है और कौन सी राजस्व विभाग की है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, शारदा सागर हेतु 4198.85 एकड़ भूमि उपलब्ध करायी गई थी इसमें से 603.41 एकड़ भूमि उपयोग के बाद अवशेष बची जो भूमि राजस्व विभाग को प्राप्त नहीं है। उसमें वर्ग 4 के रूप में भूमि भी दर्ज है। शारदा नदी पर कुल 4198.85 एकड़ भूमि है। (व्यवधान)

श्री गोपाल सिंह–

मान्यवर, स्थानीय व्यक्तियों के नाम जो भूमि दर्ज है क्या सरकार उनके नाम पट्टा बनायेगी ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, जो अवैध कब्जेदार हैं उन अवैध कब्जेदारों के प्रकरण माननीय न्यायालय के विचाराधीन हैं। उनके निस्तारण के बाद ही उनमें कार्यवाही की जा सकती है।

श्रीमती अमृता रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि मेरे प्रश्न बार–बार स्थगित किये जाते हैं, जबकि वह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं।

श्री अध्यक्ष–

वह प्रश्न अगली बार आ जायेगा। लेकिन दो बार स्थगित होना भी अपने आप में एक चिन्ता का विषय है।

*2–श्रीमती अमृता रावत– (द्वितीय स्थगन)

देहरादून की सड़कों के किनारे की नालियों का निर्माण तथा मरम्मत कार्य

*3–श्री गणेश जोशी–

क्या नगर विकास मंत्री अवगत हैं कि जनपद देहरादून के नगर क्षेत्र में सड़कों के किनारे नालियों के निर्माण न होने से बरसात में जगह–जगह पानी इकट्ठा हो जाता है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा सड़कों की नालियों के निर्माण एवं इनकी मरम्मत कार्य का कोई प्राविधान है ?

क्या सरकार नालियों के निर्माण एवं मरम्मत का कार्य युद्ध स्तर पर करवाएगी?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

जी हाँ, जनपद देहरादून के देहरादून नगर में कतिपय स्थानों पर बरसात में पानी इकट्ठा होने की सूचना प्राप्त हुई है।

उ0प्र0 नगर निगम, अधिनियम, 1959 (यथा उत्तराखण्ड में प्रवृत्त) की धारा 228, 229, 230, 231 के अन्तर्गत नालियों के निर्माण एवं मरम्मत एवं जल के निस्तारण के लिए नालियों को बनाने का प्राविधान है तथा उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 (यथा उत्तराखण्ड प्रवृत्त) की धारा 189 के अन्तर्गत जल–निस्तारण हेतु नाली निर्माण का प्रविधान है।

धन की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराये जाते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री गणेश जोशी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा। माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा कि कतिपय स्थानों पर पानी इकट्ठा होने की सूचना प्राप्त हुई, वे कतिपय स्थान कौन–कौन से हैं ? माननीय मंत्री जी ने कहा धारा 189 के अन्तर्गत जल– निस्तारण हेतु नाली निर्माण का प्राविधान है। उसके अन्तर्गत कितनी नालियों का निर्माण किया गया था ? माननीय अध्यक्ष जी, घण्टाघर देहरादून का हृदय है, वह आपका भी विधान सभा क्षेत्र है। वहां पर जरा सी भी बारिश होती है तो नालियों में जल भराव हो जाता है और लोगों का निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी प्रकार प्रिंस चौक के बारे में मैं जानना चाहूँगा कि क्या वहां पर नालियों का निर्माण हो गया है ? तीसरा माननीय मंत्री जी ने कहा है कि धन की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराये जाते हैं। आज उत्तराखण्ड को बनें हुए 9 साल हो गये हैं लेकिन अभी तक वहां पर कोई कार्य नहीं हुआ है।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि देहरादून शहर में निर्माण किया है जैसे जी0एम0एस0 रोड पर विवेक गुप्ता प्राईमरी पाठशाला, कांवली के समीप विनय विहार, दर्शन लाल चौक, सहारनपुर पर टर्न रोड, विद्युत नियामक कार्यालय के पास, त्रिमूर्ति विहार, आई0एस0बी0टी0 क्षेत्र, पंडित वाड़ी, आई0एम0ए0 के पास, शास्त्री नगर, इन्द्रानगर के पास, राजीव कालोनी, शान्तिविहार और महाराणा प्रताप जो माननीय सदस्य ने कहा की जल भराव की समस्या है। इन पर नगर निगम द्वारा अपनी निधि और अन्य जो भी सहयोग उनको प्राप्त होता है नालियों के निर्माण या जल भराव की समस्या पर कार्य किया जाता है। माननीय सदस्य ने जानना चाहा कि वर्तमान में हमारे पास कितनी नालियाँ हैं ।जनका जल भराव हो रहा है। मान्यवर, नगर निगम क्षेत्र में कुल हमारे पास सड़कें हैं उनकी लम्बाई 450.15 किलोमीटर है। इस आधार पर जो

नालियों की लम्बाई है 900.3 किलोमीटर हमारे पास वर्तमान में उपलब्ध होनी चाहिए, लेकिन जो हमारे पास वर्तमान में नगर निगम में नालियाँ हैं वह 554.00 किलोमीटर हैं। दूसरा जानना चाहा कि वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2009—10 में, कितना धन उपलब्ध हुआ। नगर निगम के द्वारा वित्तीय वर्ष 09 और 10 में जो प्रस्ताव किये वो मान्यवर, लम्बाई 4.1 किलोमीटर है, आप चाहे तो मैं बता देता हूँ।

श्री गणेश जोशी—

मान्यवर, यह बात मंत्री जी की ठीक है लेकिन मैंने जो प्रश्न किया है कि देहरादून के प्रमुख क्षेत्र घण्टाघर और प्रिंस चौक, उसका जिक्र नहीं किया माननीय मंत्री जी ने।

श्री मदन कौशिक—

मान्यवर, घण्टाघर की बात आयी है। मान्यवर, नगर निगम अपने संसाधन द्वारा या फिर जो राज्य सरकार उसको फण्ड देती है उससे वह नालियों का निर्माण कराती है। इस वित्तीय वर्ष में नगर निगम में जो प्रस्ताव रखा कि इस वर्ष में वे कितने किलोमीटर नालियाँ बनायेंगे, वह 4.1 किलोमीटर है और जो बची हुई नालियाँ हैं, जब भी उनको धन उपलब्ध होता रहेगा वो नालियाँ बनाते जायेंगे। 554 किलोमीटर है नालियों की लम्बाई मैं समझता हूँ कि इस साल में 4.1 किलोमीटर नालियाँ बनाने का प्रविधान हैं।

श्री प्रीतम सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, जैसाकि उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 228, 229, 230, 231 के अन्तर्गत नालियों के निर्माण एवं मरम्मत एवं जल के निस्तारण के लिए नालियों को बनाने का प्रविधान है इसी तरीके से उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 189 के अन्तर्गत जल निस्तारण हेतु नाली निर्माण का प्राविधान है तो मान्यवर दोनों ही एक्ट में नालियों के निर्माण का प्रविधान है तो ऐसे कितने क्षेत्र हैं जहाँ इस एक्ट के अन्तर्गत नालियों का निर्माण नहीं हुआ है, और नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है ?

श्री मदन कौशिक—

माननीय अध्यक्ष जी, अलग—अलग मैं बता देता हूँ नगर निगम क्षेत्र में टोटल 900.3 किलोमीटर होनी चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो हमारे पास नालियाँ हैं वह 554.00 किलोमीटर हैं, इसी प्रकार से यदि हम विकास नगर में पहुँचे तो विकास नगर में जो टोटल नालियों की लम्बाई है वह 41.05 किलोमीटर हमें आवश्यकता है लेकिन वर्तमान में हमारे पास 33.7 किलोमीटर है और इस वित्तीय वर्ष 2009—10 में जैसा मैंने कहा कि नगर निगम 4.1 किलोमीटर नालियों का निर्माण करेगा और इसी प्रकार से नगरपालिका परिषद विकास नगर में 5.1 किलोमीटर का इस वर्ष में बनाने का प्राविधान किया है। इसी प्रकार से मान्यवर, नगरपालिका मसूरी में जो उपलब्ध सूचना है वहाँ पर नालियों की

लम्बाई 18.509 किलोमीटर है और जो बनी हुई हैं वह 12.00 किलोमीटर है वहाँ उन्होंने जो प्रविधान किया है वह 1 किलोमीटर का किया है।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, जो माननीय मंत्री जी कह रहे हैं वह ठीक बात है, मैं उनके उत्तर से संतुष्ट हूँ। लेकिन देहरादून के अन्तर्गत जैसाकि माननीय मंत्री जी ने कहा कि लगभग 900.00 किलोमीटर की आवश्यकता है उसके परिप्रेक्ष्य में लगभग 500.00 किलोमीटर का निर्माण हुआ है यह 50 प्रतिशत है। यह अस्थायी राजधानी है और अस्थायी राजधानी होने के वजह से मैं समझता हूँ कि यहाँ पर पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूँ कि जो 40 प्रतिशत नालियों का निर्माण अवशेष है वह कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, जैसा अपने उत्तर में बताया कि देहरादून नगर निगम वास्तव में देहरादून राजधानी भी है और महत्वपूर्ण भी है, यहाँ हमारे पास 900.3 किलोमीटर की आवश्यकता है उसके अनुरूप में 554.0 किलोमीटर बनी है। हर साल नगर निगम अपनी बैठक में यह तय करता है कि कितना निर्माण किया जाना है। कुछ राज्य सरकार देती है और कुछ वे अपने फण्ड से करते हैं इसलिए इस वित्तीय वर्ष में उन्होंने 4.1 किलोमीटर बनाया।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, अगर आपने कहा कि 4 किलोमीटर एक वित्तीय वर्ष में बनेगी तो निश्चित रूप से इसमें वर्षों लग जायेंगे, तो हम यह जानना चाहते हैं कि क्या सरकार इसके लिए धन का प्राविधान कर रही है ? अगर कर रही है तो कितना कर रही है एक वित्तीय वर्ष में यह बता दें, एक वित्तीय वर्ष में आपने क्या लक्ष्य रखा है ?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, हमारे माननीय सदस्य वरिष्ठ हैं, मंत्री भी रहे हैं आप जानते हैं कि जितने निकाय हैं वो ऑटोनोमस हैं, अपने निर्णय इसी रूप में लेते हैं और सरकार जो उनको वर्ष भर में धन उपलब्ध कराती है, जितना वह धन डिमाण्ड करते हैं उसके सापेक्ष सरकार अपने बजट से भी देती है, उनका अपना फण्ड भी होता है और उन्होंने बोर्ड की बैठक में जितने किलोमीटर नाली बनाने का प्राविधान किया है और जहाँ निकासी होती है हम भी पत्र लिखते हैं और धन की उपलब्धता हम भी देते हैं और वे अपने फण्ड से भी बनाते हैं, इस साल हो सकता है कि कम हुआ हो अगली बार जितना धन उपलब्ध होगा तो और बनेगी।

श्री सुरेश चन्द्र जैन–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि.. (व्यवधान)

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, जे0एन0एन0यू0आर0एम0 का क्या कर रहे हैं ?(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

बीच में न बोलिये, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री सुरेश चन्द्र जैन–

मान्यवर, जल भराव की समस्या सिर्फ देहरादून में नहीं है, जल भराव की समस्या सभी शहरों में है और रूड़की विधानसभा क्षेत्र भी इस जल भराव से त्रस्त है, जगह–जगह 6–6 फिट जल भराव है।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न करें।

श्री सुरेश चन्द्र जैन–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से मेरा प्रश्न यह है कि जल भराव के निस्तारण के लिए, जबकि रूड़की जिसका विस्तार हो चुका है तो उसके लिए कोई मास्टर प्लान लाने की कोई योजना माननीय मंत्री जी की है ?

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, वैसे तो मूल प्रश्न से हटकर है, हमने 31 शहर ए0डी0बी0 में लिए हैं। जो हमें प्राप्त हो रहा है उसमें विभिन्न प्रकार की योजना है जैसा माननीय सदस्य ने जे0एन0एन0यू0आर0एम0 की चर्चा की तो उसके फर्स्ट फेस में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 में पीने का पानी और सीवरेज की व्यवस्था की है और उसमें नाली या इस प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई थी, जहाँ तक धन का सवाल है हमने अपना पूरा परिव्यय बनाकर भारत सरकार को दिया था और भारत सरकार ने जितना एक साल के लिए तय किया वह हमने उपयोग किया। 252 करोड़ रूपया हमने दिया था तो उन्होंने 233 करोड़ दिया। सेकेण्ड फेज में, जितना उन्होंने राज्य का परिव्यय तय किया था उतना हम बनाकर दे रहे हैं, हमतो चाहते हैं कि दो हजार करोड़ रूपया दें तो उतना हम करेंगे। मान्यवर, ए0डी0सी0 में जो 31 शहर हैं उसमें रूड़की भी है।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जैसा इंगित किया है कि 18 किलोमीटर की लगभग लम्बाई नालियों की नगर पालिका मसूरी के अन्तर्गत है और 12 किलोमीटर लगभग नाली का निर्माण हो चुका है तो 6 किलोमीटर के लिए क्या सरकार धन आवंटन करेगी ? और दूसरा यह है कि 12 किलोमीटर की नालियों में जल प्रवाह हो रहा है या नहीं क्या सरकार इसको भी देखने का प्रयास करेगी और उसमें यह कहा गया है कि

दोनों तरफ नालियाँ, शायद सड़क ही नहीं बन पाती जिसमें दोनों तरफ नालियाँ काम करती हों, तो इसमें सरकार कोई मानक निर्धारित करेगी कि दोनों तरफ पानी का फैलाव हो और तीसरी बात यह है कि क्या नालियों तक ही पानी का जल प्रवाह होगा ? उससे आगे के लिए कहा जाता है कि उस ड्रेनेज को आऊटलेट में भी कहीं जाना होगा, तो उस प्रवाह से कहीं भूमि का कटाव तो नहीं हो रहा है, तो क्या उसके प्रबन्धन के लिए भी कोई व्यवस्था की गई है या नहीं ?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि आप भी उस सम्मानित बोर्ड के सदस्य हैं। मान्यवर, माननीय विधायक भी सदस्य होते हैं, जब बोर्ड की बैठक होती है तो आप जायें और प्रस्ताव पास करें। जो जरूरी चीज हैं उनको प्राथमिकता से लेंगे तो निश्चित रूप से समस्या का समाधान अपने आप हो जायेगा, बोर्ड से सूचना भी आती है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, आपने कहा कि माननीय विधायक को बोर्ड की बैठक में जाना चाहिए।

श्री मदन कौशिक–

मैंने यह नहीं कहा कि जाना चहिए मैंने कहा कि माननीय विधायक जी यदि उस बैठक में जायें। मान्यवर, इसमें सरकार के सहयोग की आवश्यकता होती है। मान्यवर, मसूरी को राज्य सरकार ने काफी अच्छा सहयोग किया है। इसमें कार्य हो भी रहे हैं। लेकिन जो जलभराव की समस्या है यह निश्चित रूप से इसमें राज्य सरकार सहायता समय–समय पर करती है, लेकिन नगरपालिका अपने आप भी इस पर लगातार कार्य को करती है तो मैं समझता हूँ कि इसका समाधान निकल जायेगा।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

माननीय अध्यक्ष जी, यह तो कोई उत्तर नहीं हुआ कि सरकार के सामने प्रश्न लगा है और मेरे प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न सरकार से किया जा रहा है। अब नगरपालिका की स्थिति क्या है, इस पर तो हम नगरपालिका में बैठकर चर्चा करेंगे। यहां पर तो सरकार को जिस दायित्व का निर्वहन करना है, उसकी बात करें। यहां पर हम आप से सवाल कर रहे हैं, जब नगरपालिका में प्रश्न करेंगे तो नगरपालिका में प्रश्न करेंगे। आप मेरे प्रश्न का जवाब दें।

श्री अध्यक्ष–

आपका सुझाव हो सकता है।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने कहा कि नगरपालिका, नगर पंचायतें, बोर्ड में प्रस्ताव लाती हैं। मान्यवर, राज्य सरकार इनको फण्ड देती है। ये अपनी बोर्ड की बैठकों में प्रस्ताव लाते हैं और राज्य सरकार से डिमांड करते हैं। राज्य सरकार उन प्रस्तावों को पास करती है। मान्यवर, इसमें कुछ योजनाएं भारत सरकार की होती हैं और कुछ राज्य सरकार की होती हैं। इसमें हम उन्हें यह भी बताते हैं कि अमुक योजना में धन केन्द्र सरकार से मिलेगा और अमुक योजना में राज्य सरकार से मिलेगा। मान्यवर, कई नालियां बनी हुई हैं। मान्यवर, निश्चित रूप से जो नालियां बची हुई हैं इसके लिए ये कुछ बोर्ड के फण्ड से बनायेंगे और कुछ के सम्बन्ध में राज्य से डिमाण्ड करेंगे तो हम उस पैसे को उपलब्ध करायेंगे। धन उपलब्ध होगा तो निश्चित रूप से देंगे।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि अवस्थापना मद में इन नालियों की व्यवस्था की गयी है ?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, अवस्थापना मद में जो धन दिया है, उसमें नगरपालिकाओं को भी दिया है।

*4–श्री गणेश जोशी (द्वितीय स्थगन)

*5–श्री गणेश जोशी (द्वितीय स्थगन एवं ऊर्जा विभाग को स्थानान्तरित)

देहरादून एवं हरिद्वार में व्यावसायिक गैस सिलेण्डर की आपूर्ति का विवरण एवं घरेलू गैस के व्यावसायिक उपयोग रोकने हेतु कार्यवाही

*6–श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या खाद्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि देहरादून एवं हरिद्वार जनपद में कॉमर्शियल गैस सिलेण्डर की विगत छः महिनों में प्रत्येक पखवाड़े की आपूर्ति का विवरण क्या है ?

क्या यह सत्य है कि हरिद्वार एवं देहरादून में व्यवसायिक प्रतिष्ठानों एवं औद्योगिक इकाईयों में घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग हो रहा है ?

यदि हाँ, तो इसके रोकथाम के लिये क्या उपाय किये गये हैं तथा विगत छः माह में कितने प्रतिष्ठानों/इकाईयों को दण्डित किया गया है ?

श्री दिवाकर भट्ट–

जनपद देहरादून एवं हरिद्वार जनपद में विगत छः माहों में व्यवसायिक गैस सिलेण्डरों की प्रत्येक पखवाड़े की आपूर्ति का विवरण निम्न प्रकार है।

माह	प्रथम पखवाड़ा		द्वितीय पखवाड़ा	
	हरिद्वार	देहरादून	हरिद्वार	देहरादून
जून, 09	5000	5406	5566	3860
जुलाई, 09	4016	3950	5300	4951
अगस्त, 09	4000	4100	4579	5017
सितम्बर, 09	4800	4029	4514	4500
अक्टूबर, 09	4897	4800	5300	5209
नवम्बर, 09	4900	4200	5266	2552
योग	27613	26485	30525	28789

घरेलू गैस के व्यवसायिक उपयोग को रोकने हेतु समय-समय पर शिकायतें प्राप्त होती रही हैं।

व्यवसायिक प्रतिष्ठानों एवं औद्योगिक इकाईयों में घरेलू गैस के उपयोग को रोकने हेतु आकस्मिक छापे मारने की कार्यवाही सुनिश्चित की गयी है। दोनों जनपदों में विगत छः माह में 88 छापे मारे गये, 02 प्राथमिकी दर्ज की गई तथा धनराशि रूपये 40000.00 (रू0 चालीस हजार सौ मात्र) अर्थदण्ड वसूल कर राजकोष में जमा कराया गया।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि हरिद्वार और देहरादून जनपद में कॉमर्शियल गैस कनेक्शन कितने हैं ? क्या प्रत्येक पखवाड़े में उनके सापेक्ष सम्पूर्ण आपूर्ति की जा रही है ?

श्री दिवाकर भट्ट–

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूँ कि कॉमर्शियल में कनेक्शन नहीं होते हैं। प्रदेश में गैस की आपूर्ति की जा रही है।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, यह तो बड़ा अजीब उत्तर आया है कि कॉमर्शियल के गैस कनेक्शन नहीं होते हैं। मान्यवर, यह कनेक्शन केवल हरिद्वार और देहरादून में ही नहीं बल्कि पूरे देश में होते हैं। मान्यवर, माननीय मंत्री जी बिल्कुल गलत उत्तर दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी का कहने का मतलब है कि प्रदेश में गैस पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और जिन-जिन ने कॉमर्शियल गैस खरीदी है, उन्हें उपलब्ध करायी जा रही है।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, मैंने दोनों जनपदों मे कॉमर्शियल गैस कनैक्शन के बारे में प्रश्न किया है। यह मेरा मूल सवाल है।

श्री दिवाकर भट्ट–

मान्यवर, कॉमर्शियल गैस तो रोजाना दी जाती है।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, कनैक्शनों की संख्या कितनी है, यह मैं जानना चाहता हूँ। रोजाना कौन कनैक्शन ले रहा है। मान्यवर, प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है। पिछली बार भी ऐसा ही उत्तर दिया गया था और आज भी ऐसा ही उत्तर दिया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, यह तो बिल्कुल गलत है।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, जो वर्तमान में पूरे राज्य में सिलेण्डरों की संख्या की स्थिति है। अब चूंकि जो उपभोक्ताओं के कनैक्शन हैं, उन कनैक्शनों के सापेक्ष, व्यवसायिक उद्देश्य से जो गैस सिलेण्डर लिये जाते हैं, उन सिलेण्डरों की संख्या बतायी जा सकती है। क्योंकि व्यवसायिक उद्देश्य से गैस के कनैक्शन नहीं दिये जाते हैं। कनैक्शन तो एक ही तरह का होगा, सिलेण्डर अलग तरह का होगा। जो व्यवसायिक सिलेण्डर हैं, उनकी संख्या श्रीमन् 2007–2008 में 1445852 थी और 2008–2009 में 191225 है।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, कनैक्शन दिया जाता है। आप सीनियर मंत्री हैं, ऐसा उत्तर न दें। मेरे क्षेत्र भगवानपुर में कॉमर्शियल गैस कनैक्शन है। मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि कॉमर्शियल कनैक्शन कितने हैं ?(व्यवधान) मान्यवर, इसको फिर से स्थगित किया जाय। इसका जवाब नहीं आ रहा है। (व्यवधान)

श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, यह पिछली बार भी स्थगित हुआ था, इसको फिर से स्थगित किया जाय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मूल प्रश्न है"क्या माननीय खाद्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि देहरादून एवं हरिद्वार जनपद में कॉमर्शियल गैस सिलेण्डर की विगत छः महीनों में प्रत्येक पखवाड़े की आपूर्ति का विवरण क्या है ?"

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, मैं कॉमर्शियल की ही बात कर रहा हूँ। कितने कनैक्शन हैं ? मैं डोमेस्टिक नहीं पूछ रहा।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न में कनैक्शन का उल्लेख नहीं है। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, यह अनुपूरक प्रश्न बनता है। (व्यवधान)

श्री दिवाकर भट्टा–

मान्यवर, जब हम उत्तर पढ़ रहे थे तो आपने कहा कि पढ़ा हुआ मान लिया जाय। थे सुनना तो चाह नहीं रहे हैं। (व्यवधान) माह जून, 2009 से नवम्बर, 2009 तक व्यवसायिक सिलेण्डरों की आपूर्ति का विवरण मैं बता देता हूँ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, ये जानना चाह रहे हैं व्यवसायिक के कुल कितने कनैक्शन हैं, आपके पास कुल कितने पंजीकृत उपभोक्ता हैं ?(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, इसको स्थगित करते हुए अगला प्रश्न ले लिया जाय। (व्यवधान)

श्री दिवाकर भट्ट–

मान्यवर, यह तो कम्पनी का अपना रिकॉर्ड है। हमारी तरफ से तो सप्लाई होती है। किसको कितनी जरूरत है, उसके हिसाब से हम सप्लाई कर देते हैं। (व्यवधान) मैं बताना चाहता हूँ कि 2008–09 में 1 लाख 91 हजार 234 कॉमर्शियल सिलेण्डरों की आपूर्ति की गयी। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, यह तो सिलेण्डरों की संख्या है। मैंने पूछा कितने कनैक्शन हैं। एक कनैक्शन वाले 2–3 सिलेण्डर तक ले लेते हैं। (व्यवधान) मान्यवर, जवाब ही नहीं आ रहा है। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, क्या सचिवालय से उत्तर आ रहा है ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, जो पंजीकृत उपभोक्ता हैं, उनकी सूची माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दें। नत्थी–ग, तारांकित प्रश्न संख्या–1 (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, अभी इसका उत्तर नहीं आया है।

(माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र राकेश 'वेल' में आकर तथा माननीय सदस्य श्री नारायण पाल 'वेल' के निकट आकर अपनी बात कहने लगे।) (व्यवधान)

श्री हरभजन सिंह चीमा–

माननीय अध्यक्ष जी, यह 'वेल' में आने की परम्परा ठीक नहीं है। बार–बार 'वेल'में आते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह प्रश्न स्थगित किया जाता है। (व्यवधान) मंत्री जी अगली बार इसकी जानकारी ले आईये। (मेजों की थपथपाहट)

('वेल' में खड़े माननीय सदस्य अपने स्थान पर जाकर बैठ गये।)

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में संचालित जनाधार केन्द्र एवं उनके द्वारा प्रमाण पत्रों को जारी करने की निर्धारित समयावधि

*1– श्री मनोज तिवारी–

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में जनाधार केन्द्र कहाँ–कहाँ संचालित हैं ?

क्या जनाधार केन्द्र द्वारा जारी किये जाने वाले प्रमाण पत्रों की समयावधि निर्धारित है ?

क्या सरकार इन केन्द्रों द्वारा जारी किये जाने वाले प्रमाण पत्रों की समयावधि को कम करने पर विचार कर रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर भट्ट–

वर्तमान में जिला देहरादून, रूद्रप्रयाग एवं उत्तरकाशी की सभी तहसीलों एवं अल्मोड़ा में दो व बागेश्वर में एक तहसील में जनाधार केन्द्र संचालित हैं।

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मनोज तिवारी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि प्रदेश के अन्य जिलों में जनाधार केन्द्र खोलने की स्वीकृति की जा रही है ? दूसरा प्रश्न यह है

कि मैंने माननीय मंत्री जी से पूछा था कि "क्या जनाधार केन्द्र द्वारा जारी किये जाने वाले प्रमाण पत्रों की समयावधि निर्धारित है ?" उसका उत्तर आया है कि "जी हाँ" तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि यह समयावधि कितने दिन की है ?

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, जनाधार केन्द्र को सभी जनपदों में खोलने का प्रश्न है तो मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी योजना है कि सभी जनपदों में जनाधार केन्द्र की योजना को संचालित करें तथा तहसील स्तर तक इसे ले जाने की हमारी योजना है। समयावधि के लिये हमने निर्धारित किया है कि न्यूनतम 15 दिनों में हम प्रमाण पत्र जारी करेंगे। एक ऐसी योजना हमने संचालित की है, जो सरलीकृत प्रमाण पत्र जारी करने के लिये होगी। जिसके माध्यम से सरलीकृत तरीके से हम हर आवेदनकर्ता को प्रमाण पत्र उपलब्ध करा पायेंगे।

श्री मनोज तिवारी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि न्यूनतम समयावधि 15 दिन की है, लेकिन जिन जनपदों या तहसीलों पर यह योजना संचालित है, वहां पर एक–एक डेढ़–डेढ़ माह में प्रमाण पत्र दिये जा रहे हैं। कहीं विद्युत आपूर्ति बाधित रहती है, कहीं और दिक्कत रहती है, तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो समयावधि निर्धारित है, उसकी सीमा में प्रमाण पत्र जारी होते हैं या नहीं ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, सामान्य तौर पर जो हमने समयावधि तय की है, वह 15 दिन की है, कुछ जगहों पर दस दिन में भी प्रमाण–पत्र मिल जाते हैं। क्योंकि यह एक नया अभिनव प्रयास है, इसमें हमारा प्रयास यह रहता है कि आवेदनकर्ता अपना आवेदन दे और तत्काल जल्दी से जल्दी समयबद्ध तरीके से उनको प्रमाण पत्र मिल सके और इस योजना को हम तहसील स्तर तक ले जाना चाहते हैं।

श्री मनोज तिवारी–

मान्यवर, जहाँ पर निश्चित समयावधि में प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहे हैं, वहाँ पर क्या कार्यवाही की जा रही है ? क्या जो उसे संचालित कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, प्रयास पूरा रहता है, लेकिन कहीं पर भौगोलिक विषमता भी है, विलम्ब के कुछ अन्य कारण भी होते हैं। लेकिन प्रयास हमने यह किया है कि आवेदनकर्ता को 15 दिन के अन्दर प्रमाण पत्र मिल जाय।

श्री मनोज तिवारी–

मान्यवर, लेकिन कई जगहों पर यह नहीं मिल पा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इस पर चर्चा नहीं हो रही है, आपके प्रश्न का उत्तर आ गया है। माननीय मंत्री जी ने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जिन जनपदों में आपके द्वारा यह केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं। इन केन्द्रों के माध्यम से अब तक कितने प्रमाण–पत्र जारी किये जा चुके हैं ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, इस प्रश्न का उत्तर बहुत विस्तृत होगा, क्योंकि इसकी सूचना तहसीलों से और जिलों से लेनी होगी।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह संभव नहीं है।

प्रदेश में गन्ने की खोई का वर्ष 2008–09 में हुए क्रय–विक्रय का ब्योरा तथा खोई पर आधारित पावर प्लांट लगाने पर विचार

*2– डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

क्या गन्ना मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार प्रदेश में गन्ने की खोई पर आधारित विद्युत उत्पादन हेतु पावर प्लांट लगाने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो पिराई सत्र 2008/2009 में सरकारी एवं निगम की 6 चीनी मिलों के पिराई सत्र 2008/2009 द्वारा कितनी खोई की बिक्री हुई एवं बाजार से खरीदी गई?

श्री मदन कौशिक–

जी हाँ,

चीनी मिल का नाम	विक्रय की गयी खोई (लाख कुन्टल में)	क्रय की गयी खोई (लाख कुन्टल में)
बाजपुर	0.46	0.04
किच्छा	0.69	—
डोईवाला	1.64	0.06
गदरपुर	0.28	0.01
सितारगंज	0.50	—
नादेही	0.003	0.008

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया है कि साढ़े तीन लाख कुन्तल खोई सरप्लस है। मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि सरकार का खोई पर आधारित विद्युत उत्पादन करने का विचार है, तो साढ़े तीन लाख खोई पर आधारित, कितनी क्षमता का विद्युत उत्पादन केन्द्र सरकार लगा सकती है ? जो प्लांट लगेगा, उससे उत्पादित बिजली से कितना लाभ सरकार को होगा, ताकि जो मिलें घाटे में जा रही हैं, उनको आर्थिक लाभ मिल सके? मेरा सीधा प्रश्न है कि साढ़े तीन लाख कुन्तल खोई पर आधारित कितनी क्षमता का पावर प्लांट लगाया जा सकता है और इससे कितना लाभ सरकार को होगा ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, एक मिनट में इसका उत्तर दे दीजिये।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, यह एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है जिस पर माननीय सदस्य ने सवाल भी लगाया। (व्यवधान) इस पर हमने एक सर्वे कराया पूरी अपनी मिलों का और सर्वे के बाद जो हमारी मिलें हैं, वे किस कैपेसिटी की हैं। उनके आधार पर आई0एल0एफ0एस0 ने एक निर्णय किया, उसमें हमने पी0पी0पी0 मोड में जाने का निर्णय लिया। उसमें प्रथम चरण में हमारी 4000 टी0डी0सी0 की मिल है। एक तो बाजपुर है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न काल समाप्त।

*3– श्री केदार सिंह रावत–(द्वितीय बुधवार के ता0 4 में स्था0)

जनपद हरिद्वार में वर्ष 1973 व 76 में आवंटित आसामी पट्टों का असंक्रमणीय पट्टे पर परिवर्तन

*4– श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या राजस्व मंत्री अवगत हैं कि जनपद हरिद्वार में वर्ष 1973 व वर्ष 1976 में आवंटित आसामी पट्टों पर लगातार पट्टे धारकों का कब्जा चला आ रहा है ?

यदि हॉं, तो इतने वर्षों बाद आवंटित भूमि की प्रकृति बदल गयी है ?

यदि हॉं, तो क्या सरकार पट्टे धारकों को आसामी पट्टों से असंक्रमणीय पट्टे में बदलेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर भट्ट–

वर्ष 1973 में कोई आसामी पट्टा आवंटित नहीं हुआ था। वर्ष 1976 में 3710 आवन्टित आसामी पट्टों में से 1515 आसामी पट्टेदारों का कब्जा चला आ रहा है।

नोट– तारांकित प्रश्न संख्या (2) के उपरान्त प्रश्न काल समाप्त हुआ।

जी नहीं।

जी नहीं।

भूमि विधियों में इसका प्राविधान नही है।

प्रदेश में खाद्यान्न का मासिक आवंटन का विवरण एवं पहाड़ी क्षेत्र हेतु अतिरिक्त कोटा बढ़ाने पर विचार

*5– श्री शेर सिंह–

क्या खाद्य मंत्री अवगत है कि प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में खाद्यान्न की बहुत कमी है ?

यदि हाँ, तो प्रत्येक जनपद मासिक आवंटन का विवरण क्या रहा है ?

क्या सरकार खाद्यान्न की कमी को देखते हुये राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों के लिये खाद्यान्न का अतिरिक्त कोटा बढ़ाने हेतु विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कितना ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर भट्ट–

पहाड़ी क्षेत्रों सहित प्रदेश के बी0पी0एल0/ अन्त्योदय के लक्षित परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा आवंटित खाद्यान्न की मात्रा निर्धारित स्केल के अनुसार वितरित की जा रही है, किन्तु ए0पी0एल0 योजना में भारत सरकार द्वारा खाद्यान्न का कोटा कम किये जाने के फलस्वरूप राज्य को उपलब्ध कराई जा रही खाद्यान्न की मात्रा ही इस योजना के लाभार्थियों को उपलब्ध कराई जा रही है। अतः पहाड़ी क्षेत्रों में खाद्यान्न की बहुत कमी जैसी स्थिति परिलक्षित नहीं होती है।

उपर्युक्तानुसार। जनपदवार ए0पी0एल0/ बी0पी0एल0/अन्त्योदय खाद्यान्नों का आवंटन आदेश संलग्न है। †

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राज्य में लागू सभी योजनायें केन्द्र पोषित हैं एवं ए0पी0एल0 योजना में खाद्यान्न कोटा बढ़ाये जाने हेतु भारत सरकार से निरन्तर अनुरोध किया जा रहा है। केन्द्र सरकार द्वारा खाद्यान्न कोटा बढ़ाये जाने पर ही राज्य सरकार द्वारा इसे राज्य के सम्बन्धित क्षेत्रों सहित सभी उपभोक्ताओं को नियमानुसार वितरित किया जा सकता है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

---

† (देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ संख्या–156–163 पर)

राज्य में खाद्यान्न की कमी को दूर करने के प्रयास

*6– श्री शेर सिंह गढ़िया–

श्री प्रीतम सिंह–

क्या खाद्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में खाद्यान्न की कमी का क्या कारण है, तथा इस समस्या को दूर करने के लिये अभी तक विभाग द्वारा क्या प्रयास किये गये ?

क्या सरकार राशन की कमी को दूर करने के लिये कोई विशेष नीति बनाने जा रही है ?

यदि हाँ, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर भट्ट–

भारत सरकार द्वारा बीपीएल एवं अन्त्योदय योजनाओं के लक्षित परिवारों के लिये निर्धारित स्केल के अनुसार राज्य को आवंटित खाद्यान्न की मात्रा इन योजनाओं के लाभार्थियों को उपलब्ध कराई जा रही है। ए0पी0एल0 योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा खाद्यान्न का कोटा वितरण स्केल के अनुसार राज्य को आवंटित नहीं किया जा रहा है एवं इस हेतु राज्य सरकार की ओर से भारत सरकार से खाद्यान्न कोटा बढ़ाये जाने के लिये निरन्तर अनुरोध किया जा रहा है।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से संबंधित सभी योजनायें केन्द्र पोषित हैं, अतएव इन योजनाओं में राशन की कमी दूर करने संबंधी विशेष नीति का विषय केन्द्र सरकार से संबंधित है।

उपर्युक्तानुसार।

उत्तराखण्ड में सभी बी0 पी0 एल0 परिवारों को खाद्यान्न की आपूर्ति

*7– श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या खाद्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड में सभी बी0पी0एल0 परिवारों को खाद्यान्न सरकारी सस्ते दाम पर उपलब्ध कराया जा रहा है ?

यदि नहीं, तो क्या सरकार सभी बी0पी0एल0 पात्र परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध करायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर भट्ट–

जी हाँ।

लक्ष्य के अनुसार चयनित सभी बी0पी0एल0 पात्र परिवारों को निर्धारित वितरण स्केल के अनुसार खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद ऊधमसिंह नगर में आये पकिस्तानी परिवारों को भूमिधरी अधिकार

*8–श्री प्रेमानन्द महाजन–

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंह नगर के तहसील गदरपुर, किच्छा व सितारगंज में पूर्वी पाकिस्तान से आये हुये कितने परिवारों को आजीविका चलाने के लिये कृषि योग्य भूमि प्रदान की गयी थी ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि इनमें से कितने परिवारों को तहसील वार खेती की भूमि का भूमिधरी अधिकार प्रदान किया गया तथा कितने परिवारों को इससे वंचित रखा गया ?

क्या सरकार वंचित परिवारों को भी भूमिधरी अधिकार प्रदान करेगी ? यदि हॉ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रदेश में गन्ना विभाग में डी0 सी0 ओ0 तथा ए0 सी0 ओ0 के स्वीकृत एवं कार्यरत पद

*9–कुँवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन''–

क्या गन्ना मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश में कितने डी0सी0ओ0 तथा ए0सी0ओ0 के पद अपेक्षित हैं और कितने पद स्वीकृत है तथा उनके विरूद्ध कितने कार्यरत हैं ?

क्या मंत्री जी यह भी अवगत हैं कि उक्त अधिकारियों की अनुपलब्धता के कारण गन्ना विभाग को अप्रत्याशित रूप से नुकसान हो रहा है ?

यदि हॉ, तो क्या सरकार उक्त अधिकारियों की आवश्यकतानुसार नियुक्ति अविलम्ब करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

वर्तमान में सहायक गन्ना आयुक्त (ए0सी0सी0) के तीन पद स्वीकृत हैं। जिनके सापेक्ष दो अधिकारी प्रभारी सहायक गन्ना आयुक्त के रूप में वर्तमान में कार्यरत हैं।

जी नहीं।

रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्र सरकार से वर्ष 2008–09 एवं 09–10 में की गई गेहूँ की मांग एवं आवंटित गेहूँ का ब्यौरा

*10– श्री शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

क्या खाद्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्र सरकार से खुले बाजार में बिक्री योजना (ओएमएसएस) के तहत वर्ष 2008–09 में कितने गेहूँ की

मांग की गयी थी और उसके सापेक्ष में कितने गेहूँ की स्वीकृति हुई और कितना गेहूँ प्रदेश सरकार को मिला ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि वर्ष 2009–2010 में केन्द्र सरकार से कितने गेहूँ की मांग की गयी है और अब तक कितना गेहूँ प्रदेश सरकार को मिला है ?

श्री दिवाकर भट्ट–

वर्ष 2008–09 में केन्द्र सरकार द्वारा मुद्रा स्फीति की प्रवृत्ति पर नियन्त्रण के दृष्टिगत उत्तराखण्ड राज्य हेतु फैस्टिवल सीजन, 2008 के निमित्त 25000 मी0टन गेहूँ रूपये 1036/– प्रति कुंटल की दर से रिलीज करने का निर्णय लिया था जिसमें उल्लेख किया गया था कि गेहूँ रिटेल कन्ज्यूमर दर पर किसी भी दशा में वितरण–व्यय (जिसमें सभी कर एवम् खर्चे यथा ब्याज, परिवहन, संग्रह, हैण्डलिंग, वितरण एवम् अन्य व्यय इत्यादि शामिल हों) रूपये 100/– प्रति कुन्टल से अधिक न हो। तत्समय गेहूँ की प्रचलित बाजार दर कम होने के कारण राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से उक्त योजना के अन्तर्गत गेहूँ का उठान नहीं किया गया।

वर्ष 2009–10 में राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार से खुले बाजार बिक्री योजना के अन्तर्गत गेहूँ की मांग नहीं की गई है, वरन् मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति पर नियन्त्रण के दृष्टिगत भारत सरकार द्वारा खुले बाजार बिक्री योजना (ओ0एम0एस0एस0) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के फुटकर विक्रेताओं के उपयोगार्थ 26477 मी0टन गेहूँ आवंटित किया गया है।

उत्तराखण्ड में आटा, सूजी एवं मैदा पर वाणिज्य कर शून्य करने के उपरान्त विक्रय मूल्य पर प्रभाव

*11— डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

क्या खाद्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि आटा, सूजी एवं मैदा पर वाणिज्य कर शून्य करने के उपरान्त उत्तराखण्ड में इन वस्तुओं के विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

श्री दिवाकर भट्ट–

माह जुलाई, 2009 से माह नवम्बर, 2009 तक आटा, मैदा एवम् सूजी की दरों में निरन्तर वृद्धि होती रही है, यद्यपि माह दिसम्बर, 2009 के प्रारम्भ में आटा, मैदा एवम् सूजी की दरों में कमी आई परन्तु माह दिसम्बर 2009 के तीसरे सप्ताह के प्रारम्भ में पुनः आटा, मैदा एवम् सूजी की प्रति कुन्टल दरों में आंशिक वृद्धि हुई है। संभवतः गेहूँ के बाजार भावों में वृद्धि के कारण गेहूँ उत्पाद की दरों पर इसका प्रभाव पड़ा है। ऐसी स्थिति में वणिज्य कर शून्य करने के उपरान्त उत्तराखण्ड में आटा, सूजी एवम् मैदा के विक्रय मूल्यों पर परिणात्मक गिरावट परिलक्षित नहीं हुई।

प्रदेश के विद्यालयों में मिड–डे मील अन्तर्गत 'ए' ग्रेड के चावलों की आपूर्ति

*12–श्री प्रीतम सिंह–

क्या खाद्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के विद्यालयों में मिड–डे मील योजना के अन्तर्गत किस ग्रेड के चावल की आपूर्ति की व्यवस्था है ?

क्या यह सत्य है कि जिस ग्रेड के चावल की आपूर्ति होनी चाहिये, उस ग्रेड के चावलों की आपूर्ति नहीं की जा रहा है ?

यदि हाँ, तो दोषियों के विरूद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर भट्ट–

जी हाँ, मिड–डे मील योजनान्तर्गत विद्यालयों में ग्रेड 'ए' के चावल की आपूर्ति की जा रही है।

उक्त योजना के अन्तर्गत जनपदों से विद्यालयों में ग्रेड 'ए' चावल की आपूर्ति न होने के सम्बन्ध में कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं लाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के सस्ते गल्ले की दुकानों में उपभोक्ताओं से मालभाड़े की वसूली

*13– श्री प्रीतम सिंह–

क्या खाद्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों में माल भाड़े की वसूली उपभोक्ताओं से की जा रही है ?

यदि हाँ, तो इसे रोकने के लिये सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की जा रही है?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर भट्ट–

जी हाँ, प्रदेश में अन्न भण्डारों से सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों तक माल भाड़े (परिवहन व्यय) की वसूली ए0पी0एल0/ बी0पी0एल0 योजना के खाद्यान्नों पर शासनादेशानुसार जिलाधिकारी द्वारा अनुमन्य दरों के आधार पर उपभोक्ताओं से की जाती है एवं अन्त्योदय योजना के खाद्यान्नों पर अन्न भण्डार से दुकान तक परिवहन व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

वर्तमान में कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

*14–श्री गणेश जोशी– स्थगित

देहरादून अन्तर्गत मसूरी में झड़ीपानी पर्यटन विकास हेतु लम्बित योजना

*15— श्री गणेश जोशी—

क्या पर्यटन मंत्री अवगत है कि जनपद देहरादून के अन्तर्गत मसूरी में झड़ीपानी जल प्रपात एवं उसके साथ सटी पर्यटन विभाग द्वारा क्रय की गई 19 एकड़ भूमि आज भी पर्यटन विकास से वंचित है ?

क्या यह सत्य है कि उक्त स्थान के विकास हेतु उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा वर्ष 1990—91 में 930 लाख रूपए की योजना तैयार की गई थी। जिसमें प्रथम चरण में 350 लाख, द्वितीय चरण में 430, तृतीय चरण में 150 लाख रूपए का व्यय प्रस्तावित था?

क्या यह भी सत्य है कि विभाग द्वारा 19 एकड़ भूमि पर वर्ष 2007 में मात्र फेंसिंग का कार्य किया गया जिसमें लगभग आठ लाख रूपए खर्च किये गये ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त लंबित योजना को कार्य रूप में परिणित करने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक—

जी हाँ।

जी हाँ। उक्त योजना तैयार कर तत्कालीन पर्वतीय विकास विभाग को स्वीकृति हेतु भेजी गयी थी किन्तु योजना पर स्वीकृति प्राप्त नही हुई।

19 एकड़ भूमि की सुरक्षा हेतु तार—बाड़ पर विभाग द्वारा रू0 9.05 लाख की धनराशि व्यय की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

*16—श्री गणेश जोशी— कई विभागों से सम्बन्धित होने के आधार पर निरस्त।

अतारांकित प्रश्न

उत्तरकाशी के बीफ एवं खरसाली में 2008 से चकबन्दी टीम द्वारा अब तक किये गये कार्य की प्रगति

1—श्री केदार सिंह रावत—

क्या राजस्व मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी के बीफ एवं खरसाली गांव में हुयी स्वैच्छिक चकबंदी को राजस्व अभिलेखों में मौके के आधार पर दर्ज करने हेतु अधिसूचना जारी की गयी ?

क्या दिनांक—01 जून, 2008 को चकबंदी टीम ने बीफ गांव में कार्य आरम्भ कर दिया था ?

क्या अधिसूचना में उक्त टीम की नियुक्ति 89 दिन के लिए की गयी थी ? यदि हाँ, तो क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि चकबंदी टीम द्वारा अब तक क्या-क्या कार्य किये गये तथा कार्य की प्रगति क्या है ?

श्री दिवाकर भट्ट-

जी हाँ। राजस्व विभाग की विज्ञप्ति संख्या 260/18(1)/2007 दिनांक 2 जुलाई, 2007 के द्वारा जनपद उत्तरकाशी के बीफ एवं खरसाली गांव में स्वैच्छिक चकबंदी योजना को विधिक स्वरूप दिये जाने हेतु अधिसूचना जारी की गयी।

जी हाँ।

जी नहीं, टीम की नियुक्ति 89 दिनों के लिए नहीं की गयी थी अपितु उन्हें कार्य की आवश्यकता व क्षेत्र की कठिनाईयों के दृष्टिगत 89 दिनों के लिए एक पदोन्नति देकर तैनात किया गया।

वर्तमान तक ग्राम बीफ एवं खरसाली ग्राम में भूमि प्रबंधक समिति एवं कृषकों में से चकबंदी समिति का गठन किया जा चुका है तथा कृषकों की उपस्थिति में ग्रामों की खतौनी का खातेदारों के सम्मुख सत्यापन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। सम्पूर्ण खातेदारों द्वारा अपना संटवारा/स्वैच्छिक चकबंदी नहीं की गयी है लगभग 50 से 55 प्रतिशत भूमि का ही संटवारा हुआ है। शेष भूमि के आपस में संटवारे/स्वैच्छिक चकबंदी हेतु कृषकों को अवगत कराया गया है। वर्तमान में स्थल पर भू चित्रों का मिलान किया जाना है।

जनपद उत्तरकाशी हेतु यात्रा सीजन में मिट्टी तेल का आवंटित कोटा

2- श्री केदार सिंह रावत-

क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी हेतु प्रतिवर्ष यात्रा सीजन में कितना मिट्टी तेल कोटा आवंटित है ?

क्या कोटा प्रतिवर्ष आवंटित होने के पश्चात् वितरित किया जाता है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार प्रति सस्ता गल्ला विक्रेता का वर्ष 2008 का ब्यौरा उपलब्ध कराने का कष्ट करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर भट्ट-

जी हाँ। यात्रा काल हेतु मिट्टी तेल का कोटा निर्धारित नहीं किया गया है। भारत सरकार से प्राप्त मिट्टी तेल के मासिक आवंटन से कटौती कर यात्राकाल में मिट्टी तेल का आवंटन किया जाता है।

जी हाँ।

सस्ता गल्ला विक्रेताओं एवं आश्रमों को यात्राकाल के दौरान आवंटित मिट्टी तेल वितरण संलग्न है। †

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद ऊधमसिंह नगर में पटवारी एवं कानूनगो के सृजित एवं कार्यरत पद

3–डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंह नगर में पटवारी और कानूनगो के कितने पद सृजित हैं तथा उसके सापेक्ष कितने पटवारी और कानूनगो कार्यरत है ?

क्या सरकार इन रिक्त पदों को भरने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर भट्ट–

जनपद ऊधमसिंह नगर में पटवारी/लेखपालों के 142 एवं राजस्व निरीक्षक (कानूनगो) के 14 पद सृजित हैं। जिसके सापेक्ष 106 पटवारी/लेखपाल एवं 11 राजस्व निरीक्षक (कानूनगो) कार्यरत हैं।

लेखपाल/पटवारी के पदों पर नियुक्ति के पूर्व नयी नियमावली के गठन/संशोधन का प्रस्ताव विचाराधीन है। राजस्व निरीक्षक (कानूनगो) के रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु मण्डल स्तर पर कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता है।

पौड़ी अन्तर्गत तहसीलों में पटवारी चौकियों के निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि एवं निर्माण की निर्धारित समय सीमा

4–श्रीमती अमृता रावत–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 2009 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या 15 के उत्तर के क्रम में क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रश्नोत्तर में वर्णित पटवारी चौकियों के निर्माण हेतु धनराशि कब–कब स्वीकृत की गयी है तथा इन चौकियों का निर्माण किन–किन निर्माण एजेन्सियों द्वारा कब से किया जा रहा है तथा कब तक इन चौकियों का निर्माण पूर्ण किया जायेगा तथा अनुबन्ध के अनुसार इन चौकियों का निर्माण पूर्ण किये जाने की निर्धारित तिथियों का चौकीवार विवरण क्या हैं ?

श्री दिवाकर भट्ट–

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2009 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–15 के उत्तर में सम्बन्धित तहसील के अन्तर्गत पटवारी चौकियों

† (देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ संख्या–164 पर)

के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 1999–2000, वित्तीय वर्ष 2004–05, वित्तीय वर्ष 2005–06 एवं वित्तीय वर्ष 2006–07 में धनराशि स्वीकृत की गयी है। इन पटवारी चौकियों के निर्माणकर्ता विभाग एवं पटवारी चौकियों के निर्माण का विवरण निम्नवत है:–

तहसील	नाम पटवारी चौकी	निर्माण एजेन्सी का नाम	प्रारम्भ करने का वर्ष	पूर्ण होने का वर्ष / तिथि
सतपुली	श्रीकोटखाल	राजस्व, विभाग	2005	अपूर्ण
	बढेथ	–ऐ–	2005	अपूर्ण
धुमाकोट	डुगरी	आर0ई0एस0पौड़ी	2005	2007
	बीरगढ़	–ऐ–	2004	2007
	हल्दूखाल	एस0,उ0प्र0जल निगम हरिद्वार	2000	अपूर्ण
	शंकरपुर	–ऐ–	2000	अपूर्ण
	अन्दरोली	–ऐ–	2000	अपूर्ण
	किनगोड़ीखाल	–ऐ–	2000	अपूर्ण
	गौलीखाल	–ऐ–	2000	अपूर्ण
	थापला	–ऐ–	2000	अपूर्ण
	ममरईखाल	–ऐ–	2000	अपूर्ण
	खदरासी	–ऐ–	16.12.02	अपूर्ण
	खाल्यूंडांडा	–ऐ–	2000	अपूर्ण
	कमन्दा	राजस्व विभाग	2005	अपूर्ण
थैलीसैंण	स्योलीखण्ड	आर0ई0एस0 पौड़ी	2004	2007
	अरकण्डई	–ऐ–	2004	2007
	ग्वीनखाल	–ऐ–	2004	2009
	चौरीखाल	सी0एण्ड0डी0एस0, उ0प्र0जल निगम, हरिद्वार	2000	अपूर्ण

	बसोला	–ए–	2000	अपूर्ण
	जसपुर	–ए–	2000	अपूर्ण
	वीरोखाल	–ऐ–	2000	अपूर्ण
कोटद्वार	उर्तिच्छ	सी0एण्ड0डी0एस0, उ0प्र0जल निगम, हरिद्वार	2000	अपूर्ण
	राजघाट	–ऐ–	2000	अपूर्ण
	कदूर	–ऐ–	2000	अपूर्ण
	सीला–3	–ऐ–	2000	अपूर्ण
	अजमेर वला–2	राजस्व विभाग	05.08.05	अपूर्ण
	अजमेर वला–3	–ऐ–	24.12.05	अपूर्ण
	अजमेर वला–1	–ऐ–	2005	अपूर्ण
	डबरसलस्यू–2	–ऐ–	2005	अपूर्ण
लैन्सडौन	दशमीरी	सी0एण्ड0डी0एस0, उ0प्र0जल निगम, हरिद्वार	2000	अपूर्ण
	कदूड बडा	आर0ई0एस0 पौडी	2004	अपूर्ण
	हथनूड	–ऐ–	2004	अपूर्ण
पौडी	रैदुल	सी0एण्ड0डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम हरिद्वार	2000	अपूर्ण
	बगानीखाल	–ऐ–	2000	अपूर्ण
	घिण्डयाडा	–ऐ–	2000	अपूर्ण
	थपलियाल गांव	–ऐ–	2000	अपूर्ण
	मरोडा	राजस्व विभाग	2007	अपूर्ण
	थली	–ऐ–	2007	अपूर्ण

	डढुवादेवी	–ऐ–	2007	अपूर्ण
	मल्ली	स0क0नि0निगम,पौड़ी	2005	कार्य पूर्ण
चौबट्टा खाल	बड़ेथ	सी0एण्ड0डी0एस0, उ0प्र0जल निगम, हरिद्वार	2000	अपूर्ण
	काण्डई	–ऐ–	2000	अपूर्ण
	धरासू	आर0ई0एस0 पौड़ी	2004	2007
	पिगलापाखा	सी0एण्ड0डी0एस0, उ0प्र0जल निगम, हरिद्वार	2000	अपूर्ण
	जैन्तोलस्यूं–1	–ऐ–	2000	अपूर्ण
	मवालस्यूं–1	–ऐ–	2000	अपूर्ण
	सिवाल	–ऐ–	2000	अपूर्ण
	चम्पेश्वर	–ऐ–	2000	अपूर्ण
	कपटियालगांव	–ऐ–	2000	अपूर्ण
	कोलागाड–1	–ऐ–	2000	अपूर्ण
	हडकोट मल्ला	राजस्व विभाग	2005	अपूर्ण

इन निर्माण कार्यों के लिए निर्माण कार्य पूर्ण करने की तिथि या अवधि के लिए निर्माण इकाई से कोई अनुबन्ध तत्समय नहीं किया गया है। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अधीन इन पटवारी चौकियों का निर्माण कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

जनपद पौड़ी के सन्तूधार की पटवारी चौकी के निर्माण कार्य की प्रगति

5– श्रीमती अमृता रावत–

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढवाल के विकासखण्ड एकेश्वर के स्थान सन्तूधार में निर्माणाधीन पटवारी चौकी का निर्माण कब प्रारम्भ किया गया और चौकी निर्माण में अब तक हुई प्रगति का विवरण क्या है तथा कब तक स्थान सन्तूधार में निर्माणाधीन पटवारी चौकी का निर्माण कार्य पूर्ण किया जायेगा ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इस निर्माणाधीन चौकी के निर्माण कार्य को पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के दिनांक 05.03.2009 के पत्र के साथ चौन्दकोट उत्थान समिति सन्तूधार के सचिव का पत्र जिलाधिकारी गढ़वाल से प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में वर्णित तथ्यों पर की गई कार्यवाही का विवरण क्या है ?

श्री दिवाकर भट्ट–

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड एकेश्वर के स्थान सन्तूधार में निर्माणाधीन पटवारी चौकी का निर्माण कार्य माह मई, 2007 में प्रारम्भ किया गया तथा चौकी का निर्माण कार्य भूतल तक पूर्ण हो चुका है। निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को निर्देश दिये गये हैं कि स्थान सन्तूधार में पटवारी चौकी का निर्माण कार्य शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करायें।

जी हां, मा0 सदस्य, विधान सभा के पत्र दिनांक 05.03.09 के संलग्नक महा सचिव चौन्दकोट उत्थान समिति, सन्तूधार के पत्र पर जिलाधिकारी पौड़ी द्वारा तहसीलदार, चौबट्टाखाल को सम्बन्धित ठेकेदार से पटवारी चौकी सन्तूधार का निर्माण कार्य तत्काल पूर्ण कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

पटवारी चौकियों के निर्माणकर्ता विभागों का विवरण

6–श्रीमती अमृता रावत–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 2009 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या–7 के उत्तर के क्रम में क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिन पटवारी चौकियों का विवरण प्रश्नोत्तर में दिया गया है, उनका निर्माण किस विभाग द्वारा कब–कब पूर्ण किया गया है ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि गुणवत्ता एवं जल विद्युत संयोजन न होने के प्रति कौन उत्तरदायी है तथा इतनी लम्बी अवधि व्यतीत हो जाने के बावजूद भी भवन निर्माण में बताई गई आपत्तियों/त्रुटियों का निवारण न किये जाने के कारण क्या हैं और कब तक इन चौकियों पर पटवारी मुख्यालय/कार्यालय स्थापित किया जायेगा ? क्या यह भी सत्य है कि वर्षों से निर्मित इन पटवारी चौकियों को उपयोग में न लाये जाने के कारण ये चौकियां दिन–प्रतिदिन क्षतिग्रस्त होती जा रही हैं ? यदि हाँ, तो इन चौकियों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर भट्ट–

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2009 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित प्रश्न संख्या–7 के उत्तर में जिन पटवारी चौकियों का विवरण दिया गया है, उन पटवारी चौकियों के निर्माणकर्ता विभाग तथा चौकियों के निर्माण कार्य का विवरण निम्नवत है:–

तहसील	चौकी	कार्यदायी संस्था	पूर्ण होने का वर्ष/तिथि
सतपुली	खैरासैण र	राजस्व, विभाग	अपूर्ण
	संगलाकोटी	–ऐ–	अपूर्ण
	केशरपुर	आर0ई0एस0 पौड़ी	2007
	बौंसल	–ऐ–	2007
धुमाकोट	इडियाकोट	सी0एण्ड0डी0एस0	अपूर्ण
	तला	उ0प्र0, जल निगम, हरिद्वार	
	नैनीडांडा	आर0ई0एस0 पौड़ी	23.03.07
	दिगोलीखाल	–ऐ–	29.06.06
	खिरैरीखाल	–ऐ–	29.06.06
	पीपली	–ऐ–	29.06.06
थलीसैण	पैठाणी	आर0ई0एस0 पौड़ी	18.12.08
	कोटिला	–ऐ–	22.07.09
	जोगीमढ़ी	–ऐ–	21.07.08
	नऊ	राजस्व विभाग	07.02.09
	तरपालीसैण	आर0ई0एस0 पौड़ी	01.08.06
कोटद्वार	बौंठा	सी0एण्ड0डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम हरिद्वार	अपूर्ण
	बल्ली	राजस्व विभाग	अपूर्ण
	नाली बडोली	–ऐ–	अपूर्ण
	काण्डाखाल	आर0ई0एस0 पौड़ी	18.12.08

लैन्सीडौन	पुल्यासू	सी0 एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम हरिद्वार	अपूर्ण
	रिंगालपानी–1	–ऐ–	अपूर्ण
	रिंगालपानी–2	–ऐ–	अपूर्ण
	कण्डखणी	राजस्व विभाग	अपूर्ण
	द्वारी	–ऐ–	अपूर्ण
	टकोलीखाल	–ऐ–	अपूर्ण
	बयालातला	–ऐ–	अपूर्ण
	जयहरीखाल	–ऐ–	अपूर्ण
यमकेश्वर	कस्याली	राजस्व विभाग	अपूर्ण
	थनूर	आर0ई0एस0 पौड़ी	पूर्ण / हस्तगत
	बिथ्याणी	राजस्व विभाग	2007
	बड़ोली छोटी	समाज कल्याण निर्माण निगम, पौड़ी	04.03.05
	तिलकधारखाल	आर0ई0एस0 पौड़ी	2006
	बणास	सी0एण्ड0डी0एस0 हरिद्वार	2006
	फल्दाकोट	राजस्व विभाग	2007
	मोहनचट्टी	–ऐ–	2007
	गैण्ड	–ऐ–	2006
	बमोडगांव	–ऐ–	2007
पौड़ी	सीरों	सी0एण्ड0डी0एस0	अपूर्ण
	बड़ियारगांव	–ऐ–	अपूर्ण
	पलोटा	–ऐ–	अपूर्ण
	बलमणा	–ऐ–	अपूर्ण
	कालेश्वर	आर0ई0एस0 पौड़ी	2007
	मल्ली	समाज कल्याण निर्माण निगम पौड़ी	11.12.07

	घण्डियाल	—	कार्य पूर्ण
	फिरोजपुर	राजस्व विभाग	अपूर्ण
	भटकोट	—ऐ—	अपूर्ण
	कोलू	—ऐ—	अपूर्ण
	बिढोली	—ऐ—	अपूर्ण
चौबट्टा खाल	सुन्दरई	राजस्व विभाग	17.07.2009
	सैन्धार	आर0ई0एस0 प्रखण्ड, पौड़ी	2007
श्रीनगर	स्वीत	समाज कल्याण निर्माण निगम, प्रखण्ड पौड़ी	05.10.07
	डुलेगौखाल	राजस्व विभाग	15.03.08

निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं जल विद्युत संयोजन हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्थायें उत्तरदायी हैं। लम्बी अवधि व्यतीत होने के उपरान्त निर्माण कार्य में बतायी गयी आपत्तियों/त्रुटियों का निवारण करने हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिये गये हैं कि तीन माह के अन्दर निर्माण कार्य पूर्ण कर हस्तगत करने की कार्यवाही तथा पटवारी मुख्यालय/कार्यालय स्थापित करना सुनिश्चित करें। पटवारी चौकियों का कार्य शीघ्र पूर्ण करवाकर इन्हें राजस्व विभाग को हस्तान्तरित करते हुये उपयोग में लाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

जिला पूर्ति अधिकारी पौड़ी द्वारा प्रबन्धक गढ़वाल एजेन्सी को एल0पी0जी0 गैस आपूर्ति के निर्देशों के अनुपालन में की गई कार्यवाही का विवरण

7— श्रीमती अमृता रावत—

क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला पूर्ति अधिकारी पौड़ी गढ़वाल के पत्रांक 744/30–6/एल0पी0जी0/पौड़ी दिनांक 26.9.2007 द्वारा प्रबन्धक गढ़वाल एजेन्सी, पौड़ी गढ़वाल को दिये गये निर्देशों के अनुपालन में की गई कार्यवाही का विवरण क्या है ?

क्या मंत्री यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उपभोक्ताओं को रसोई गैस की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने के संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं और तब से अब तक कितने–कितने अन्तराल में गैस की आपूर्ति की गई है ?

श्री दिवाकर भट्ट–

तत्समय गैस की आपूर्ति बाधित होने के कारण उक्त क्षेत्र में गैस की आपूर्ति बाधित रही। इस संबंध मे यथा निर्देश दिये गये थे। उक्त निर्देशों के अनुपालन में गढ़वाल गैस एजेन्सी द्वारा बहेड़ाखाल क्षेत्र के साथ–साथ अन्य क्षेत्रों (बगानीखाल डांडानागराजा तथा नाहरौण) में भी गैस की आपूर्ति की जा रही है।

बहेड़ाखाल क्षेत्र में माह सितम्बर, 2007 से माह अक्टूबर, 2009 तक कुल 59 उपभोक्ता/गैस कनैक्शन हैं, जिसके सापेक्ष माह अक्टूबर, 2007, मई, जुलाई, अक्टूबर एवं दिसम्बर, 2008 तथा जनवरी, फरवरी, अप्रैल, जुलाई, 2009 को छोड़कर अन्य माहों में नियमित गैस की आपूर्ति की गई है। उक्त क्षेत्र में गैस की नियमित आपूर्ति किये जाने संबंधी निर्देश निर्गत किये गये हैं।

जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत रूद्रपुर में तैनात आबकारी आरक्षी की मृत्यु के बाद देयकों के भुगतान में विलम्ब का कारण

8–श्री गोपाल सिंह–

क्या आबकारी मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत रूद्रपुर में तैनात आबकारी आरक्षी की दिनांक 24.08.2005 को आकस्मिक मृत्यु के बाद उनके देयकों का भुगतान कब किया गया,

और इसके विलम्ब के क्या कारण हैं ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि मृतक आबकारी आरक्षी के परिवार में उनके एक मात्र पुत्र को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति प्रदान किये जाने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है,

तथा कब तक नियुक्ति प्रदान की जायेगी ?

श्री मदन कौशिक–

देयकों का निम्नानुसार तिथियों में भुगतान किया गया–

(1) जी.पी.एफ रूपये 211751.00	दिनांक 01.03.2008
(2) अवकाश नगदीकरण रूपये 79680.00	दिनांक 26.04.2008
(3) चिकित्सा अवकाश रूपये 14580.00	दिनांक 16.02.2009

(4) लिंक इंश्योरेंस रूपये 30000.00 दिनांक 23.06.2009

(5) बीमा बचत निधि रूपये 56088.00 दिनांक 21.07.2009

(6) पेंशन/ग्रेच्युटी दिनांक 20.07.2009

मृतक आरक्षी श्री भुवन चन्द्र अधिकारी की मृत्यु तिथि दिनांक 24.08.2006 से पूर्व श्री अधिकारी की पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी तथा एक पुत्र व एक पुत्री नाबालिग थे। मा0 जिला न्यायालय, बागेश्वर के आदेश दिनांक 30.10.2007 द्वारा मृतक के पुत्र/पुत्री के मामा श्री घनश्याम को उत्तराधिकारी घोषित किया गया, जो सहायक आबकारी आयुक्त कार्यालय में दिनांक 04.02.2008 को प्राप्त हुआ।

उत्तराधिकारी द्वारा पेंशन प्रपत्र विलम्ब से दिनांक 26.06.2009 को जमा किये गये। उपरोक्त के अतिरिक्त कोषागार की आपत्तियों का निराकरण करने तथा बजट उपलब्ध होने में हुई देरी के कारण भुगतान किए जाने में विलम्ब हुआ।

मृतक आबकारी आरक्षी के पुत्र के दिनांक 30.06.2009 को बालिग होने के उपरान्त उनके द्वारा दिनांक 17.07.2009 को मृतक आश्रित नियमावली के अन्तर्गत अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन किया गया है। आवेदक के परिवार की आर्थिक स्थिति की जाँच की कार्यवाही गतिमान है।

यह कुटुम्ब की वित्तीय दशा का ब्यौरा प्राप्त होने पर इस आधार पर प्राप्त निष्कर्ष पर निर्भर करेगा।

जनपद हरिद्वार में तालाबों एवं जोहड़ों का रकबा तहसील के अभिलेखों में दर्ज

9– श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार में तालाबों एवं जोहड़ों का कितना रकबा तहसील के अभिलेखों में दर्ज है ?

क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि दर्ज तालाबों पर अवैध कब्जे भी किये गये हैं ? यदि हाँ, तो क्या दर्ज रकबे में आज भी तालाब दर्ज है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर भट्ट–

राजस्व अभिलेखों के अनुरूप जिला हरिद्वार में तालाबों व जोहड़ों का कुल रकबा 526.1962 है0 दर्ज है।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

सरकार द्वारा प्रदेश में राजस्व ग्रामों का सृजन

10—श्री शेर सिंह—

10— क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार प्रदेश में नये राजस्व गांवों के सृजन पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कुल कितने ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर भट्ट—

हाल ही में 19 नये राजस्व ग्रामों का सृजन किया गया है। वर्तमान में 13 राजस्व ग्रामों के प्रस्ताव मुख्य राजस्व आयुक्त के स्तर पर विचाराधीन हैं।

प्रश्न नहीं उठता है।

पिथौरागढ़ के विकास खण्ड धारचूला मुनस्यारी में जय छिपला केदार, मिलन ग्लेशियर आदि स्थानों में पर्यटन विकास हेतु योजनाएं

11—श्री गगन सिंह—

क्या पर्यटन मंत्री अवगत हैं कि जनपद पिथौरागढ़ के वि0ख0 धारचूला मुनस्यारी में जय छिपला केदार, मिलम ग्लेशियर, छोटा कैलाश, नारायण आश्रम, माँ कोकिला कनार दारमा घाटी, धारचूला कोट में पर्यटन की अपार सम्भावना है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोई कारगर नीति बना रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक—

जी हाँ।

पृथक उत्तराखण्ड राज्य के गठन के पश्चात प्रश्न में वर्णित स्थलों तथा उसके निकटवर्ती स्थलों में पर्यटन संरचना/सुविधाओं के विकास हेतु सरकार द्वारा ट्राइबल सब प्लान के अन्तर्गत रू0 577.10 लाख, केन्द्रीय वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत रू0 867.52 लाख, जिला योजना के अन्तर्गत रू0 22.50 लाख तथा राज्य सैक्टर योजनान्तर्गत रू0 78.70 लाख की धनराशि की योजनाएं स्वीकृत/क्रियान्वित की गयी/की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी के अन्तर्गत कोटद्वार में पार्किंग की व्यवस्था

12—श्री शैलेन्द्र सिंह रावत—

क्या शहरी विकास मंत्री अवगत है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत कोटद्वार शहर में यातायात की दृष्टि से पार्किंग की व्यवस्था न होने के कारण प्रति दिन शहर में जाम की स्थिति बनी रहती है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार कोटद्वार में पार्किंग की व्यवस्था बनाये जाने हेतु विचार करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक—

यद्यपि कोटद्वार नगर क्षेत्रान्तर्गत कोई अधिकृत वाहन पार्किंग स्थल नहीं है, लेकिन नगर पालिका क्षेत्र से लगभग आधा किलोमीटर दूर ग्राम सभा सिताबपुर के अन्तर्गत पालिका स्वामित्व की भूमि पर मोटर नगर (पार्किंग स्थल) बनाया गया है। जहां से वर्तमान में वाहनों का संचालन एवं पार्किंग की जा रही है।

पालिका द्वारा मोटर नगर को आईएसबीटी के तर्ज पर विकसित किये जाने हेतु यूआईपीसी, देहरादून के तकनीकी विशेषज्ञों की सहायता से परियोजना तैयार की जा रही है। वर्तमान में "मुख्यमंत्री शहरी समेकित विकास योजना" के नीति निर्धारण के उपरान्त प्राप्त होने वाले आगणन/प्रस्ताव पर नीति में दिये गये प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य सरकार की प्रदेश के कुछ गांवों को पर्यटन ग्राम घोषित करने की योजना

13—श्री शेर सिंह—

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार प्रदेश के कुछ गांवों को पर्यटन ग्राम घोषित करने की योजना बना रही है ?

यदि हाँ, तो कितने ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक—

पर्यटन ग्राम घोषित करने की राज्य सरकार की कोई योजना नहीं है।

केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत राज्य के निम्नलिखित 12 ग्रामों को पर्यटन ग्रामों के रूप में विकसित करने की कार्यवाही की जा रही है:-

1- ग्राम कसारदेवी, जनपद अल्मोड़ा।

2- ग्राम जागेश्वर, जनपद अल्मोड़ा।

3- ग्राम कोटी, इन्द्रौली, पत्यूड़, जनपद देहरादून।

4- ग्राम मोटाड़, जनपद उत्तरकाशी।

5- ग्राम अगोड़ा (डोडीताल), उत्तरकाशी।

6- ग्राम चैकूनीबोरा, जनपद चम्पावत।

7- ग्राम माणा, जनपद चमोली।

8- ग्राम सारी (देवरियाताल), रूद्रप्रयाग।

9- ग्राम त्रियुगीनारायण, रूद्रप्रयाग।

10-ग्राम नानकमत्ता, जनपद ऊधमसिंह नगर।

11-ग्राम पदमपुरी, जनपद नैनीताल।

12-ग्राम आदिकैलाश, जनपद नैनीताल।

इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2009-10 में चार गांवों-कुजॉ बहादुरपुर (हरिद्वार), थरकोट (पिथौरागढ़), सांकरी (उत्तरकाशी) एवं छोटी हल्द्वानी (नैनीताल) के प्रस्ताव भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश अन्तर्गत नये पर्यटन स्थलों का चयन कर विकसित करने की योजना

14-श्री शेर सिंह-

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के अन्तर्गत सरकार नये पर्यटक स्थलों का चयन कर उनको विकसित करने की योजना बना रही है ?

यदि हॉं, तो किन-किन स्थलों का चयन किया जा रहा है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक-

जी हॉं,

केन्द्र पोषित योजनान्तर्गत हरिद्वार ऋषिकेश-मुनिकीरेती-स्वर्गाश्रम मेघा पर्यटन सर्किट का विकास किया जा रहा है। 12 ग्रामों का पर्यटन ग्रामों के रूप में विकास किया

जा रहा है। चार गांवों–कुजाँ बहादरपुर (हरिद्वार) थरकोट (पिथौरागढ़) सांकरी (उत्तरकाशी) एवं छोटी हल्द्वानी (नैनीताल) के प्रस्ताव भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त देहरादून डेस्टिनेशन तथा पौड़ी डेस्टिनेशन के विभिन्न स्थलों के विकास के प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किये जा रहे हैं।

एशियाई विकास बैंक सहायतित परियोजना में कार्बेट टाईगर ट्रेल, हिमालयन लैण्ड स्कैप रूट (नैनीताल, बिन्सर तथा जागेश्वर), गेटवे टू हिमालयन एडवेन्चर (अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, मोस्टमानू तथा रामेश्वर) यमुना वैली हेरिटेज रूट (आसन बैराज, टाईगर फॉल, चकराता–देववन, लाखामण्डल तथा मंसूरी) तथा टौंस रिवर एडवेन्चर ट्रेल (मोरी तथा त्यूनी) का चयन किया गया है जिनका प्रस्ताव एशियाई विकास बैंक से वित्त पोषण हेतु भारत सरकार के माध्यम से भेजा जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

पिण्डारी ग्लेशियर जाने वाले पर्यटकों के आवासीय भवनों के निर्माण हेतु योजनाओं का विवरण

15–श्री शेर सिंह–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विश्व प्रसिद्ध पिण्डारी ग्लेशियर जाने वाले पर्यटकों की संख्या प्रति वर्ष कितनी है ?

क्या सरकार पिण्डारी ग्लेशियर के पर्यटकों के लिए पैदल यात्रा मार्ग तथा विश्राम हेतु आवासीय भवनों आदि के निर्माण की योजना बना रही है ?

यदि हाँ, तो निर्मित की जाने वाली योजनाओं का विवरण क्या है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

पिण्डारी ग्लेशियर में वर्ष 2008 में 1041 पर्यटकों एवं वर्ष 2009 में 2141 पर्यटकों का आवागमन हुआ।

जी हाँ,।

बिन्सर बैजनाथ बागेश्वर सर्किट योजना के अन्तर्गत पिण्डारी ग्लेशियर मार्ग पर स्थित बेस कैम्प में पर्यटक सुविधाओं का उच्चीकरण किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत लोहारखेत, धाकुरी, खाती, द्वाली, जैतोली, कथलिया मार्गों/ट्रैक मार्ग पर रैन शेल्टर/समय हाउस, पैदल मार्गों की मरम्मत/निर्माण लॉग हट्स गारबेज डिस्पोजल, लोक सुविधाओं का निर्माण, लकड़ी के बैंचों का निर्माण तथा विद्युतीकरण सम्बन्धी रू0 380.03 लाख की योजना के विरूद्ध रू0 300.00 लाख की धनराशि कार्यदायी संस्था को निर्गत की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में राजस्व पुलिस अधिनियम एवं कानूनगो राजस्व क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण

16—श्री मनोज तिवारी

16— क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में राजस्व पुलिस अधिनियम बन गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि नहीं, तो उक्त अधिनियम कब तक बनेगा ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि कानूनगो राजस्व क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण किया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक किया जायेगा ?

श्री दिवाकर भट्ट—

जी नहीं। प्रदेश में राजस्व पुलिस अधिनियम बनाने के लिए आयुक्त , गढ़वाल मण्डल की अध्यक्षता में गठित समिति कार्यरत है। समिति द्वारा अधिनियम का प्रारूप तैयार कर जिलाधिकारियों को उनके अभिमत हेतु भेजा गया है। आयुक्त, गढ़वाल मण्डल की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति के अनुरूप विधेयक आलेख तैयार किया जा सकेगा।

प्रशासनिक इकाईयों के पुनर्गठन हेतु शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 17.08.2009 द्वारा मुख्य राजस्व आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। राजस्व निरीक्षक (कानूनगो) क्षेत्रों का पुनर्गठन पर भी इस समिति की संस्तुति के उपरान्त नियमानुसार विचार किया जाना प्रस्तावित है।

जनपद पिथौरागढ़ हेतु स्वीकृत रोप—वे योजना की कार्य प्रगति

17— श्री मयूख सिंह—

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ हेतु स्वीकृत रोप—वे योजनाओं में कार्य प्रगति क्या है ?

तथा उक्त रोप—वे योजनायें कब तक पूर्ण होंगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक—

जनपद पिथौरागढ़ में किसी भी रोप—वे के निर्माण की स्वीकृति अभी तक जारी नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

18— श्री केदार सिंह रावत—

प्रथम सोमवार के अतारांकित 103 में स्थानान्तरित।

हरिद्वार तहसील के मोहम्मदपुर, कुन्हारी आदि ग्रामों का तहसील लक्सर में शामिल करने की योजना

19— हाजी तस्लीम अहमद—

क्या राजस्व मंत्री अवगत हैं कि जनपद हरिद्वार में तहसील हरिद्वार के ग्राम मौहम्मदपुर कुन्हारी, जसदरपुर, भवापुर, फूलगढ़ शिवगढ़, भोगपुर, तहसील लक्सर के बिल्कुल समीप पड़ते हैं ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार जनहित में उक्त ग्रामों को तहसील लक्सर में शामिल करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर भट्ट—

तहसील लक्सर से ग्राम मौहम्मदपुर कुन्हारी 09 किमी0, जसदरपुर (जसोधपुर) 11 किमी0, भुवापुर चमरावल 12 किमी, फूलगढ़ 08 किमी0, शिवगढ़ 06 किमी0 व भोगपुर 14 किमी0 की दूरी पर स्थित है।

प्रशासनिक इकाईयों के पुनर्गठन के लिए शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 17.08.2009 द्वारा मुख्य राजस्व आयुक्त उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। ऐसे मामलों में इस समिति की संस्तुति के उपरान्त ही शासन स्तर पर कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है।

जिला हरिद्वार में चकबन्दी में शामिल ग्रामों की भूमि के दाखिल खारिज की योजना

20—हाजी तस्लीम अहमद—

क्या राजस्व मंत्री अवगत हैं कि जिला हरिद्वार में चकबन्दी प्रक्रिया में शामिल ग्रामों की भूमि के दाखिल /खारिज करने में अनावश्यक देरी हो रही है ?

यदि हाँ, तो सरकार भूमि के दाखिल/खारिज करने में त्वरित कार्यवाई हेतु क्या कदम उठा रही हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर भट्ट—

चकबन्दी प्रक्रियाओं में शामिल ग्रामों में दाखिल/खारिज, जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा—12 व 9क (2) आदि के अन्तर्गत समय से किये जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

हरिद्वार एवं तहसील लक्सर के ग्रामों में चकबन्दी की प्रक्रिया

21— हाजी तस्लीम अहमद—

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद व तहसील हरिद्वार के ग्राम भोगपुर के रकबा बाढ़ीटीप एवं तहसील लक्सर के ग्राम अकबरपुर ऊद के फिदायीपुर और ग्राम सुलतानपुर के रकबा मुबारिकपुर आदमपुर की चकबन्दी प्रक्रिया कब से चल रही है?

क्या उक्त ग्रामों में चकबन्दी पूर्ण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? यदि हाँ, तो प्रगति रिपोर्ट क्या है ? क्या मंत्री जी अवगत हैं कि उक्त ग्रामों में चकबन्दी में समय अधिक लगने के कारण किसानों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त ग्रामों की चकबंदी शीघ्र कराये जाने पर विचार करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर भट्ट–

इन सभी ग्रामों (मजरों) में चकबन्दी के लिए गजट अधिसूचना दिनांक 07/06/2003 को शासकीय गजट में प्रकाशित हुई।

चकबन्दी की एक विधिक प्रक्रिया है एवं इसके लिए कोई सुनिश्चित समय अवधि नहीं होती तथापि एक ग्राम में चकबन्दी के लिए 60 माह का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में ग्राम बाडीटीप एवं ग्राम फिदाशीपुर में चक निर्माण हेतु अभिलेख तैयार किये जा रहे हैं। ग्राम मुबारिकपुर, सुल्तानपुर, आदमपुर में पड़ताल का कार्य गतिमान है। यद्यपि चकबन्दी प्रक्रिया से ग्रामवासियों को विशेष कठिनाई का उल्लेख नहीं मिला है तथापि इन ग्रामों में चकबन्दी कार्य को समयबद्ध आधार पर किये जाने हेतु शासन से भी निर्देश दिए जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के जिला पूर्ति कार्यालय में नियुक्त पूर्ति निरीक्षकों को पदोन्नति का लाभ

22–श्री गोपाल सिंह–

क्या खाद्य मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश में वर्ष 1971–72 से जिला पूर्ति कार्यालयों में नियुक्त पूर्ति निरीक्षक आज तक पदोन्नति से वंचित हैं ?

क्या सेवानिवृत होने वाले ऐसे पूर्ति निरीक्षकों को पदोन्नति देने पर सरकार विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर भट्ट–

जी हाँ।

जी हाँ।

निकट भविष्य में।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद ऊधमसिंह नगर के वि0 ख0 खटीमा में मिट्टी तेल की आपूर्ति में विसंगतियां

23– श्री गोपाल सिंह–

क्या खाद्य मंत्री अवगत हैं कि जनपद ऊधमसिंह नगर के विकास खण्ड खटीमा के सरकारी सस्ते गल्ले के कार्ड धारकों को प्रतिमाह मात्र 3 लीटर मिट्टी के तेल की आपूर्ति की जाती है ?

क्या यह सत्य है कि जनपद के अन्य विकास खण्डों में प्रति कार्ड धारकों को 5 लीटर मिट्टी का तेल वितरण किया जाता है ?

यदि हां, तो इस विसंगति के क्या कारण हैं ?

क्या सरकार खटीमा विकास खण्ड के कार्ड धारकों को भी जनपद के अन्य विकास खण्डों की भांति प्रतिमाह 5 लीटर मिट्टी का तेल आपूर्ति किया जाना सुनिश्चित करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर भट्ट–

जनपद ऊधमसिंह नगर के विकास खण्ड खटीमा में वर्तमान में एस0बी0सी कार्ड धारकों को 03 लीटर तथा गैस रहित कार्डधारकों को 04 से 05 लीटर तक मिट्टी तेल का वितरण किया जा रहा है।

जी हां, खटीमा तथा सितारगंज को छोडकर अन्य विकास खण्डों में एस0बी0सी0 राशन कार्ड धारकों को 03 लीटर तथा गैस रहित राशन कार्ड धारकों को 05 लीटर मिट्टी तेल उपलब्ध कराया जा रहा है।

भारत सरकार से मिट्टी तेल का आवंटन कम प्राप्त होने के कारण।

मिट्टी तेल का आवंटन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। भारत सरकार से मिट्टी का कोटा बढ़ाये जाने हेतु अनुरोध किया जा रहा है। मिट्टी तेल का बढ़ा हुआ कोटा प्राप्त होने पर उक्त विकास खण्डों में भी अन्य विकास खण्डों की भांति 03 लीटर एवं 05 लीटर मिट्टी तेल आवंटन किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं के कमीशन बढ़ाये जाने पर विचार

24–श्री गणेश जोशी–

क्या खाद्य आपूर्ति मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश के सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं को आज भी पुरानी दरों पर छः रूपये प्रति कुन्तल कमीशन दिया जा रहा है ?

क्या गल्ला विक्रेताओं को खाद्यान्न नियमित रूप से उपलब्ध नहीं किया जा रहा है ?

क्या यह सत्य है कि वर्ष 2001 में तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा गल्ला विक्रेताओं को दस प्रतिशत कमीशन दिये जाने के स्पष्ट आदेश जारी किये गये थे जो वर्तमान समय तक लागू नहीं किये गये ?

यदि हां, तो क्या सरकार उत्तराखण्ड के सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं को खाद्यान्न पर गोदाम से दुकानों तक पहुंचाने के लिये दस प्रतिशत कमीशन दिये जाने पर विचार करेगी ?

यदि हॉं, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर भट्ट–

जी हॉं,

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में भारत सरकार से राज्य को आवंटित प्राप्त खाद्यान्न की मात्रा इन योजनाओं के लाभार्थियों को उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रदेश के सस्ता गल्ला विक्रेताओं को प्रतिमाह खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।

जी नहीं, वर्ष 2001 में सस्ता गल्ला संघर्ष समिति एवं तत्कालीन मा0 मुख्यमंत्री जी से हुई वार्ता में उक्त संघर्ष समिति को रू0 6 प्रति कुन्तल लाभांश के स्थान पर रू0 10 प्रतिशत प्रति कुन्तल लाभांश दिये जाने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन कालान्तर में इस पर राज्य सरकार की सहमति नहीं हुई थी।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली पूर्णतः केन्द्रपोषित है। अतः सस्ता गल्ला विक्रेताओं को भारत सरकार के दिशा–निर्देश पर ही अनुतोष दिया जा सकता है।

यथाशीघ्र

प्रश्न नहीं उठता।

अल्मोड़ा के मानिला और नैथना देवी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा के अनुरूप कार्य प्रगति

25–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत स्थित मानिला और नैथना देवी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा दिनांक 21 मई, 2008 को तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा की गयी थी ?

क्या उक्त का आगणन सरकार द्वारा तैयार कर लिया गया है ?

यदि हॉं, तो उक्त पर्यटन स्थल बनाये जाने में कितनी लागत आयेगी तथा कब तक कार्य आरम्भ कर दिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

जी हाँ।

जी हाँ।

मानिला में विभिन्न पर्यटक सुविधाओं के विकास हेतु केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत रू0 43.15 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त मानिला का पर्यटन स्थल के रूप में विकास करने हेतु रूपये 52.13 लाख एवं नैथना देवी को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित किये जाने हेतु रू0 69.22 लाख की योजनाओं के प्रस्ताव तैयार किये गये हैं। ये प्रस्ताव शासन द्वारा स्वीकृत नहीं किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

26–श्री गणेश जोशी–

प्रथम सोम0 के अतारांकित 102 में स्था0

27–श्री गणेश जोशी–

द्वितीय सोम0 के अतारांकित 9 में स्था0

वर्ष 2009–10 में सरकार द्वारा लेवी चावल की खरीद तथा भुगतान

28–डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

क्या खाद्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2009–10 में लेवी चावल की प्रदेश सरकार द्वारा कितनी खरीद की गयी है और इस चावल का कुल कितना भुगतान किया गया तथा कितना शेष है ?

श्री दिवाकर भट्ट–

वर्ष 2009–10 में दिनांक 14.12.09 तक राज्य सरकार द्वारा कुल 722400 कुन्तल लेवी चावल की खरीद की गई है, जिसके सापेक्ष रू0 25.78 करोड़ की धनराशि का भुगतान कर दिया गया है तथा रू0 95.44 करोड़ का भुगतान किया जाना शेष है।

उत्तराखण्ड में 31 मार्च 2009 तक सहकारी एवं राजकीय चीनी मिलों की शुद्ध सम्पत्ति का विवरण

29–डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

क्या गन्ना मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड में सहकारी एवं राजकीय चीनी मिलों के पास 31 मार्च 2009 तक कुल कितनी शुद्ध सम्पत्ति है ?

श्री मदन कौशिक–

उत्तराखण्ड में सहकारी एवं राजकीय चीनी मिलों के पास 31 मार्च 2009 तक की शुद्ध सम्पत्ति (Net worth) का विवरण निम्नवत है–

चीनी मिल का नाम	शुद्ध सम्पत्ति (Net worth) (लाख रु0 में)
बाजपुर	(–) 5290.20
किच्छा	(+) 1862.38
डोईवाला	(–) 6702.71
गदरपुर	(–) 5424.85
सितारगंज	(–) 6060.58
नादेही	(–) 2990.19

जनपद हरिद्वार में खानपुर से दल्लावाला एवं लक्सर– खानपुर–बदीवाला मार्गों का सुदृढ़ीकरण

30–कुँवर प्रणव सिंह 'चैम्पियन'

क्या शहरी विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि शहरी विकास विभाग द्वारा जनपद– हरिद्वार में खानपुर से दल्लावाला एवं लक्सर – खानपुर–बदीवाला मार्गों का लोकहित में कुम्भ मेला 2010 के बजट के अन्तर्गत सुदृढ़ीकरण कराया जायेगा ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

नियम–300 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–300 के अन्तर्गत श्री हरिदास, श्री प्रेमानन्द महाजन, मौ0 शहजाद, श्री सुरेन्द्र राकेश, श्री बलबीर सिंह नेगी, श्रीमती अमृता रावत, श्री ओम गोपाल रावत तथा श्री बृजमोहन कोटवाल जी की कुल 08 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से श्री प्रेमानन्द महाजन, मौ0 शहजाद, श्री सुरेन्द्र राकेश, श्री बलबीर सिंह नेगी, श्रीमती अमृता रावत, श्री ओम गोपाल रावत तथा श्री बृजमोहन कोटवाल जी की सूचना को नियम–300 के अन्तर्गत स्वीकार कर रहा हूँ। शेष सूचनाएं अस्वीकार हुई।

चीनी उद्योग की सहकारी व सरकारी मिलों के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता मूल वेतन में समायोजित करने के सम्बंध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रेमानन्द महाजन–

[उत्तराखण्ड देवभूमि एवं औद्योगिक क्षेत्र रूद्रपुर में किच्छा शुगर कम्पनी कर्मचारियों के वेतन भत्तों का 50 प्रतिशत समायोजन मूल वेतन में हो चुका है। परन्तु अभी तक

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उत्तराखण्ड की 06 सहकारी चीनी मिलों के कर्मचारियों हेतु यह आदेश लम्बित है तथा अन्य निगमों में छठा वेतनमान जा चुका है। जबकि चीनी मिल कर्मचारियों को चतुर्थ वेतनमान ही प्राप्त हुआ है। संसदीय चुनावों से पूर्व सार्वजनिक रूप से यह घोषणा की गयी थी कि चुनाव सम्पन्न होने व आचार संहिता समाप्त होने के बाद उत्तराखण्ड में स्थित सहकारी एवं सरकारी चीनी मिलों के कर्मचारियों को 50 प्रतिशत महंगाई भत्तों को मूल रूप में समायोजित कर दिया जायेगा, किन्तु यह नहीं हुआ। जिस कारण कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। अतः माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः अनुरोध है कि अन्य निगमों की भांति चीनी उद्योग की सहकारी व सरकारी मिलों के कर्मचारियों को 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता मूल वेतन में समायोजित करने का आदेश जारी करने की कृपा करें। अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रकरण पर सदन का ध्यान आकर्षित करता हूँ तथा आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

राज्य में ए0डी0बी0 योजना के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार में चतुर्थ एवं पंचम चरण के लिये विभिन्न महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण हेतु चयन किये जाने की मांग के सम्बंध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

श्री शहजाद–

(मान्यवर, उत्तराखण्ड में ए0डी0बी0 योजना के अन्तर्गत द्वितीय एवं तृतीय चरण में रूड़की का चयन कर सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। हरिद्वार जनपद में चतुर्थ चरण एवं पंचम चरण में सड़कों का चयन कर लिया गया है। हरिद्वार जनपद की निम्नलिखित सड़कों का चयन किया जाना आवश्यक है–

1. जी0टी0 रोड खुब्बनपुर से डाडा जलालपुर से हसनपुर मदनपुर से मण्डावर तक।
2. महेश्वरी से बिनारसी से भलस्वागाज तक से मानकपुर से मौलना से बैढ़ेकी सेदाबाद तक।
3. इकबालपुर से अमरपुर से कालकी से कुन्जा से सरबेड़ी से चुडियाला तक।
4. सिकन्दरपुर से दोडबसी से धोलपुर से रूहालकी से खानपुर।
5. रामपुर मोड से चुडियाला भलस्वगाज से सुनेहेटी खानपुर मोड भगवानपुर तक।
6. बढ़ेडी से माजरा से बहादपुर सैनी से नहर की सड़क तक।

इस अति लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यानाकर्षण कर कार्यवाही की मांग करता हूँ।)

जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2008–2009 एवं 2009–2010 में एस0 सी0 पी0 योजना के अन्तर्गत कोई स्वीकृति जारी नहीं किये जाने के सम्बंध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना,

*श्री सुरेन्द्र राकेश–

(मान्यवर, उत्तराखण्ड के हरिद्वार जनपद की भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 में राज्य सेक्टर एवं एस0सी0पी0 योजना के अन्तर्गत

नोट:–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कोई स्वीकृति जारी नहीं की गयी है। जबकि इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी से कई बार निवेदन किया जा चुका है। लोक निर्माण विभाग खण्ड, रूड़की द्वारा समस्त प्रक्रिया पूर्ण कर स्टैनेट राज्य सेक्टर एवं एस०सी०पी० योजना के अन्तर्गत शासन को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिये गये हैं। लेकिन अभी तक जनहित में स्वीकृतियां जारी नहीं की गयी हैं। इस कारण से भगवानपुर की जनता में आक्रोश उत्पन्न हो रहा है क्योंकि वहां पर विकास कार्य बाधित हो रहे हैं। अधिशासी अभियन्ता, रूड़की द्वारा भेजे गये भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र के कार्यों की स्वीकृतियां तत्काल जनहित में जारी की जानी आवश्यक है। अतः इस अति लोक महत्व जनहित के विषय पर सरकार का ध्यानाकर्षण कर कार्यवाही की मांग करता हूँ।)

जनपद टिहरी गढ़वाल के ग्राम पिलखी में बिजली के झुके तारों के सम्बन्ध में नियम--300 के अन्तर्गत सूचना.

श्री बलबीर सिंह नेगी–

[मान्यवर जनपद टिहरी गढ़वाल के घनसाली तहसील के ग्रामसभा पिलखी के अनुसूचित जाति बाहुल्य तोक गैड़ कै० कर्ण सिंह के मकान के करीब बिजली के तार जमीन के करीब झूल रहे हैं जिससे आने जाने वालों को पिछले कई सालों से गम्भीर खतरा बना हुआ है। कई बार लोगों को करंट भी लग चुका है किन्तु बिजली विभाग कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, विभाग पूर्ण तरह से उदासीन हैं। अतः मेरा अनुरोध है कि इस अविलम्बनीय तात्कालिक व लोक महत्व की सूचना को नियम–300 के अन्तर्गत लेकर सरकार को प्रभावी निर्देश करने का कष्ट करें।]

श्री हंस महाराज राजकीय इंटर कालेज पोखड़ा के जीर्ण–शीर्ण भवन का पुनर्निर्माण–जीर्णोद्धार किये जाने के सम्बंध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती अमृता रावत–

मुझे सम्मानित अध्यक्ष जी की अनुमति से सदन के संज्ञान में लाना है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड पोखड़ा मुख्यालय में स्थित श्री हंस महाराज राजकीय इण्टर कालेज पोखड़ा के भवन की स्थिति अत्यधिक जीर्ण–शीर्ण हो चुकी है जिसके कारण जहां शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो रही है वहीं कभी भी कोई अप्रिय घटना घटने की आशंका बनी हुई है। मेरा मान्यवर से आग्रह है कि इस प्रकरण पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाय और उक्त विद्यालय भवन के पुनर्निर्माण/जीर्णोद्धार हेतु आवश्यक धनराशि स्वीकृत करने हेतु सरकार को निर्देशित किया जाय।

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद टिहरी गढ़वाल एवं उत्तरकाशी में निवासरत जौनपुरी एवं रवॉल्टा समुदाय को पिछड़ी जातियों की केन्द्रीय सूची में शामिल किये जाने के सम्बंध में नियम-300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री ओम गोपाल-

माननीय अध्यक्ष जी, जनपद टिहरी एवं उत्तरकाशी में निवासरत जौनपुरी एवं रवॉल्टा समुदाय के लोगों को शासनादेश सं0 279/स0क0/2004/378 समाज कल्याण/2003 दे0दून दिनांक 31 जनवरी, 2004 के द्वारा पिछड़ी जाति /समुदाय में सम्मिलित किया गया था किन्तु अब तक भी उक्त समुदाय को ओ0बी0सी0 की केन्द्रीय सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है, जबकि उक्त समुदाय को ओ0बी0सी0 की केन्द्रीय सूची में सम्मिलित किए जाने की मांग स्थानीय जनमानस एवं जनप्रतिनिधि वर्ष 2003 से लगातार करते चले जा रहे हैं। व्यापक जनहित एवं जनमानस की मांग को दृष्टिगत रखते हुए जौनपुरी एवं रवॉल्टा समुदाय को ओ0बी0सी0 की केन्द्रीय सूची में शामिल किया जाना आवश्यक है। अतः इस अविलम्बनीय तात्कालिक लोक महत्व के प्रश्न पर नियम-300 के तहत प्रभावी कार्यवाही की जाए।

जनपद टिहरी गढ़वाल के धनोल्टी नागटिब्बा जीप मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करते हुए लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित किये जाने के सम्बंध में नियम-300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बृजमोहन कोटवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, जनपद टिहरी गढ़वाल के धनोल्टी नागटिब्बा जीप मार्ग का निर्माण पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से मसूरी वन प्रभाग द्वारा किया गया था। उक्त मार्ग पर पड़ने वाले ग्रामवासियों द्वारा लम्बे समय से उक्त मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित किए जाने की मांग की जाती रही है, किन्तु अब तक भी उक्त जीप मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित नहीं किया गया है। संज्ञान रहे कि उक्त मार्ग पर दिनांक 22.11.2009 को एक बारात की जीप दुर्घटनाग्रस्त हो गयी थी, जिसमें 11 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। स्थानीय जन-प्रतिनिधियों एवं जनमानस द्वारा भी इस सम्बन्ध में कई बार शासन-प्रशासन को अवगत कराया जाता रहा है, तथा यह भी राय व्यक्त की गयी थी कि यदि वन विभाग उक्त मार्ग को हस्तान्तरित करने में असमर्थ है तो लोक निर्माण विभाग को मोटर मार्ग निर्माण की अनुमति प्रदान की जाय, तथा निर्माण के उपरांत लोक निर्माण विभाग उक्त मार्ग को पुनः वन विभाग को हस्तान्तरित कर देगा। उल्लेखनीय है कि उक्त मार्ग पर निवासरत आबादी पूर्णतः नकदी फसलों पर निर्भर करती है, तथा फल सब्जी एवं दूध का व्यवसाय कर अपनी आजीविका चलाते हैं। उपरोक्त जीप

---

*वक्ता के भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करते हुए लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित किये जाने से जहां एक ओर मोटर मार्ग रोजगार के अधिक अवसर सृजन करने में मुख्य भूमिका निभाएगा, वहीं दूसरी ओर अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल धनौल्टी एवं नागटिब्बा जैसे रमणीक स्थलों का सैलानी कम समय एवं लागत में लुत्फ उठा सकेंगे। अतः इस अविलम्बनीय तात्कालिक लोक महत्व के प्रश्न पर नियम–300 के तहत प्रभावी कार्यवाही की जाए।

कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश

श्री अध्यक्ष–

कार्यमंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 22–12–2009 की बैठक में दिनांक 23 एवं 24 दिसम्बर के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूपसे रखे जाने की सिफारिश की है:–

<u>दिसम्बर, 2009</u>

23 (बुधवार)

1. (1) वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए अनुपूरक अनुदान की मांगों पर चर्चा एवं मतदान।

2. <u>विधायी कार्य</u>

(1) उत्तराखण्ड विनियोग (2009–10) का अनुपूरक विधेयक, 2009 का पुरःस्थापन, विचार एवं पारण।

(2) उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार एवं पारण। (10 मिनट)

(3) इक्फाई विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 (संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार एवं पारण। (10 मिनट)

(4) देव संस्कृति विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार एवं पारण। (10 मिनट)

(5) हिमगिरी नभ विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी इन स्काई) अधिनियम, 2003 (संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार एवं पारण। (10 मिनट)

(6) पतंजलि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 (संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार एवं पारण। (10 मिनट)

(7) पेट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 (संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार एवं पारण। (10 मिनट)

3. <u>नियम–54 के अन्तर्गत चर्चा</u>

1. श्री प्रेमानन्द महाजन, श्री तिलक राज बेहड़ एवं डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 20 जुलाई, 2009 को प्रस्तुत नियम–54 के अन्तर्गत दी गयी निम्नलिखित सूचना पर चर्चाः–

"उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के निवासियों को जाति प्रमाण–पत्र लेने में आ रही परेशानियों के संबंध में।"

दिसम्बर, 2009

24 (बृहस्पतिवार)

1. विधायी कार्य (आधा दिन)

(1) उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965) (संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार एवं पारण। (10 मिनट)

(2) उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश विशिष्ट क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986) (संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार एवं पारण। (10 मिनट)

(3) उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973) (संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार एवं पारण। (10 मिनट)

1. असरकारी कार्य (आधा दिन)

असरकारी संकल्प

1. श्री पुष्पेश त्रिपाठी, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 27 फरवरी, 2009 को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर चर्चा:–

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड प्रदेश की राजधानी चन्द्रनगर (गैरसैंण) घोषित की जाय"

2. निम्नलिखित संकल्प का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा:–

श्री अजय टम्टा "यह माननीय सदन प्रबल सिफारिश करता है कि प्रदेश की विषम भौगोलिक परिस्थिति के दृष्टिगत तथा प्रशासनिक दृष्टि से जन सामान्य को सुविधा प्रदान किये जाने हेतु प्रदेश में वर्तमान विकास खण्डों की संख्या को बढ़ाते हुए नए विकास खण्डों के सृजन पर गंभीरता से विचार किया जाय, विशेषकर जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत मछखाली, मझोड़, जलाली, सोमेश्वर नये विकास खण्ड बनाये जाने तथा प्रदेश में लगभग 30 नये विकास खण्डों का निर्माण किए जाने हेतु शीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जाय।"

नियम–105 के अन्तर्गत चर्चा:–

1. निम्नलिखित प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा:–

(1) श्री सुरेन्द्र सिंह जीना "यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि उत्तराखण्ड में जनपद नैनीताल के अन्तर्गत रामनगर से जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत चौखुटिया तक रेलवे लाइन बिछाई जाय ताकि उक्त सुदूर क्षेत्रों का समग्र विकास हो सके।"

(2) श्री जोत सिंह गुनसोला "प्रदेश में पर्यटन की अपार सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए आधुनिक पर्यटन के नये आयाम तलाशे जाएं।"

(3) डा0 हरक सिंह रावत "यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि उत्तर प्रदेश व उत्तराखण्ड के सीमावर्ती जनपद बिजनौर के 61 ग्राम पंचायतों को उत्तराखण्ड राज्य में शामिल किया जाय।"

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष जी द्वारा सदन को दी गई है, से यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

*श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। क्या संसदीय कार्य मंत्री बदल गये हैं ? क्योंकि संसदीय कार्यमंत्री जी तो प्रकाश पन्त जी हैं। किन्तु उनके स्थान पर मदन कौशिक जी बैठे हैं। क्या महामहिम राज्यपाल जी द्वारा संशोधन कर दिय गये हैं ? अब माननीय श्री मदन कौशिक जी संसदीय कार्यमंत्री जी हो गये हैं ? उनके स्थान पर बैठ गये हैं? दूसरी सीट पर बैठ जाएं। (हंसी) वे टैन्शन में हैं।

नियम–310 के अन्तर्गत कतिपय विषयों को सुने जाने की मांग

श्री अध्यक्ष–

टैन्शन में तो नहीं दिखाई दे रहे है। (हँसी) आज नियम–310 के अन्तर्गत कुल 5 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। उसमें पहली सूचना माननीय श्री मनोज तिवारी, श्री बलबीर सिंह नेगी, श्री करन मेहरा, श्री रणजीत सिंह रावत की है जो राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को उत्तराखण्ड राज्य निर्माण एजेन्सी से हटाकर उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना निगम गठित किया गया था, इसके सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना पूर्वी पकिस्तान से आये हुए विस्थापितों को संक्रमणीय अधिकार भूमिधरी दिये जाने के सम्बन्ध में है ये सूचना माननीय नारायण पाल और श्री प्रेमानन्द महाजन की है। तीसरी सूचना

* वक्ता के भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जोत सिंह गुनसोला जी की है जो नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायतों में डिप्टी मेयर, वरिष्ट उपाध्यक्ष तथा कनिष्ठ उपाध्यक्ष का चुनाव न होना संवैधानिक संकट उत्पन्न करता है के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना श्री प्रीतम सिंह तथा गोविन्द सिंह कुंजवाल जी की है जो दिनांक 14 दिसम्बर, 2009 को एक सम्वाददाता सम्मेलन में प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कॉंग्रेस के बड़े नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि कॉंग्रेस के जितने बड़े नेता हैं उन्होंने देश का पैसा स्विस बैंकों में जमा कर रखा है, से सम्बन्धित है। पॉंचवी सूचना माननीय श्री हरिदास, श्री तस्लीम अहमद, मौ0 शहजाद और श्री सुरेन्द्र राकेश जी की है जो हरिद्वार जनपद में हरिद्वार जिला योजना से सम्बन्धित है।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, एक सूचना हमारी भी नियम–310 में है।

श्री अध्यक्ष–

आपने अपनी यह सूचना अभी दी है। ठीक है। नियम–310 के अन्तर्गत यह छठी सूचना डा0 हरक सिंह रावत, श्री केदार सिंह रावत तथा किशोर उपाध्याय जी की है जो राज्य निर्माण का मूल उद्‌देश्य राज्य में शिक्षित व अशिक्षित बेरोजगार लोगों को रोजगार प्रदान कर यहाँ के युवाओं का पलायन रोकने से संबंधित है। जो डा0 हरक सिंह रावत, श्री केदार सिंह रावत, और श्री किशोर उपाध्याय जी द्वारा दी गयी है। इसी के साथ–साथ 25 सूचनायें नियम–58 के अन्तर्गत हमें प्राप्त हुई हैं (व्यवधान) डा0 हरक सिंह रावत जी, मेरी बात सुन लीजिए। (घोर व्यवधान के मध्य)

*नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, कल प्रशिक्षित बेरोजगार नौजवानों के ऊपर लाठी चार्ज हुआ है। आज सारी कार्यवाही रोककर नियम–310 में इसकी चर्चा करायी जाय। मान्यवर, इससे ज्वलंत समस्या और कोई नहीं हो सकती है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

आज 25 सूचनाऐं प्राप्त हुई हैं, उसमें से एक सूचना इससे संबंधित भी है, उसमें ले लेंगे।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, इन बेरोजगार प्रशिक्षित नौजवानों को देहरादून शहर के जेल भेजा गया है।

---

* वक्ता के भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–58 के अन्तर्गत श्री महेन्द्र सिंह माहरा, श्री हरिदास (घोर व्यवधान)

(माननीय नेता प्रतिपक्ष डा0 हरक सिंह रावत को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण अपनी–अपनी बात कहते हुए 'वेल' में आ गये।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। जब तक माननीय सदस्यगण अपने–अपने स्थान पर नहीं बैठ जाते हैं उनकी किसी भी बात का संज्ञान नहीं लिया जायेगा। कृपया स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि सारी कार्यवाही को रोककर इस पर चर्चा करायी जाए।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। किसी भी माननीय सदस्य की बातों का संज्ञान नहीं लिया जायेगा जब तक वे अपने स्थान पर नहीं जाते।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तराखण्ड के नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।

(घोर व्यवधान)

यह सरकार नौजवान विरोधी है। 56 हजार पद खाली हैं इस प्रदेश के अंदर लेकिन इस सरकार ने नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू नहीं की। इस सदन के सम्मुख शिक्षा मंत्री जी ने दो–दो बार कहा कि हम विशिष्ट बी0टी0सी0 की प्रक्रिया को शुरू कर रहे हैं, इसके बावजूद प्रक्रिया शुरू नहीं की गयी।

(माननीय नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस के सभी माननीय सदस्य एवं बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य पूर्ववत् 'वेल' में खड़े होकर अपनी–अपनी बात कहते रहे) (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता बसपा आप लोग कृपया अपने स्थान पर जाए फिर देख लेते हैं कि इसमें क्या होगा।

(बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर चले गये और भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य पूर्ववत् 'वेल' में खड़े रहकर अपनी-अपनी बात कहते रहे और नारे लगाते रहे।)

श्री अध्यक्ष-

कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय डा0 हरक जी ने नियम-58 में सूचना दी है।

डा0 हरक सिंह रावत-

माननीय अध्यक्ष जी, बेरोजगारों का बहुत ज्वलंत मुद्दा है।

श्री अध्यक्ष-

कृपया स्थान ग्रहण करें, जब तक माननीय सदस्य अपने स्थान पर नहीं जायेंगे, सदन व्यवस्थित नहीं होगा तब तक किसी भी बात का संज्ञान नहीं लिया जायेगा। (घोर व्यवधान)

मैं सदन की कार्यवाही को 1.15 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

मार्शल विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन 3:00 बजे तक के लिए बढा दिया है।

(सदन की कार्यवाही अपराह्न 3:00 बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष-

कृपया स्थान ग्रहण करें।

कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज नियम-58 के अन्तर्गत श्री महेन्द्र सिंह माहरा, श्री हरिदास, श्री सुरेन्द्र राकेश तथा मौ0 शहजाद, श्री प्रेमानन्द महाजन, श्री नारायण पाल, श्री केदार सिंह रावत, श्री जोत सिंह गुनसोला, डा हरक सिंह रावत, श्री गोविन्द सिंह कुन्जपाल, श्री तिलक राज बेहड़, कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन", श्री यशपाल बेनाम, श्री राजेश जुवाँठा, श्री गोपाल सिंह रावत तथा श्री यशपाल आर्य, डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, श्री करन मेहरा, श्रीमती अमृता रावत, श्री मनोज तिवारी, श्री किशोर उपाध्याय तथा श्री बलबीर सिंह नेगी की कुल 20 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से श्री गोविन्द सिंह कुन्जाल, श्री सुरेन्द्र राकेश तथा मौ0 शहजाद, श्री नारायण पाल, श्री बलबीर सिंह नेगी की सूचनाओं को नियम-58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुन रहा हूँ। शेष सूचनायें अस्वीकार हुई।

श्री तिलक राज बेहड़-

माननीय अध्यक्ष जी, नियम-58 में मेरी भी महत्वपूर्ण सूचना है। जिला योजना की सड़कें हैं, एक-एक साल तक शासनादेश नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, कल भी दी थी, कल भी नहीं ली गयी, आज भी नहीं ली गयी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं क्या करूँ, मुझे 5 सूचनाएं सुननी हैं एक दिन में। (व्यवधान) आज नियम–310 के अन्तर्गत श्री रणजीत सिंह रावत, श्री करन मेहरा, श्री मनोज तिवारी तथा श्री बलबीर सिंह नेगी, श्री प्रेमानन्द महाजन तथा श्री नारायण पाल, श्री जोत सिंह गुनसोला, श्री प्रीतम सिंह तथा श्री गोविन्द सिंह कुन्जवाल, श्री सुरेन्द्र राकेश, मौ0 शहजाद, हाजी तस्लीम अहमद तथा श्री हरिदास, डा0 हरक सिंह रावत, श्री केदार सिंह रावत तथा श्री किशोर उपाध्याय की कुल 06 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से उत्तराखण्ड के शिक्षित प्रशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने सम्बन्धी डा0 हरक सिंह रावत एवं अन्य माननीय सदस्यों की सूचना तथा जनपद हरिद्वार की जिला योजना के सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र राकेश एवं अन्य सदस्यों की सूचना को नियम–58 में ग्राह्यता पर सुन रहा हूँ।

(माननीय सदस्य यशपाल बेनाम तथा भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस व बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

*श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मेरी महत्वपूर्ण सूचना है।

श्री अध्यक्ष–

सभी सूचनाएं महत्वपूर्ण हैं। (व्यवधान) कल देख लेंगे।

(माननीय नेता प्रतिपक्ष को छोड़ कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी माननीय सदस्य बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्य श्री प्रेमानन्द महाजन व माननीय सदस्य श्री यशपाल बेनाम 'वेल' में आकर अपनी बात कहने लगे।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) माननीय सदस्यों को मालूम है कि मुझे 5 सूचनाएं लेनी हैं। मैं 6 ले रहा हूँ। (व्यवधान) आप लोग आपस में तय कर लिया करें। आप लोग पार्टी स्तर पर तय कर लिया करें। (व्यवधान)

घोर व्यवधान के मध्य

श्री अध्यक्ष–

कृपया, स्थान ग्रहण करें।

---

* वक्ता के भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

('वेल' में खड़े माननीय सदस्य पूर्ववत् अपनी-अपनी बात कहते रहे।)

घोर व्यवधान के मध्य

श्री अध्यक्ष–

इसे देख लेंगे, जो ग्राह्यता की परिधि में आयेगा उसे देख लेंगे। कृपया आप लोग स्थान ग्रहण करें।

('वेल' में खड़े माननीय सदस्य पूर्ववत् अपनी-अपनी बात कहते रहे।)

घोर व्यवधान के मध्य

श्री अध्यक्ष–

सभी को पर्याप्त मौका मिलता है, आप लोग कृपया, स्थान ग्रहण करें।

(माननीय सदस्य श्री यशपाल बेनाम अपने स्थान पर वापस चले गये।)

घोर व्यवधान के मध्य

श्री अध्यक्ष–

माननीय रणजीत सिंह रावत जी, आप तो बड़े विद्वान सदस्य हैं और आप अवगत ही हैं कि मैं पांच सूचनायें ही ले सकता हूँ और मैं आज छः सूचनायें ले रहा हूँ।

('वेल' में खड़े माननीय सदस्य पूर्ववत् अपनी-अपनी बात कहते रहे।)

घोर व्यवधान के मध्य

श्री अध्यक्ष–

जब तक माननीय सदस्य अपने स्थान पर नहीं चले जाते, तब तक उनकी किसी बात का संज्ञान नहीं लिया जायेगा।

('वेल' में खड़े माननीय सदस्य पूर्ववत् अपनी-अपनी बात कहते रहे।)

घोर व्यवधान के मध्य

श्री अध्यक्ष–

सभी विषय महत्वपूर्ण हैं, कृपया आप लोग स्थान ग्रहण करें। माननीय रणजीत सिंह रावत जी, आप तो बहुत महान और विद्वान व्यक्ति हैं, आप इस सदन के वरिष्ठ सदस्य भी हैं, इस विषय को कल देख लेंगे।

('वेल' में खड़े माननीय सदस्य पूर्ववत् अपनी-अपनी बात कहते रहे।)

घोर व्यवधान के मध्य

श्री अध्यक्ष–

इसके विषय में आज कुछ नहीं कह सकता हूँ, इसे आप कल दीजियेगा, मैं इसे कल देख लूंगा। मैं यह नहीं कह सकता हूँ कि कल सुन लूंगा, कल की बात मैं आज नहीं कर सकता।

('वेल' में खड़े माननीय सदस्य पूर्ववत् अपनी–अपनी बात कहते रहे।)

घोर व्यवधान के मध्य

श्री अध्यक्ष–

यह संभव नहीं है, इस सब के लिये नियम बने हुये हैं, वह नियम आप लोगों ने ही बनाये हैं। सदन आप लोगों के माध्यम से, आपके बनाये हुये नियमों से ही चलता है।

('वेल' में खड़े माननीय सदस्य पूर्ववत् अपनी–अपनी बात कहते रहे।)

घोर व्यवधान के मध्य

श्री अध्यक्ष–

कल के लिये कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता है, आप लोग अपने दल में तय कर लें कि कौन सी पांच सूचनायें देनी हैं।

श्री यशपाल बेनाम–

माननीय अध्यक्ष जी, आप तो दल की बात कर रहे हैं, मेरी सूचनाओं को कौन निर्धारित करेगा ?

श्री अध्यक्ष–

आपकी सूचनाओं का निर्धारण हम करेंगे।

('वेल' में खड़े माननीय सदस्य पूर्ववत् अपनी–अपनी बात कहते रहे।)

घोर व्यवधान के मध्य

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) माननीय प्रीतम सिंह जी, शोभा नहीं दे रहा है आपको, आप मंत्री भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं। कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) कल का कल देख लेंगे, हो सकता है कल इससे भी गम्भीर मामला कोई आ जाय। (व्यवधान) कल देख लेंगे। कल की बात आज कैसे कह दें। आप लोगों के साथ बैठकर देख लेंगे। (व्यवधान) कल का कल देखा जायेगा। (व्यवधान) मैं 25 सूचनाएं तो नहीं ले सकता, आज भी नहीं ले सकता और कल भी नहीं ले सकता हूँ। ये कैसे बता दूँ मैं आपको। (व्यवधान)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य श्री प्रीतम सिंह, माननीय सदस्य श्री किशोर उपाध्याय, माननीय सदस्य श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल, माननीय सदस्य श्री मयूख महर, माननीय सदस्य श्री मनोज तिवारी 'वेल' में बैठ गये और नारे लगाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।) (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप आपस में तय कर लें, कल मुझे बता देना क्या करना है।

श्री तिलक राज बेहड़–

माननीय अध्यक्ष जी, कल आप कितनी सूचनायें ले लेंगे ? (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कुल 05 सूचनायें लेनी हैं। आज मैं 05 की जगह 06 सूचनायें ले रहा हूँ और कल भी मैंने 05 की जगह 06 ली हैं। कृपया स्थान ग्रहण करें। (घोर व्यवधान)

श्री बलबीर सिंह नेगी–

माननीय अध्यक्ष जी, अगर सदन कम चल रहा है तो कल सूचनायें बढ़ा दीजिए। (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

ऐसा नहीं हो सकता है, कल की कल देखेंगे। कृपया स्थान ग्रहण करें। (घोर व्यवधान)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माननीय सदस्य श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल, श्री किशोर उपाध्याय, श्री करन मेहरा, श्री प्रीतम सिंह, श्री मनोज तिवारी और श्री मयूख सिंह 'वेल' में बैठे रहे।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

(माननीय सदस्यगण 'वेल' में पूर्ववत् बैठे रहे।)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, शिक्षा आचार्य वाली सूचना को ले लीजिये।

श्री अध्यक्ष–

अन्य सूचनाएं भी मंगानी पड़ेंगी, वो भी समय मांगेंगे, इसके लिए क्या किया जायेगा ? अब जो सूचनाएं मंगायी हैं उन्ही सूचनाओं पर चर्चा हो पायेगी। सामान्यः 05 सूचनाऐं लेते हैं, कल भी मैंने 06 सूचनाएं ली हैं और आज भी मैं 06 सूचनाएं ले रहा हूँ। कहीं न कहीं हमें स्टिक करना पड़ेगा ना। आज माननीय सदस्यगणों की 25 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, इन सभी सूचनाओं को तो लिया नहीं जा सकता। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उनको कल देख लेंगे जैसा भी होगा। इसके लिए आप लोगों को ही तय करना होगा, आज भी आप लोगों को तय करना है या सूचना देने से पहले तय कर लें की कौन सी सूचना देनी है कौन सी सूचना नहीं देनी है। नियमों में 05 सूचनाओं का प्राविधान है, फिर भी मैंने शिथिल करते हुए आज भी 06 सूचनाएं ली हैं।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, आचार्य वाली सूचना। हमारी पार्टी की चार सूचनाएं तय हुई थीं। (व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

उन सूचनाओं को भी मंगाना पड़ेगा और सरकार को भी समय देना पड़ेगा।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, उन सूचनाओं में सरकार का जवाब कल आ जायेगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही 4 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

(सदन की कार्यवाही अपराह्न 4:00 बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

गन्ना मंत्री द्वारा घोषित गन्ने के मूल्यों और किसानों को दिये जा रहे मूल्यों में अन्तर पर श्री तिलक राज बेहड़ द्वारा उठाया गया व्यवस्था का प्रश्न

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय गन्ना मंत्री जी ने गन्ने के रेट ऊपर जो कहा, पिछले वर्ष भी कहा और जो घोषणा की, वह रेट नहीं मिला। मान्यवर, बड़े–बड़े होर्डिंग लगाये। मान्यवर, सरकार कह कुछ रही है और फैक्ट्रियों के अन्दर गन्ने का रेट 186 रूपये लिखा जा रहा है, जब कि घोषणा अलग है और 186 लिखा जा रहा हैं, तो मिलेगा क्या ?

गन्ना विकास मंत्री *(श्री मदन कौशिक)–

मान्यवर, इसको हम लोग दिखवा लेंगे। मान्यवर, 192 और 197 की हम यहाँ भी घोषणा कर रहे हैं, कोई धोखे में नहीं है। (व्यवधान)

*श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूँ कि 186 जो लिखा है क्या उस पर रिपोर्ट लॉज करायेंगे।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, यदि 186 लिखा होगा तो निश्चित रूप से जाँच करायेंगे और जिस स्तर से गलती हुई उसके खिलाफ कार्यवाही भी करायेंगे।

---

*वक्ता के भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

आप संगत नियमों के अन्तर्गत कल सूचना दे दें।

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम–58 में बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मान्यवर, जनपद देहरादून में साईं इंस्टीट्यूट को वर्ष 2005 में शैक्षणिक प्रयोजन हेतु जमीन क्रय करने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई शासन के द्वारा और जब उस इंस्टीट्यूट ने एम0डी0डी0ए0 से आवेदन किया कि इस भूमि पर हमें भवन बनाने की अनुमति दी जाए तो उसमें कई आपत्तियाँ लगाकर यह कोशिश की कि वहाँ पर भवन न बने और अब वहाँ पर जो नया मास्टर प्लान लागू हो रहा है, उसमें भी इस इंस्टीट्यूट ने आवेदन किया है कि जो भूमि शासन ने हमको दी है उस पर हमको भवन बनाने की अनुमति प्रदान की जाए, लेकिन वर्ष 2005 से आज तक उसमें भवन बनाने की अनुमति प्रदान नहीं की गई है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूँगा, निवेदन करता हूँ कि इस अविलम्बनीय विषय पर सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराने की कृपा की जाए।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय विधायक श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल जी ने नियम–58 के अन्तर्गत सूचना दी है। माननीय अध्यक्ष जी, जनपद देहरादून सहित समस्त उत्तराखण्ड राज्य में भूमि क्रय किये जाने की अनुमति राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रदान की जाती है। आवास विभाग विभिन्न प्राधिकरण क्षेत्रों में सुनियोजित विकास हेतु महायोजना प्रख्यापित करने की कार्यवाही की जाती है। शासन द्वारा स्वीकृत देहरादून महायोजना 2005–25 में भावी नगरीय जनसंख्या की आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति तथा देहरादून के परम्परागत शैक्षिक महत्व के साथ अन्तरिम राजधानी के आकर्षण के फलस्वरूप विकास क्षेत्र में विभिन्न आवासीय स्तर के शैक्षिक एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की प्रवृति को दृष्टिगत रखने के साथ–साथ इन संस्थानों का नगर के आर्थिक आधार में महत्वपूर्ण योगदान को रेखांकित करते हुए महायोजना में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इन सब के लिए 293.4 हे0 भूमि प्रस्तावित की गयी है। इसके अतिरिक्त महायोजना में विशिष्ट संस्थान व्यवसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान व महाविद्यालय आदि में भी पृथक से प्रस्ताव दिया गया है। मान्यवर, इसके अतिरिक्त शैक्षिक क्रियाकलापों की अनुमन्यता का प्राविधान महायोजना में प्रस्तावित अन्य प्रासंगिक भू–उपयोगों में भी किया गया है। मान्यवर, शैक्षिक प्रयोजन हेतु भूमि क्रय के ऐसे प्रकरण जो महायोजना में शैक्षिक भू–उपयोग अथवा ऐसे भू–उपयोग, जिसमें शैक्षिक प्रयोजन अनुमन्य हो, से इतर है, में उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2006 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत महायोजना संशोधन की कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जायेगा।

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, एक तरफ सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों को इंस्टीट्यूट स्थापित करने के लिए जमीन क्रय करने की स्वीकृति प्रदान की है और दूसरी तरफ सरकार के अधीन जो विभाग है वे इस पर तमाम आपत्तियां लगाकर इसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

अभी माननीय मंत्री जी द्वारा कहा गया है कि इसके प्राविधान में संशोधन पर विचार करने के लिए कह दिया है।

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, सांई इंस्टीट्यूट को एक तरफ से सरकार ने जमीन खरीदने की अनुमति दी तो उसने जमीन खरीदी और उसने तमाम तरह की कार्यवाही पूरी की, जिसके तहत उसे भवन निर्माण की स्वीकृति मिल सकती थी। माननीय अध्यक्ष जी, इसके बाद जब उसने फिर दुबारा आवेदन किया कि मुझे इंस्टीट्यूट को बढ़ाना है इसके लिए उसने कहा कि मुझे अपने बगल की जमीन खरीदनी है, तो इसके लिए शासन ने उसे स्वीकृति दे दी और उसने जमीन भी खरीद ली, लेकिन आज तक उसे उस जमीन पर भवन बनाने की अनुमति नहीं दी गयी है। माननीय अध्यक्ष जी, इसलिए इन शैक्षणिक संस्थानों में व्यवधान पैदा हो रहा है। जबकि उसने तमाम तरह की कार्यवाही पूरी कर दी है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि कितने दिन के अन्दर इसे भवन बनाने की अनुमति दी जायेगी ?

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि मैंने दो चीजें कहीं, एक तो हमारी महायोजना है। महायोजना में सारा निश्चित है कि कहां हमारे इस प्रकार के इंस्टीट्यूट होंगे। इसके इतर भी यदि कोई प्रकरण है तो उसमें मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 है, उत्तराखण्ड में इसके उपान्तरण आदेश 2006 में जो निहित प्रविधान है, इसके अन्तर्गत महायोजना में हम संशोधन की कार्यवाही किये जाने पर भी विचार करेंगे। ऐसे जो भी प्रकरण आयेंगे इसमें हम संशोधन पर विचार कर सकते हैं।

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत ही ज्वलन्त सवाल है, चूंकि देहरादून में इस तरह के कई प्रकरण हैं। जब एकेडमिक संस्थान के लिए लेण्ड परचेजिंग की अनुमति सरकार दे रही है तो स्वतः ही नेचरचेंज है, चूंकि जब आप एग्रीकल्चर लेण्ड को शिक्षा संस्थान को खरीदने की अनुमति दे रहे हैं। प्रदेश के अंदर कई प्रकरण हैं।

श्री अध्यक्ष–

इसको आप दिखवा लें।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, इस बात को मैं पूर्व में ही कह चुका हूँ।

श्री अध्यक्ष–

जिन संस्थानों को अनुमति दी गयी है उसमें बाद में कहीं महायोजना में कहीं कोई अंतर आ गया है तो उनको दिखवाकर ठीक करवा दें।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, ठीक है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल और माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

एक माननीय सदस्य एक ही सूचना पर बोलेगा।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम–58 के अन्तर्गत बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं सरकार को अवगत कराना चाहता हूँ कि हरिद्वार जनपद का गठन सन् 1989 को हुआ था और तब से दुर्भाग्य है कि विभिन्न सरकारें आयी और चली गयीं लेकिन किसी भी सरकार ने यह कोशिश नहीं की कि हरिद्वार की जनता को जो उसका हक है, जो विकास का पैसा है, जिला योजना के माध्यम से जो मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पा रहा। जब उत्तर प्रदेश में हम थे, उत्तराखण्ड के सभी निवासी उत्तर प्रदेश के निवासी थे और उत्तर प्रदेश से अलग होने के बाद हरिद्वार जनपद उत्तराखण्ड में आया, तो एक शासनादेश हुआ था कि जिला योजना का परिव्यय किस प्रकार से निर्धारित होना चाहिए। उत्तर प्रदेश राज्य योजना आयोग का शासनादेश 15 मई, 1981 को पूरे उत्तर प्रदेश में लागू हुआ और फिर उत्तराखण्ड मे भी उसी के अनुसार लागू किया गया। कहना यह चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष जी, कि जो शासनादेश हुआ था, उस शासनादेश का पालन पूर्ववर्ती सरकारों ने और वर्तमान सरकार ने आज तक नहीं किया। यह हरिद्वार की जनता के साथ बहुत ही अन्याय हुआ है। क्योंकि उसका जो पैसा है, जो हरिद्वार की जनता का हक है, जिला योजना के माध्यम से उसको नहीं मिल पा रहा है। यह शासनादेश, जिससे परिव्यय निर्धारित होता है, यह मैं आपके अवलोकन हेतु आपको प्रेषित कर रहा हूँ। इस शासनादेश के अनुसार जिला योजना का निर्धारण, जो इस वित्तीय वर्ष में होना चाहिए, वह लगभग 62 करोड़ रूपया बनता है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा परिव्यय 33 करोड़ 88 लाख मात्र है, जो आगामी वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित किया जा रहा है।

मैं कहना चाहता हूँ कि जब शासनादेश बनाये जाते हैं तो उस शासनादेश के माध्यम से शासन चलता है, उससे प्रशासन चलता है, सारी योजनाएं उसी से चलती हैं, तो उसका पालन होना चाहिए। हरिद्वार में भी और अन्य जिलों में भी उसका पालन होना चाहिए। यदि किसी अन्य जिले का परिव्यय कम है, तो उसका भी उस शासनादेश के अनुसार पूरा होना चाहिए। शासनादेश के अनुरूप यदि हरिद्वार का 62 करोड़ रूपया बनता है तो 62 करोड़ रूपया जिला योजना के माध्यम से वहाँ के विकास हेतु मिलना

चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह भी अवगत कराना चाहता हूँ कि जब वहाँ के सभी जनप्रतिनिधियों ने, वहाँ के सभी पार्टियों के विद्वान विधायकों ने, सभी साथियों ने, माननीय मंत्री जी भी उस जिला योजना की बैठक में उपस्थित थे, सभी साथियों ने इक्कट्ठा होकर शासनादेश का अवलोकन किया तो वहाँ के सम्मानित प्रभारी मंत्री को अवगत कराया कि हमारा परिव्यय निर्धारण कम हुआ है। वह शासनादेश के अनुरूप होना चाहिये, उस संबंध में तत्कालीन जिलाधिकारी ने भी एक पत्र शासन को लिखा कि हरिद्वार की जनता के साथ अन्याय हो रहा है, हरिद्वार की जनता को उसका हक नहीं मिल रहा है। हरिद्वार की जनता को उसका हक जिला योजना के माध्यत से मिलना चाहिये, दिनांक 30–10–2007 को यह अर्द्धशासकीय पत्र शासन को लिखा गया था। लेकिन इस पत्र के आने के बाद भी, शासन के, सरकार के कान पर जू भी नहीं रेंगी। उसने यह जानने की कोशिश नहीं की कि हरिद्वार की जनता के साथ क्यों अन्याय हो रहा है, उनका हक उन्हें क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं उनका अधिकार उन्हें मिलना चाहिए ? माननीय अध्यक्ष जी, मैंने शासनादेश आपको उपलब्ध करा दिया है, उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि 50 प्रतिशत जनसंख्या के आधार पर परिव्यय निर्धारित होना चाहिये। जनसंख्या के आधार पर हमारे जनपद के 40 करोड़ रूपये बनते हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति के आधार पर 5 प्रतिशत होना चाहिये, इसमें हमारा 4 करोड़ रूपया बनता है, भौगोलिक स्थिति के हिसाब से 1 करोड़ रूपये बनता है। इसी प्रकार से फारेस्ट एरिया कवर के हिसाब से 1 करोड़ रूपये बनता है और अन्य 35 प्रतिशत के हिसाब से 5 करोड़ रूपये बनते हैं।

मान्यवर, सीमान्त कृषकों, भूमिहीन कृषकों की संख्या, औद्योगिक पिछड़ापन, विद्युतीकृत गांवों का पिछड़ापन, पेयजल से अभावग्रस्त गांव आदि को सम्मिलित करते हुये लगभग 62 करोड़ रूपये परिव्यय निर्धारित करने का आधार बनता है, शासनादेश के अनुरूप। जिलाधिकारी ने भी इस संबंध में संस्तुति करके शासन को भेजी थी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि जिसका हक है, उसे उसका हक मिलना ही चाहिये, किसी की कटौती नहीं की जानी चाहिये, यदि कटौती हो रही है तो उसे पूर्ण करनी चाहिये। अतः इस अति लोक महत्व के प्रश्न पर, जनता से जुड़े इसे विषय पर जरूर कार्यवाही करें और इस सदन से निवेदन करूंगा कि इस विषय पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराई जाय।

श्री अध्यक्ष–

माननीय शहजाद जी, आपकी अन्य सूचना दूसरे विषय पर भी है, मैं समझता हूँ कि आप उस पर बोलेंगे।

श्री शहजाद–

मान्यवर, मैं उसी पर बोलूंगा।

*हाजी तस्लीम अहमद–

माननीय अध्यक्ष जी, हरिद्वार की जिला योजना के बारे में माननीय सुरेन्द्र राकेश

*वक्ता के भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जी ने डिटेल से बताया है कि कैसे हरिद्वार जिले के साथ अन्याय हो रहा है। हमारे जिले में आज तक जो भी पिछले कार्य हुये हैं, उनका भी पैसा नहीं मिला है। पिछले साल की जिला योजना के काम कुछ जगहों पर प्रारम्भ भी नहीं हुये हैं, इसलिये क्योंकि ठेकेदार को भुगतान नहीं मिलता है। उन्होंने काम ज्यों के त्यों रोक रखे हैं। इसलिये माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से हमारी तो यही मांग है कि जो जिसका हक है, उसे मिलना चाहिये और पूरा हक मिलना चाहिये। जनता के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिये। मेरी तो यही मांग है कि हमारी जिला योजना, जो 62 करोड़ के लगभग है, वह हमें मिलनी चाहिये।

श्री हरिदास–

माननीय अध्यक्ष जी, वैसे तो सारी बात माननीय सुरेन्द्र राकेश और हाजी साहब ने कह दी है, मैं तो निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी भी हमारे ही जिले से विधायक हैं, तो वे भी हरिद्वार के हित में अच्छा सोचें। आज उनके पास मौका भी है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी सदन में नहीं हैं और उनके पास चार्ज है। तो हमारे जिले के लिये जो 62 करोड़ रूपये की धनराशि जिला योजना में बनती है, वह शीघ्र मिलनी चाहिये।

नगर विकास मंत्री (श्री मदन कौशिक)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सुरेन्द्र राकेश जी, माननीय हाजी तस्लीम अहमद जी ने नियम–58 के अन्तर्गत हरिद्वार जिला योजना से संबंधित विषय यहां पर रखा है। उसके संबंध में मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि जैसा माननीय सदस्य ने शासनादेश का उल्लेख स्वयं ही किया, उससे पूर्व भी केन्द्रीय जिला योजना के परिव्यय के समग्र आवंटन हेतु, जो पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश है। मान्यवर, 1982–83 में भी केन्द्रीय नियोजन प्रणाली के अंतर्गत पूरे प्रदेश को दो भागों में उस समय डिवाईड किया गया था। मैदानी क्षेत्रों के लिए परिव्यय आवंटन के लिए अलग नियम बनाये गये थे और पर्वतीय अंचल की विशेष स्थिति और पर्वतीय क्षेत्र के विभिन्न जिलों की समस्याओं के दृष्टिगत, विषम भौगोलिक परिस्थिति के लिए अलग परिव्यय आवंटन के नियम उन्होंने बनाये थे। और उनके अनुसार ही 1982 और 83 में जिलों का परिव्यय तय किया गया था। और जैसा माननीय विधायकगणों ने अपने पत्र के माध्यम से कहा कि 15 मई, 1981 के अनुसार परिव्यय 62 करोड़ होना चाहिए। इस संबंध में जो शासनादेश के अनुसार, नियमों के अनुसार वो जनपद हरिद्वार का पिछले 4–5 सालों का मैं वर्णन कर रहा हूँ जो बैठता है वो 96 और 97 में 11 करोड़ 39 लाख, 97–98 में 12 करोड़ 21 लाख (व्यवधान)

श्री शहजाद–

माननीय मंत्री जी, हम कहानी नहीं सुन रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, जिस शासनादेश का उल्लेख माननीय सदस्यगणों ने किया, उस शासनादेश के अनुरूप पूरे प्रदेश को दो भागों में डिवाईड किया गया था। उसी शासनादेश

का मैं उल्लेख कर रहा हूँ कि पर्वतीय अंचल और मैदानी अंचल उसमें एक नियम बना है, जिस नियम का उन्होंने उल्लेख किया, उन्हीं नियम की मैं भी बात कर रहा हूँ। हरिद्वार की जो जिला योजना तय की गयी थी, चूँकि हरिद्वार से संबंधित है। (व्यवधान) मान्यवर, मैंने कहा कि 1981 में जो शासनादेश था उसमें पूरे प्रदेश को दो भागों में डिवाईड करते हुए एक जिला योजना का पूरा प्लान, पूरे प्रदेश का तैयार किया गया जिसमें (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, तीन भागों में डिवाईड किया था।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, दो भागों में डिवाईड किया गया था। माननीय सदस्य को पहले सुनने की भी स्थिति होनी चाहिए। हर समय बोलने वाली स्थिति रहेगी तो भी ठीक नहीं है। मैं जानकारी दे रहा हूँ, कागज दे रहा हूँ। आपसे ज्यादा कागज मेरे पास हैं। (व्यवधान) मैं सब कुछ बता रहा हूँ, पूरा वर्णन कर रहा हूँ। दो भागों में डिवाईड करने के बाद और जब राज्य का गठन हुआ और गठन के पूर्व उत्तर प्रदेश शासन उत्तरांचल विकास टेक्निकल सेल लखनऊ के शासनादेश संख्या 1998/28/टी0सी0/28/99, दिनांक 17 मई, 2000 के अनुसार जिलावार आवंटन, जो परिव्यय है, वो निम्नवत् रखा जाय मान्यवर, नैनीताल का 25 करोड़, ऊधमसिंह नगर का 26 करोड़ 30 लाख, अल्मोड़ा का 28 करोड़ 38 लाख, बागेश्वर का 20 करोड़ 84 लाख, पिथौरागढ़ 27 करोड़ 60 लाख, चम्पावत का 20 करोड़ 54 लाख, देहरादून का 35 करोड़ 90 लाख और उसी में मैंने हरिद्वार का बताया। जो मैंने वर्णन किया उससे स्पष्ट है कि हरिद्वार की जिला योजना जो उस समय 14 करोड़ थी और राज्य बनने के बाद 20 करोड़ 40 लाख आवंटित हुआ। मान्यवर, इससे स्पष्ट है कि हरिद्वार के जिला सेक्टर में पूर्व जो आवंटित परिव्यय है उसी रूप में किया गया और उसमें हर साल जो प्राविधान किया गया है 10 प्रतिशत बढ़ाकर रखा जाता है इस वर्ष वो किसी भी जनपद में 10 प्रतिशत बढ़ाने का प्रविधान नहीं किया गया। जो नियम के अनुसार निर्धारित है उसी को जिला प्लान हरिद्वार में भी रखा गया। इसमें कहीं किसी प्रकार का भेदभाव न करने की गुंजाईश है, न किया गया है। (व्यवधान)

श्री शहजाद–

जो माननीय मंत्री जी कह रहे हैं वो सरासर सत्य से परे की बात है। शासनादेश में तीन कैटेगरी बांटी गयी है मैदानी क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र और मैदानी एवं पर्वतीय क्षेत्र। (घोर व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैं वही कह रहा हूँ। (व्यवधान)

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

मान्यवर, जैसे देहरादून जनपद है वह मैदानी और पर्वतीय दोनों है, एक शुद्ध रूप से मैदानी है और एक शुद्ध रूप से पर्वतीय है, एक तीसरी कैटेगिरी है जिस जिले में आधा हिस्सा मैदानी और आधा हिस्सा पर्वतीय है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, इसमें पर्वतीय और मैदानी का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपने हरिद्वार के बारे में पूछा है।

श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी सही बात नहीं कह रहे हैं। जो तत्कालीन जिलाधिकारी का पत्र आया है शासन को, उसमें 2007 में लगभग 50 करोड़ रूपये की जिला योजना होनी थी। वह शासनादेश है, इसमें तीन कैटेगिरियों में बंटा हुआ है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, वर्ष 2007 का जिलाधिकारी का पत्र शासनादेश तो नहीं हो जायेगा। (व्यवधान)

(बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य 'वेल' में आ गये और अपनी बात जोर–जोर से उठाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र राकेश, माननीय सदस्य श्री तस्लीम अहमद, माननीय सदस्य श्री हरिदास और माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं सूचना को अग्राह्य करता हूँ। माननीय शहजाद जी, कृपया स्थान ग्रहण करें। (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

जब तक माननीय सदस्य अपने स्थान पर नहीं जायेंगे तब तक उनकी किसी भी बात का संज्ञान नहीं लिया जायेगा। (घोर व्यवधान)

('वेल' से किसी माननीय सदस्य द्वारा जिलाधिकारी के पत्र का उल्लेख करने पर)

श्री अध्यक्ष–

जिलाधिकारी अन्तिम व्यक्ति नहीं है। कृपया स्थान ग्रहण करें। (घोर व्यवधान)

(बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्य मौ0 शहजाद, श्री नारायण पाल, श्री हरिदास, श्री तस्लीम अहमद और श्री सुरेन्द्र राकेश जी 'वेल' में आकर अपनी बात को जोर–जोर से कहने लगे और जोर–जोर से नारे लगाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। कृपया आपस में बात मत करें।

(घोर व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, माननीय सदस्यों की जो समस्या है, जो पीड़ा है वह विकास की पीड़ा है। निश्चित रूप से हरिद्वार जनपद में जो जिला योजना में कटौती की गई है। जिस अनुपात में वृद्धि होनी चहिए थी उस अनुपात में वृद्धि नहीं हुई है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूँ कि इस पर विचार कर लें कि हरिद्वार की जिला योजना को जिस रूप में, जिस अनुपात में आवश्यकता है उस अनुपात में वृद्धि करने पर विचार कर लें।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, 2008 में इस पर एक आश्वासन भी बना हुआ है, जिस पर कार्यवाही की जा रही है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, जिस शासनादेश का उल्लेख माननीय सदस्य कर रहे हैं, जो विरोधाभास है, इसका परीक्षण करवा लें। जो न्यायोचित हो वह पूरा कर दें।

(घोर व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, शासनादेश के अनुसार 1981 में पूरे प्रदेश को बांटा गया उसके अनुसार हर जिले का परिव्यय तय हो गया। उसके बावजूद जो आपने कहा है उसका परीक्षण भी करवा लेंगे और जो 2008 में आश्वासन दिया है उस पर भी कार्यवाही गतिमान है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय शहजाद जी, कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय मंत्री जी ने कह दिया है कि जो शासनादेश है और जो बिन्दु हैं उनमें अगर कोई विरोधाभास होगा तो उसका परीक्षण करवा लेंगे। जो न्यायोचित होगा उसका अनुपालन हो जायेगा।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, जो शासनादेश वर्ष 1991 में था, उसके अनुसार 1981 से लगाकर और लगातार जब तक राज्य नहीं बना तो आवंटन प्रत्येक जिलों का था, उसमें हरिद्वार जिला भी था। आपका कहना है कि उस शासनादेश के अनुसार 62 करोड़ रूपया बैठता है और उस शासनादेश का परीक्षण करा लिया जायेगा। उस परीक्षण के बाद उस शासनादेश में कहां कमी रही उसको दिखवा लिया जायेगा। इसके विपरीत वर्ष 2008 में एक प्रश्न के उत्तर में, जिसमें आश्वासन भी बना था, उस पर कार्यवाही चल रही है।

श्री अध्यक्ष–

अब पूरी बात आ गयी। कृपया अपना–अपना स्थान ग्रहण करें।

('वेल' में खड़े बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण अपने–अपने स्थान पर चले गये।) (व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नारायण पाल जी, शिक्षा आचार्यों को समायोजन से वंचित, बेरोजगार शिक्षा आचार्यों, निदेशकों के बारे में सूचना है, कृपया उसके सम्बन्ध में बतायें।

*श्री नारायण पाल–

माननीय अध्यक्ष जी, आपको भी इस बात की जानकारी है कि शिक्षा आचार्य/अनुदेशकों के समायोजन की बात की गयी थी, जो सरकार का आश्वासन भी था। जब वह आश्वासन पूरा नहीं हुआ, तब शिक्षा आचार्य, अनुदेशक शान्तिपूर्वक यहाँ पर अपनी बात को रखने जा रहे थे। लेकिन सरकार ने उनको गिरफ्तार किया और मारा–पीटा आज भी जो दर्जनों शिक्षा आचार्य और अनुदेशक हैं वह जेल में हैं। एक तरफ सरकार समायोजन की बात इस सदन के अन्दर करती है, दूसरी तरफ उनको मार–पीट कर जेल में डाला जाता है। आप भी महसूस करते होंगे कि उत्तराखण्ड राज्य बना और बहुत सारे लोगों ने यह कल्पना की थी कि हमारा समायोजन होगा और जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलेगा। आज वे जब अपने रोजगार की बात करते हैं, उनके साथ जिस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है आप खुद महसूस कर सकते हैं। अगर सरकार आश्वासन देने के बाद उनके साथ अनुचित व्यवहार करती है तो मैं आपके माध्यम से सरकार को सचेत करना चाहता हूँ। जो बहुत सी अपनी मांग के लिए बाहर बैठे हुए लोग हैं, उनको आज भी रोजगार नहीं मिला। आज भी वे लोग सड़कों पर बैठे हैं और आन्दोलनरत् हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं सरकार के उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि इस विषय पर अपना वक्तव्य दें कि किन परिस्थितियों पर इनको समायोजित करने की बात कही थी और किन परिस्थितियों में उनको जेल में डाला।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि नियम–58 के तहत शिक्षा आचार्य, अनुदेशक, स्वयं सेवक जो प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा विद्यालयों में शिक्षा अभियान के तहत, जो भारत सरकार का पूरे देश में एक अभियान है कि हिन्दुस्तान में कोई भी बच्चा अशिक्षित न रह जाय, इस सर्व शिक्षा अभियान के तहत जिन गांवों में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं थे, उन स्थानों पर ऐसे विद्यालय एवं ऐसे केन्द्र संचालित किये गये। माननीय अध्यक्ष जी, उन केन्द्रों पर ऐसे नवयुवक और नवयुवतियों को नौकरी दी गयी, सेवा का अवसर दिया गया जिनकी अर्हता हाईस्कूल थी। उसमें यह

* वक्ता के भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रविधान भी था कि पहली प्राथमिकता जिस विद्यालय में यह शिक्षा केन्द्र सर्व शिक्षा अभियान के तहत खोला गया है उस गांव के बेरोजगार नवयुवक और नवयुवतियों को प्राथमिकता दी जाए और दूसरे स्थान पर समीपवर्ती गांव के नौजवान युवक युवतियाँ और तीसरे स्थान पर ब्लाक पर, अगर ब्लाक में नहीं मिले जो जिले स्तर, यह प्राविधान शिक्षा आचार्यो की नियुक्ति के समय किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, पहले इनका मानदेय 1000 रूपया रखा गया, और बाद में संशोधित करके रूपया 1500 और फिर 2500 रूपया किया गया। इन शिक्षा आचार्यों को डायट के माध्यम से एक माह का प्रशिक्षण भी दिया गया। माननीय अध्यक्ष जी, जिस तरह से शिक्षा मित्रों के लिए व्यवस्था की गयी प्रशिक्षण की, उसी तरह इन लोगों को भी प्रशिक्षण दिया गया लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, आज ये हजारों शिक्षा आचार्य बेरोजगारी के कगार पर खड़े हैं और लगातार संघर्ष कर रहे हैं। पिछले तीन वर्षों से सरकार के माननीय मंत्रिगणों को, माननीय सभी सदस्यों को ये शिक्षा आचार्य अपनी मांग को लेकर समय समय पर ज्ञापन देते रहे हैं।

इस संबंध में जब पिछले सदन में यह विषय आया था माननीय अध्यक्ष जी, सरकार ने आश्वासन दिया था और सरकार के माध्यम से सचिव स्तर पर भी इनको आश्वासन दिया गया है कि शिक्षा मित्रों के रूप में इनकी नियुक्ति पर विचार किया जाय। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा यह निवेदन है कि जो सरकार ने इनको आश्वासन दिया था उस आश्वासन को सरकार पूरा करे, और इन हजारों शिक्षा आचार्यों को जो मैं सोचता हूँ कि हर विकासखण्ड में सैकड़ों की तादाद में हैं, इनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार को कोई उपाय करना चाहिए, समाधान निकालना चाहिए। जिससे कि जो बाहर शिक्षा आचार्य धरने पर बैठे हैं वे अपने गांव जाकर, अपने विद्यालय में जाकर, इस प्रदेश के बच्चों के भविष्य को संवारने का काम कर सकें।

शिक्षा मंत्री *(श्री गोविन्द सिंह बिष्ट)–

माननीय अध्यक्ष जी, नियम–58 के अन्तर्गत नेता प्रतिपक्ष और माननीय नारायण पाल की सूचना के संबंध में मैं बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार की सर्व शिक्षा अभियान योजना के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षा आचार्यों के लिए शिक्षा गारन्टी योजना वर्ष 2003 में प्रारम्भ हुई थी और भारत सरकार द्वारा वर्ष 2007–08 से इन शिक्षा गारन्टी योजना को बन्द करने का निर्णय लिया गया। जिसके कारण 1745 शिक्षा आचार्यों के समक्ष यह स्थिति उत्पन्न हो गयी। उत्तराखण्ड शासन द्वारा अपने वार्षिक कार्य योजना एवं बजट में भी उक्त केन्द्रों का संचालन प्रस्तावित किया गया था लेकिन भारत सरकार द्वारा इसको अस्वीकार कर दिया गया और यह भी निर्देशित किया गया कि प्राथमिक विद्यालय में केवल नियमित शिक्षक ही नियुक्त किये जायं। मान्यवर, शिक्षा आचार्यों को शिक्षा मित्र में समायोजित करने पर समस्त वित्तीय भार राज्य सरकार पर ही निहित है। शिक्षा विभाग द्वारा प्रश्नगत प्रकरण को वित्त विभाग के परामर्श/सहमति हेतु संदर्भित किया

---

* वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गया है। वित्त विभाग के परामर्श के प्राप्त होने पर ही परामर्शनुसार आवश्यक कार्यवाही सम्भव हो पायेगी।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, सचिव, शिक्षा के द्वारा 10 नवम्बर, 2009 को एक पत्र शिक्षा आचार्यों को लिखा गया, क्योंकि आपका प्रकरण शिक्षा आचार्यों को शिक्षा मित्र में समायोजित करने का है, जिसमें वित्तीय भार भी निहित है अतः शिक्षा विभाग द्वारा प्रश्नगत प्रकरण को वित्त विभाग की परामर्श/सहमति अपरिहार्य है। अतः प्रशासनिक विभाग द्वारा वित्त विभाग के परामर्श से संदर्भित किया जा रहा है। अतः निर्णय में 3–4 सप्ताह तक मान्यवर, 10 नवम्बर को पत्र लिखा गया, लगने की सम्भावना है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि 3–4 सप्ताह सरकार ने स्वीकार किया कि लगने की सम्भावना है, तो क्या सरकार 10 नवम्बर से 3–4 सप्ताह में इस पर विचार करेगी ?

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से 3–4 सप्ताह के भीतर हमने जो प्रक्रिया गतिमान करी है और वह वित्त में भेजी है और परामर्श मिलने के बाद नियुक्ति करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

श्री नारायण पाल जी, डा0 हरक सिंह रावत जी और माननीय मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इसको अग्राह्य करता हूँ।

श्री बलबीर सिंह नेगी–

मान्यवर, आपने नियम–58 के अन्तर्गत सूखे के संदर्भ में कार्यस्थगन प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे अपने विचार व्यक्त करने का सुअवसर दिया। श्रीमन्, हिमालय पूरे देश के मौसम को नियंत्रित करता है और इस साल पूरे उत्तराखण्ड के जगलों में जो आग लगी उससे पूरे उत्तराखण्ड में हाहाकार मचा है और जिसके कारण आज पूरे प्रदेश के अन्दर सूखे की स्थिति पैदा हुई है और मैं चाहता हूँ कि प्रदेश सरकार, आग आगे न लाग सके उत्तराखण्ड राज्य के जंगलों में, उसके लिए पुख्ता इंतजाम करे, यह हमारा कहना है। श्रीमन्, एक कहावत है कि "जब रोम जल रहा था तो वहाँ का शासक नीरो बंशी बजा रहा था"। श्रीमन्, मई–जून के महीने में जब उत्तराखण्ड के जंगल आग से धू–धू कर जल रहे थे, 11 बेशकीमती जानें पौड़ी जनपद में आग की भेंट चढ़ गई।

कृषि मंत्री (श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत)–

मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि सवाल सूखे से संबंधित है, जो सवाल है उस पर करें। (व्यवधान)

श्री बलबीर सिंह नेगी–

मान्यवर, 11 बेशकीमती जानें आग की भेंट चढ़ गई और पूरे गाँव–शहर में पानी का हाहाकार मचा था। मान्यवर, दूसरी ओर माननीय जनता पार्टी के इस प्रदेश के नेता, मंत्रिगण और विधायक सत्ता परिवर्तन के लिए दिल्ली दौड़ रहे थे। (व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया प्रश्न पर आयें। आप विषय पर बोलें। कोई भाषण नहीं हो रहा है।

श्री बलबीर सिंह नेगी–

मान्यवर, मैं सूखे के बारे में कह रहा हूँ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शांत रहें। माननीय विधायक जी, आप मूल विषय पर ही बोलें। जो विषय की सीमा है आप वहीं तक अपने को सीमित करें। (व्यवधान)

श्री बलबीर सिंह नेगी–

मान्यवर, मैं संदर्भ से बाहर नहीं जा रहा हूँ। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, माननीय चीमा जी और माननीय जैन जी ने काफी पीड़ा सही है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप बैठ जाईये। (व्यवधान)

श्री बलबीर सिंह नेगी–

मान्यवर, उस मई,जून के महीने में पूरे निदेशालय, सचिवालय में सब काम ठप्प था, जिससे भी काम करने के लिए, आग बुझाने के लिए बात करते वही सरकार के बारे में बतियाने लगता। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय बलबीर सिंह नेगी जी, आप सूखे के बारे में कह रहे हैं आप अपने को वहीं तक सीमित रखिये। (व्यवधान)

श्री बलबीर सिंह नेगी–

मान्यवर, मैं मई–जून माह की बात कर रहा हूँ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

उस समय तो सूखा होता ही है, क्या मई–जून माह में बारिश होती है ? कृपया आप अपने आप को सीमित करें। (व्यवधान)

श्री बलबीर सिंह नेगी–

मान्यवर, ऐसा लगा जैसे आम जनता का एजेण्डा गोल है। एक ही एजेण्डा था। [XXX] (व्यवधान)

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, जो व्यक्ति सदन के अंदर नहीं है, उसके बारे में बात नहीं की जानी चाहिए। (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय मंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत और माननीय सदस्य श्री हरभजन सिंह चीमा एवं श्री सुरेश जैन अपनी–अपनी सीट पर उठ गये और एक साथ अपनी–अपनी बात कहने लगे।) (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री बलबीर सिंह नेगी–

श्रीमन्, जब प्रदेश के अन्दर भयंकर सूखा था, और इसके कारण

श्री अध्यक्ष–

फिर वही बात, मैं अनुमति नहीं दे पाऊंगा। पूर्व मुख्यमंत्री और माननीय खण्डूडी जी से सम्बन्धित जो भी वक्तव्य आया है उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री बलबीर सिंह नेगी–

श्रीमन्, सूखे के कारण पूरे प्रदेश में जो प्राकृतिक जलस्रोत थे, वह सब सूख गये और रही सही कमी (हंसी)

श्री अध्यक्ष–

आप कितने गम्भीर हैं, यह आपके माननीय सदस्यों की हंसी से पता चलता है।

श्री बलबीर सिंह नेगी–

श्रीमन्, मुझे आपका संरक्षण चाहिए। पूरे प्रदेश के अन्दर प्राकृतिक स्रोत सूख गये और रही सही कमी पेयजल निगम और जल संस्थान के अधिकारियों और कर्मचारियों ने पूरी कर दी। जिन्होंने बरसाती स्रोत से पेयजल पाईप लाईनें बिछाकर अरबों रूपये डकार दिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप विषय को कहां से कहां ले जा रहे हैं, यह कोई भाषण नहीं हो रहा है। (सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री बलबीर सिंह नेगी–

मान्यवर, सूखे से पेयजल भी ग्रसित हुआ है। (व्यवधान)

नोट–[XXX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष–

माननीय बलबीर जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आप बहुत पुराने सदस्य हैं। (व्यवधान) ऐसा न हो कि मुझे कार्यवाही से सब निकलवाना पड़े, अनावश्यक रूप से। (व्यवधान) मई–जून में सूखा ही होगा, मई–जून में कोई बारिश थोड़ी हो रही थी। (व्यवधान)

श्री बलबीर सिंह नेगी–

मान्यवर, आपका संरक्षण चाहिए। हमारा कहना है, मान्यवर, यह कुदरत का सूखा भर नहीं है। यह सरकार की नीतियों का सूखा है। (मेजों की थपथपाहट) यह सरकार की गतिशीलता का सूखा है, यह सरकार की संवेदनशीलता का सूखा है। यह सरकार के सच को स्वीकार करने का सूखा है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, सच को न स्वीकार करने का सूखा है। (व्यवधान)

श्री बलबीर सिंह नेगी–

श्रीमन्, सच को स्वीकार करने का सूखा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

पहले आपस में तय कर लीजिए कि न करने का या करने का । (व्यवधान) आपके नेता जी कुछ और कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, इतना गंभीर मसला है, इस तरह से अगर हा–हा करेंगे तो इसका प्रदेश में क्या संदेश जाएगा ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय बलबीर सिंह जी, मैं किशोर उपाध्याय जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। बहुत गंभीर मामला है और आप इस तरह हल्केपन से इसको कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री बलबीर सिंह नेगी–

मान्यवर, बादल कोई मुख्यमंत्री नहीं है, जो हमेशा फाईलों पर दस्तखत करते रहें। (व्यवधान)

*श्री सुरेश चन्द्र जैन–

मान्यवर, बादल तो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। (व्यवधान)

श्री बलबीर सिंह नेगी–

श्रीमन्, बादल तो रूठते भी हैं। कुदरत प्रदेश की सरकार की तरह नहीं चलती।

---

* वक्ता के भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मगर जो भारत के संविधान की सौगन्ध खाकर प्रदेश की कमान अपने हाथ में लेते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय बलबीर सिंह नेगी जी, कृपया अपने आप को सीमित करें। (व्यवधान)

श्री बलबीर सिंह नेगी–

श्रीमन्, जब उनकी समझदारी सूख जाती है, (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आपकी बात आ गयी। माननीय मंत्री जी।

श्री बलबीर सिंह नेगी–

श्रीमन्, अभी तो सूखे की भूमिका ही चल रही है। (व्यवधान) मान्यवर, आपका संरक्षण चाहिए। मेरी पूरी बात नहीं आयी है। (व्यवधान) पूरे प्रदेश के अन्दर हाहाकार मचा हुआ है। सिंचाई की सुविधा पर हाहाकार मचा है, पेयजल के सवाल पर हाहाकार मचा है और आप इस बात को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। इससे दुःखद स्थिति क्या हो सकती है ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री बलबीर सिंह नेगी–

मान्यवर, जब इससे पहले का सेशन हुआ था तो उस समय भी सूखे का प्रश्न उठा था। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय बलबीर सिंह जी की किसी बात का संज्ञान नहीं लिया जाएगा। बिना अनुमति के जो माननीय बलबीर सिंह जी बोलेंगे, उसका संज्ञान नहीं लिया जाएगा। (व्यवधान)

श्री बलबीर सिंह नेगी–

मान्यवर, मेरी पूरी बात नहीं आयी, आपका संरक्षण चाहिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय बलबीर सिंह जी, कृपया अपने आप को सीमित कीजिए। सिर्फ विषय पर, सूखे पर बात कीजिए।

श्री बलबीर सिंह नेगी–

मान्यवर, मैं सूखे पर ही बात कर रहा हूँ, मैं उसके संदर्भ से बाहर की बात नहीं

कर रहा हूँ। मान्यवर, जो प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी और कर्तव्य था, उसकी तरफ मैं माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करने जा रहा हूँ। मान्यवर, पिछले विधान सभा सत्र में जब सूखे के विषय पर सवाल उठे थे, तो उस समय माननीय कृषि मंत्री जी सदन में कुछ इस प्रकार से समझाते रहे, मानो बादल देवता से उनकी बातचीत जारी है। (हँसी) बहुत हुआ तो सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की कार्यवाही की जायेगी। मान्यवर, पूरे प्रदेश के अन्दर जो आज स्थिति है, सिंचाई को लेकर, पेयजल को लेकर हो, पहाड़ से लेकर मैदान तक हर जगह सिंचाई और पेयजल का भयंकर संकट पैदा हो रहा है और प्रदेश सरकार कुंभकर्णी निद्रा में सो रही है। (हँसी)

श्रीमन्, प्रदेश सरकार की स्थिति बहुत दयनीय है, प्रदेश सरकार को मालूम था कि सूखे का मतलब केवल आर्थिक हानि ही नहीं है, बल्कि भुखमरी, मौतें और तबाही सूखे के ज्यादा डरावने चेहरे हैं। प्रदेश सरकार आज भी झूठ–मूठ में विकास की लम्बी कजरी गाती है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर प्रदेश सरकार झूठ–मूठ में विकास की लम्बी कजरी गायेगी जैसे कल निशंक साहब गा रहे थे, तो बोलने में इससे भी ज्यादा गलतियां होगी। बेसुरा होने का यही मकसद है कि जब झूठ बोलकर काम चलाया जाता हो, तो सच बोलकर काम क्यों बढाया जाय, इस नीति पर प्रदेश सरकार चल रही है। इसलिये सूखे का निस्तारण करने के लिये, पेयजल का समाधान करने के लिये, सिंचाई की योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। मैं इसलिये कहना चाहता हूँ कि आज प्रदेश के अन्दर जो स्थिति है, पर्वतीय क्षेत्र से लेकर के पठारी क्षेत्रों तक, आज हर माँ–बहनें गम्भीर पेयजल के संकट का सामना कर रही हैं। उनके समाधान के लिये प्रदेश सरकार मुकम्मल रूप से कोई रास्ता नहीं ढूंढ पा रही है।

श्री अध्यक्ष–

आप क्या चाहते हैं, वह बताईये ना।

श्री बलबीर सिंह नेगी–

मान्यवर, मैं यह बताना चाह रहा हूँ कि सूखे के निदान के लिये यदि थोड़ा सा भी यह सरकार गम्भीर है तो सदन की समस्त कार्यवाही रोककर इस विषय पर चर्चा कराई जाय। इसलिये मैं कहना चाहता हूँ कि प्रदेश में भयंकर सूखे के कारण आम जन आज अत्यन्त कठिनाईयों का सामना कर रहा है। प्रदेश के 75 प्रतिशत भू–भाग की जनता कृषि पर आधारित है, सूखे के कारण कृषि चौपट हो गई है तथा पेयजल का गम्भीर संकट पैदा हो गया है। आमजन में निराशा के साथ–साथ असंतोष भी व्याप्त होता जा रहा है। चारे की कमी के कारण भारी संख्या में पशुओं की मृत्यु हो रही है। मान्यवर, जिससे प्रदेश वासियों में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया है। अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन की कार्यवाही स्थगित कर नियम–58 के अंतर्गत चर्चा कराये जाने की मांग करता हूँ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह बात पहले कर देते, क्या दिक्कत थी।

श्री बलबीर सिंह नेगी–

मान्यवर, सरकार 15–15, 20–20 रुपये के चेक आवंटित कर रही है और उस 15–15, 20–20 रुपये के चेक लेने के लिए (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय बलबीर सिंह नेगी जी ने सूखे से संबंधित जो परिस्थिति उत्पन्न हुई उसके संबंध में कार्यस्थगन के रूप में अपने विचार रखे। मान्यवर, कार्यस्थगन के रूप में कोई भी विषय तात्कालिक, अविलम्बनीय, लोक महत्व का होता है। यह तो आपकी सदाशयता है कि 07 महीने के बाद जो चर्चा (व्यवधान) मैं इन्हीं के विषय पर आ रहा हूँ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, जो मई की चर्चा है, वह 07 महीने पुरानी है। तो तात्कालिक विषय तो नहीं है। वर्तमान में कहीं भी प्रदेश के अंदर कोई गम्भीर पेयजल की समस्या इस समय नहीं है। (व्यवधान)

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, आप चम्बा ब्लाक में चले जाओ, प्रतापनगर ब्लाक में चले जाओ (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, आपने कहा गम्भीर, अगर आप मई की बात कर रहे हैं (व्यवधान) तो मैं आज दिसम्बर की बात कर रहा हूँ। पहले नगरीय क्षेत्र की बात कर लेता हूँ, जो 63 हमारे नगरीय क्षेत्र हैं और ग्रामीण क्षेत्र में 5393 इस समय पेयजल की योजनाएं क्रियाशील हैं। केवल जनपद टिहरी के विकास क्षेत्र प्रतापनगर ग्राम में स्थगित पेयजल योजना के स्रोत सूख जाने के कारण उक्त गांव में टैंकर द्वारा ग्रामवासियों को पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। यद्यपि जिस समय की माननीय विधायक जी ने चर्चा की है, राज्य के 322 गांव, वार्ड और मोहल्लों में 108 टैंकरों के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की गयी थी। राज्य के कुल ग्रामों में से जो राजीव गांधी सर्वेक्षण, 2003 के अनुसार कराया गया उसमें 2949 गांवों में पूर्ण रूप से एवं 9419 ग्रामों को आंशिक रूप से पेयजल की कठिनाई थी। जिसमें विश्व बैंक सहायतित परियोजना स्वैप कार्यक्रम के अन्तर्गत पेयजल की 278 योजनाओं को पूर्ण किया जा चुका है। और 484 योजनाएं इस समय गतिमान हैं, शेष 1022 गांवों के प्रस्ताव, प्राक्कलन तैयार किये जा चुके हैं और सूखे से प्रभावित गांवों में नवीनतम् तकनीक का प्रयोग करते हुए 68 गांवों में रिसावदार हैंडपम्प स्थपित किये जा चुके हैं। मान्यवर, 30 ग्रामों में इस समय वर्तमान में कार्य प्रगति पर है उक्त के अतिरिक्त 1457 हैण्डपम्प भी स्थापित किये जा चुके हैं।

श्री शहजाद–

मान्यवर, सूखे पर चर्चा हो रही है या पेयजल पर चर्चा हो रही है ?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, उन्होंने पेयजल पर भी और सूखे पर भी पूछा है। आप उनकी सूचना पढ़िये। (व्यवधान)

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, जनपद वार बता दें। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, पेयजल की समस्या पूरे प्रदेश में है यह सिर्फ टिहरी का ही बता रहे हैं।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैंने पूरे प्रदेश का बताया। जल संरक्षण और संवर्द्धन के लिए एक सम्बर्द्धन मिशन बनाया गया है, जिसका गठन अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में किया गया है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, पेयजल संकट तो पूरे प्रदेश में है।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, यहाँ तो सब चर्चा में भागीदारी कर रहे हैं, सदन की कुछ मर्यादायें हैं।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी हमें मर्यादायें न सिखायें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय प्रीतम सिंह जी, जिन बिन्दुओं का उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है उन बिन्दुओं पर माननीय मंत्री जी स्पष्टीकरण नहीं देंगे तो बात अधूरी रह जायेगी। मैंने माननीय सदस्य से निवेदन किया था कि कृपया अपने आप को सीमित करिये तब तो वह पता नहीं कहाँ–कहाँ की बात कह रहे थे।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, इसी प्रकार से हम लोगों ने 112 पेयजल की डिग्गियों का निर्माण, 1823 चाल खाल का निर्माण, 57753 वृक्षा रोपण, 25 रेन वाटर हार्वेस्टिंग योजना, 8883 कन्ट्रोट्रेन्च, 998 चैक डैम का निर्माण किया। इस तरह इस योजना में हमने 08 करोड़ 15 लाख रूपये खर्च किये। माननीय अध्यक्ष जी, जहाँ तक सवाल है कि सारी खेती सूख गई है, उसके संबंध में शासन द्वारा 3 जनपदों में से 16 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है, उसमें अल्मोड़ा की 09 तहसीलें अल्मोड़ा, रानीखेत, सल्ट, द्वाराहाट, मनोली,

जैंती, धौलछिना, सोमेश्वर और भिकियासैण हैं। इसी प्रकार से टिहरी गढ़वाल की 06 तहसील टिहरी, देवप्रयाग, घनौल्टी, जाखणीधार, प्रतापनगर और उप तहसील गजा है तथा देहरादून में चकराता है। इन प्रभावित क्षेत्रों में रवि की फसल तक हमारे किसानों की जो मुख्य देय की वसूली है उसको स्थगित कर दिया गया है साथ ही विभिन्न देयों की वसूली में भी किसी प्रकार की उत्पीड़नात्मक कार्यवाही न किये जाने का निर्देश दिये जा चुके हैं।

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

मान्यवर, अल्मोड़े में वसूली अभी भी चल रही है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, निर्देश दिये जा चुके हैं, अगर कहीं ऐसा हुआ है तो मैं आज ही निर्देशित कर रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष–

इसे देख लीजिए।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, यह सरकार का प्रयास रहा है कि जो माननीय सदस्यों ने चिन्ता की और इस पर चर्चा की हम लोग पेयजल की अन्य सभी स्थितियों को संतोषजनक बनाये रखें। ऐसी कोई सूचना पूरे प्रदेश से प्राप्त नहीं हुई कि चारे की कमी के कारण जैसे अभी माननीय सदस्य ने कहा कि हजारों पशुओं की मृत्यु हो चुकी है, ऐसा कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है। तो निश्चित रूप से यह सरकार गम्भीर है। जो सात महीने पहले जो विषय आपने यहाँ रखा है उसका वर्णन मैंने किया है। आज वर्तमान में भी सरकार पूरी तरीके से इस पर कार्यवाही करने के लिए कृतसंकल्प है और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इस सूचना को अग्राह्य करने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री बलबीर सिंह नेगी जी और माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, आभारी हूँ आपका कि आपने मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया। मान्यवर, उत्तराखण्ड में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पर उद्योग लगे भी और उन उद्योगों से आशा जगी कि सरकारें जो 70 प्रतिशत रोजगार यहाँ के लोगों को देने की बात भी करती है। लेकिन कई बार इस बारे में सदन में मैंने प्रश्न भी किया, जवाब भी आया लेकिन सरकार यह क्लीयर नहीं कर पाई कि रोजगार 70 प्रतिशत किस कैटीगरी में मिलेंगे। हरिद्वार जनपद में या ऊधमसिंह नगर में कोई कम्पनी ऐसी नहीं है जो यहाँ के लोगों को सीधे रोजगार देने की बात करती हो। अगर रोजगार देने की बात होती है तो ठेका प्रथा पर होती है। जब तक बेरोजगार को फैक्ट्री अपना

श्रमिक नहीं मानेगी अपना मजदूर नहीं मानेगी मैं नहीं समझता कि बेरोजगार की समस्या यहाँ से खत्म होगी। मैंने अपने नोटिस में जिक्र भी किया है कि जो बेरोजगार नवयुवक, पढ़ेलिखे नवयुवक वहां नौकरी के लिए जाते है उनसे 12 से 14 घण्टे काम लेने के बाद उन्हें मात्र 2200–2400 रूपये तनख्वाह माह में मिलती है। जब कि असलियत इसके विपरीत है। अगर न्यूनतम वेतन की भी बात करें तो 155 रूपये के आस–पास 150 रूपये प्रतिदिन आज एक मजदूर को दिहाडी मिलती है और सरकारी कम्पनी में काम करने वाले श्रमिक के जो सरकारी रेट है वह भी 150 रूपये हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, ऐसे ही 4 प्रतिशत, 5 प्रतिशत जो वार्षिक बढ़ता है और जो पी0एफ0 उनका है वह 13.6 है। इसके हिसाब से कम्पनी को 4500 रूपये से ऊपर उनको तनख्वाह देनी चाहिए। लेकिन सरकार चाहे इस पक्ष की रही हो या उस पक्ष की रही हो, 70 प्रतिशत जी0ओ0 तक ही सीमित है। कोई भी आज उस पर अमल कराने की स्थिति में नहीं आई है कि कम्पनी वालों पर अंकुश लगाया जाये कि वह सीधी नौकरी बेरोजगारों को दें, उनके पालन पोषण में सहयोग करें, उनसे काम 8 घण्टे लें। 14 घण्टे काम करने के बाद फैक्ट्री में, मैं यह कहूगा कि हाड–तोड़ जानवरों की तरह काम करने के बाद वे वेतन के रूप में 2000,2200 या 2400 रूपये देते है। माननीय अध्यक्ष जी, इतनी महगाई में जैसा कि कल माननीय श्री किशोर उपाध्याय जी कह रहे थे कि 129 रूपये में दाल–रोटी चार आदमी खा सकते है, एक दिन का खाना। लेकिन सच्चाई इसके विपरीत है। मान्यवर, रोटी के बाद कपड़े भी चाहिए, अन्य दूसरी चीजों की भी आवश्यकता होती है। अगर मिठाई की आवश्यकता है तो आज चीनी 42 रूपये किलो बाजार में मिल रही है। माननीय अध्यक्ष जी, आज किसानों का, मजदूरों का भी शोषण हो रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, न्यूनतम मजदूरी फैक्ट्रियों में 5000 रूपये श्रमिकों को मिले।

गन्ना मंत्री कई बार कहते हैं कि गन्ने पर धन्यवाद लाओ। गन्ने पर धन्यवाद हम इसलिए नहीं लाये क्योंकि आज जो किसानो को संघर्ष से 220 रूपये का रेट मिला है वह उसे उसकी मेहनत का मिला है न कि सरकार के रहमो–करम पर मिला है। हाँ, अगर 70 प्रतिशत परमानैन्ट रोजगार सीधे फैक्ट्रियों से दिलवा दें और उनका न्यूनतम वेतन 5000 रूपये उनसे दिलवायें तो माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन में मैं वादा कर रहा हूँ कि धन्यवाद सदन के अंदर और बाहर भी करूँगा। वरना सरकार धन्यवाद का कोई काम नहीं कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, यह सरकार मजदूर विरोधी है, किसान विरोधी है और जनविरोधी भी है। मैं तो यह भी कहूँगा कि इस सरकार पर राहु की कृपा भी है जैसा कि अभी हमारे भाई जी ने कहा वह बिल्कुल सत्य है। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, माननीय नेता बसपा विधायक बहादराबाद, मो0 शहजाद जी ने 70 प्रतिशत रोजगार न दिये जाने के सम्बन्ध में और वहाँ पर मजदूरों के उत्पीड़न के सम्बन्ध में अपना विषय यहाँ पर रखा है। मान्यवर, इस संबंध में पहले ही यह सरकार स्पष्ट निर्देश दे चुकी है और इस सदन में भी वह विषय उठा। 70 प्रतिशत तक जो परमानेंट रोजगार हैं, वह सुनिश्चित इस सरकार ने कराये हैं और आज प्रदेश के अंदर जितने

उद्योग हैं उन उद्योगों में 70 प्रतिशत स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार दिये जा रहे हैं और कहीं से भी इस प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है माननीय अध्यक्ष जी, वहीं पर कारखाना अधिनियम 1948 के अन्तर्गत, निरीक्षण की कार्यवाही करने के बाद अगर कहीं कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाती है। मान्यवर, वर्ष 2009 में उक्त अधिनियम के अन्तर्गत 18 वाद दायर किये गये हैं और केवल इतना ही नहीं 94 हजार 4 सौ 16 रूपये की धनराशि उन श्रमिकों को दिलायी गयी है। इससे अलग जो माननीय विधायक जी ने औद्योगिक संस्थान खास तौर पर हरिद्वार के सम्बन्ध में यहां पर बताया है, औद्योगिक प्रतिष्ठान के श्रमिकों के द्वारा या अन्य प्रतिष्ठान के श्रमिकों द्वारा यहां पर अभी तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, इससे अलग एक जनरल रूटीन में जिलाधिकारी, कमिश्नर लेबर और विभाग के द्वारा भी जाँच का कार्य कराया जा रहा है। आज वर्तमान में 70 प्रतिशत रोजगार इस सरकार ने सुनिश्चित किया है और जहाँ कहीं भी इसका उल्लंघन होता है उस पर कार्यवाही करते हैं। इस वर्ष 18 प्रकरण सामने आये उन पर कार्यवाही की गयी है और आगे भी माननीय विधायकगण के संज्ञान में आता है तो लिख कर दे दें। हम जाँच करायेंगे, अगर कमी पायी गयी तो उस पर कार्यवाही भी करेंगे। इस सरकार का संकल्प है कि 70 प्रतिशत स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार सुनिश्चित कराया जायेगा। जो न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अनुसार तय हुआ है उनका पालन किया जा रहा है। (व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय मंत्री जी, सच्चाई यह है कि जितने भी प्रदेश में उद्योग लगाये गये हैं जैसे सेलाकुई, हरिद्वार या ऊधमसिंह नगर हो, जितने भी इन फैक्ट्री वालों ने स्थानीय लोगों को रोजगार दिया है। रोजगार के बजाय ठेकेदारी व्यवस्था के अन्तर्गत कार्य लिया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, कागजों में है ही नहीं, आप भी स्थानीय स्तर के विधायक हैं। इसलिए इनका शोषण हो रहा है।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, 70 प्रतिशत रोजगार की बात कर रहा हूँ जो कागजों में है। (व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

जो ठेकेदारी प्रथा के बारे में माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की है, उनके बारे में आप थोड़ा बता दें।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय मंत्री जी, फैक्ट्री वाले क्या कर रहे हैं, 50 कर्मचारियों को कागजों में दिखा

रहे हैं। अगर उनको 450 कर्मचारी लेने हैं तो 50 कर्मचारी लेंगे कागजों में और 400 कर्मचारी को ठेकादारी प्रथा में रखेंगे।

श्री अध्यक्ष–

मैं श्री शहजाद और माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्रीमती अमृता रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, एक सूचना नियम–58 में मेरी भी थी।

श्री अध्यक्ष–

आज जो सूचना ग्राह्यता पर सुनने के लिए निर्धारित हुई थी उसमें आपकी नहीं है।

श्री किशोर उपाध्याय–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आभारी हूँ कि आपने नियम–58 में इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपनी बात कहने का अवसर दिया। यहाँ पर डा0 हरक सिंह रावत जी और केदार सिंह रावत जी ने बोला। मान्यवर, मैं भी जब राज्य आंदोलन हो रहा था उसका एक अदना सा सिपाही था और जेल भी गया, लाठियाँ भी खाई मान्यवर, और आप भी जेल गये। आपने भी इस आंदोलन में भाग लिया, आपने देखा होगा कि कितना बड़ा सैलाब नौजवानों का उस समय जिस समय आंदोलन में हिस्सेदारी कर रहे थे तब यह राज्य बना उन्होंने इतनी बड़ी भागीदारी की, कि उनके खाली हाथों को काम मिलेगा, उनके जीवन को सम्मान मिलेगा, उनके परिवार चलेंगे और वे कुण्ठाग्रस्त नहीं होंगे। आज प्रदेश भर में विभिन्न विभागों में अनेकों पद रिक्त हैं और अगर पद रिक्त भी न हो तो ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि खाली जो हाथ हैं उन हाथों को काम प्रदान करे, लेकिन राज्य सरकार में पद खाली होने के बावजूद भी उन बेरोजगारों को रोजगार का अवसर नहीं प्रदान किया जा रहा है और जब वे अपनी बात रखने के लिए सरकार के समक्ष, विधान सभा के समक्ष आते हैं उन पर लाठियाँ भांजी जाती हैं। जो शिक्षित और प्रशिक्षित बेरोजगार हैं जिनका कि पहले से ही यह सुनिश्चित होना चाहिए कि शिक्षण और प्रशिक्षण लेने के बाद जैसे ही वे संस्थानों से निकलें तो उनके रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए। हमारी पिछली सरकार ने मान्यवर, जब नौजवान इस तरह से आंदोलित थे और माननीय मुख्यमंत्री जी का हाथ पकड़कर 7500 जो विशिष्ट बी0टी0सी0 के हमारे जो बेरोजगार साथी थे, उनको काम देने का काम किया और आज 2012 तक लगभग 13000 पदों पर विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षितों की जरूरत है और वे सरकार से यह भी नहीं कह रहे कि आज ही हमको काम दे दीजिए, वे यह कह रहे हैं कि इसकी विज्ञप्ति जारी की जाए। मान्यवर, हमारे जो बेरोजगार साथी हैं, अकेले बी0टी0सी0 की बात नहीं है, अन्य भी जो प्रशिक्षित बेरोजगार साथी हैं आप जब विधानसभा आते होंगे तो आप देखें कि सारे के सारे बेरोजगार धरने पर बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। मान्यवर, जैसे मेरे साथी माननीय बलबीर जी कह रहे थे कि यह सरकार सोई नहीं है यह सरकार कोमा में चली गई है, जिसमें कि किसी भी तरह के इंजेक्शन का

असर ही नहीं होता है, कम से कम कुछ नही करें तो कुछ हाँ–हूँ करें तो लोगों को लगे कि नब्ज चल रही हैं। इतने बड़े प्रदर्शनकारियों को नहीं देख रही है तो इसी तरह से यहाँ का विकास होगा, जो इतने बड़े–बड़े भाषण और सारी बातें किये जा रहे हैं। मान्यवर, मैं ज्यादा समय आपका नहीं लेना चाहता हूँ। मैं निवेदन करता हूँ कि इतना महत्वपूर्ण मसला है, माननीय श्री हरक सिंह रावत जी ने और मैंने जो सदन के समक्ष नियम–58 में सूचना दी है इस पर सारी कार्यवाही रोककर चर्चा कराई जाए।

*श्री केदार सिंह रावत–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, जैसा कि माननीय श्री किशोर उपाध्याय जी ने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य की जो परिकल्पना थी यहाँ के नौजवानों की, उसमें निश्चित रूप से विकास के साथ–साथ रोजगार की भी एक बहुत बड़ी अवधारणा थी और आज बहुत बड़ी संख्या में पिछले ढाई वर्षों से हमारे ये प्रशिक्षित बेरोजगार नौजवान जो बी0एड0–बी0पी0एड0 किये हुये हैं, संघर्षरत हैं, आंदोलनरत् हैं और शिक्षा विभाग में जहाँ एक ओर पद रिक्त हैं वहीं ये बेरोजगार नौजवान अपने हाथों को काम देने की मांग के लिए संघर्षरत् हैं और बजाय इन बेरोजगार नौजवानों की बात सुनने के सरकार बहुत ही संवेदनहीन, संवेदनशून्यता का परिचय देते हुये इनके संघर्ष को दबाने का प्रयास कर रही है, जेलों में ठूँसा जा रहा है, लाठियाँ चलाई जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि यह पब्लिक वेलफेयर स्टेट के लिए अच्छे लक्षण नहीं हैं, जहाँ एक ओर सरकार की नीति भी स्पष्ट नहीं है। 2–2 बार माननीय मंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी माननीय सदन में घोषणा कर चुके हैं कि इन बी0एड0 प्रशिक्षित नौजवानों को विशिष्ट बी0टी0सी0 के माध्यम से समायोजित किया जायेगा, लेकिन आज ढाई वर्ष की अवधि गुजरने के बाद भी इनको विशिष्ट बी0टी0सी0 के प्रशिक्षण के लिए अलग से विज्ञप्ति जारी की गई है और उसमें बी0टी0सी0 का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सरकार की नीति दोहरी है एक ओर जहाँ कई दर्जन संख्या में बी0एड0 कॉलेज खोले जा रहे हैं वहीं बी0एड0 प्रशिक्षितों को विशिष्ट बी0टी0सी0 के रूप में प्रशिक्षित करने के लिए विज्ञप्ति तक जारी नहीं की जा रही है। सरकार अपने आश्वासनों से पीछे हट रही है और इन बेरोजगार नौजवानों के भविष्य का प्रश्न है। इन्होंने बड़ी आशा और अपेक्षा से राज्य की लड़ाई में हिस्सा लिया था और पूरे प्रदेश की जनता की जनभावना इनके साथ है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सदन की समस्त कार्यवाही रोककर इस विषय पर चर्चा कराने की मांग करता हूँ। धन्यवाद।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, नियम–310 के द्वारा जो विषय हमने इस सदन के सम्मुख उठाने का प्रयास किया, जिसको आपके द्वारा नियम–58 में परिवर्तित किया गया और उसकी ग्राह्यता पर मुझे अपनी बात रखने का अवसर आपने दिया है मान्यवर, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे बहुत ही सम्मानित सदस्य माननीय किशोर उपाध्याय एवं माननीय केदार सिंह रावत जी ने, जो प्रशिक्षित बेरोजगार नौजवान हैं जिनकी तादात सैकड़ो में नहीं, बल्कि हजारों में है और जो पिछले तीन वर्षों

* वक्ता के भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से लगातार विधान सभा के सम्मुख धरने पर, क्रमिक अनशन पर और आमरण अनशन पर समय–समय पर बैठे हैं और यही नहीं चाहे धारचूला हो, पिथौरागढ़ हो, काशीपुर हो, ऊधमसिंह नगर हो, कोटद्वार हो, विकास नगर हो, टिहरी हो, उत्तरकाशी हो ये पूरे प्रदेश में अंदर कोने–कोने में और विकास खण्डों में अपना धरना–प्रदर्शन अपनी मांगों को लेकर करते आये हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन का कोई सदस्य ऐसा नहीं है जिस सदस्य को एक बार नहीं दर्जनों बार ये प्रशिक्षित बेरोजगार नौजवान अपने ज्ञापन और अपनी पीड़ा को संज्ञान में न लाये हों। इसके बावजूद भी माननीय अध्यक्ष जी, क्या हम इतने बेरहम हो गये हैं। जैसा कि अभी यहाँ पर माननीय किशोर उपाध्याय जी कह रहे थे और कई अवसरों पर मैंने इस सदन के सम्मुख भी उल्लेख किया है कि इस राज्य की स्थापना के मूल में नौजवानों को रोजगार देने की मांग थी।

माननीय अध्यक्ष जी, आप और हम अविभाजित उत्तर प्रदेश के सम्मानित सदस्य थे और तत्कालीन माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार ने जब माननीय फोनिया जी, माननीय कण्डारी जी, माननीय प्रीतम सिंह जी, माननीय बेहड़ जी, माननीय कुंजवाल जी तमाम उस समय माननीय सदन के सदस्य थे, तत्कालीन माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार ने जब 27 प्रतिशत आरक्षण की बात की थी तो पूरा उत्तराखण्ड का नौजवान सड़कों पर आ गया था इस बात को लेकर कि हमारे रोजगार के साधन, रोजगार के अवसर हम से सीमित किये जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हम सब के लड़ाई लड़ने के बाद मुझे आज भी याद है कि 25 अगस्त, 1994 को आप और हम सभी सदस्यों ने उत्तर प्रदेश की विधान सभा की कार्यवाही ठप्प कर दी थी, तब जाकर माननीय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी ने सदन के सम्मुख आकर घोषणा की थी कि उत्तराखण्ड में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जो शिक्षकों के रिक्त पद हैं उन पदों पर बी0एड0, सी0पी0एड0, डी0पी0एड0 प्रशिक्षित बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिया जायेगा। मान्यवर, तभी से यह व्यवस्था चली आ रही है, जिसको बाद में विशिष्ट बी0टी0सी0 कहा गया, यह व्यवस्था चल रही है। माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन के सम्मुख पिछले तीन वर्षों में शायद ही कोई विधान सभा का सत्र गया होगा, जब हमारे सम्मानित माननीय सदस्यों ने इन प्रशिक्षित बेरोजगार नौजवानों की बात को यहाँ पर नहीं रखा होगा। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार ने भी, तत्कालीन शिक्षा मंत्री माननीय मदन कौशिक जी ने भी इस सदन के सम्मुख आश्वासन दिया।

मान्यवर जब यह विषय उस समय उठा था तो आपने कहा था कि हम शीघ्र विशिष्ट बी0टी0सी0 की विज्ञप्ति निर्गत करने जा रहे हैं। वह 'शीघ्र' शब्द इन 3 वर्षों में अब तक पूरा नहीं हो पाया है।

माननीय वर्तमान शिक्षा मंत्री जी ने भी यह आश्वासन दिया कि विशिष्ट बी0टी0सी0 की प्रक्रिया हम शुरू करेंगे। पूर्व माननीय मुख्यमंत्री श्री खण्डूड़ी जी ने भी चाहे दूरभाष की वार्ता हो, चाहे प्रत्यक्ष वार्ता हो, वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने भी प्रत्यक्ष वार्ता हो या दूरभाष पर की गयी वार्ता हो, उनमें यह आश्वासन दिया कि प्रशिक्षित नौजवानों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और प्रदेश में शिक्षकों के रिक्त पदों को मद्देनजर रखते हुए हम शीघ्र विशिष्ट बी0टी0सी0 की विज्ञप्ति निकालेंगे, इसकी प्रक्रिया को शुरू करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार बार–बार यह कहती है कि पद रिक्त नहीं है। सूचना

के अधिकार के तहत 2 मई, 2009 को सूचना प्राप्त हुई है कि टिहरी जनपद में प्राथमिक विद्यालय 1471 हैं, इन विद्यालयों में स्वीकृत पद 2514 हैं और इनके सापेक्ष 2157 शिक्षक कार्यरत् हैं। इस प्रकार कुल रिक्त पद 357 हैं। इसी तरह माननीय अध्यक्ष जी, टिहरी जनपद में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के 62 पद रिक्त हैं और सहायक अध्यापकों के 103 पद रिक्त हैं। इसी प्रकार माननीय अध्यक्ष जी, इन्फार्मेशन एक्ट के तहत जो सूचना प्राप्त हुई है, उसके अनुसार रूद्रप्रयाग में 2012 तक सेवानिवृत्ति के बाद संभावित रिक्त पद 283 होंगे और पदोन्नति के बाद जो पद रिक्त होंगे, वह 200 पद रिक्त होंगे। माननीय अध्यक्ष जी, इसी तरह चम्पावत जिले में 143 पद रिक्त हैं। यह सूचनाएं, सूचना एक्ट के तहत विभिन्न जनपदों से एकत्र की गयी है। इसी तरह देहरादून जनपद में, ऊधमसिंह नगर जनपद में, नैनीताल जनपद में, अल्मोड़ा जनपद में, बागेश्वर जनपद में पदोन्नति के बाद और रिटायरमेंट के बाद 2012 तक जो पद रिक्त होंगे, या जो रिक्त हैं, उनकी संख्या सैकड़ों में नहीं है, उनकी संख्या हजारों में है। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार ने विशिष्ट बी0टी0सी0 की प्रक्रिया को शुरू नहीं किया है।

मान्यवर, कल जब मैं भोजनावकाश के दौरान इन प्रशिक्षित बेरोजगारों के बीच में गया था, माननीय जोत सिंह गुनसोला सहित हमारे कई माननीय विधायक भी मेरे साथ थे, उस समय सरकार के रूख से ऐसा नहीं लग रहा था कि सब कुछ असामान्य हो जायेगा लेकिन जब मैं हरिद्वार के कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हुये लाठीचार्ज की बात को यहाँ सदन में कह रहा था, तभी मुझे सूचना मिली कि इन प्रशिक्षित बेरोजगारों पर, जो लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को कहना चाहते थे, रोजगार की मांग को लेकर अपनी पीड़ा को व्यक्त करना चाहते थे, उनकी आवाज को दबाने के लिये इस सरकार ने उन निहत्थे, गरीब, असहाय बेरोजगार नौजवानों पर लाठीचार्ज किया और 30 नौजवानों को गिरफ्तार किया और उनको ऐसी जेल में रखा है, गिरफ्तारियां उत्तर प्रदेश में भी होती थीं, अनेक अवसरों पर हमने भी उत्तर प्रदेश की विधान सभा के सामने प्रदर्शन किये हैं। चाहे वह उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन हो, चाहे बेरोजगारी के मुद्दे पर हो, चाहे विकास के मुद्दे पर हो, चाहे शिक्षकों के समर्थन में हो, तब हमारी अगर गिरफ्तारियां होती थी, तो या तो मजिस्ट्रेट वहीं हमको रिहा कर देता था या बहुत ज्यादा होता था तो बस में बिठाकर हमें कुछ दूर छोड़ दिया जाता था। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमें रात भर जेल में रखा गया हो। लेकिन इन बेरोजगारों को ऐसी जेल में रखा गया है, जिसमें 302 के कातिल रहते हों, जिस जेल में डकैत रहते हों, चोर और अपराधी रहते हों।

मान्यवर, इस सरकार में इतना दम नहीं है कि इन बेरोजगार नौजवानों को 2012 के चुनावों तक जेल में रख पाये। लेकिन 2–3 दिन के बाद सरकार इन नौजवानों को छोड़ेगी, जो कि शिक्षक बनने के लिये लड़ाई लड़ रहे हैं। जो इस प्रदेश के नौनिहालों के भविष्य को बनाने के लिये लड़ाई लड़ रहे हैं, जब वह जेल से रिहा होकर बाहर आयेंगे तो आप कल्पना कर सकते हो कि उनके मानस पटल पर क्या अंकित होगा। मान्यवर, क्या उन नौजवानों का यह अपराध है कि वे इस प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं, शिक्षा के स्तर को ऊंचा करना चाहते हैं। अपने परिवार का पालन–पोषण करना चाहते हैं, क्या यह उनका मौलिक अधिकार नहीं है, क्या यह उनका संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है। जब माननीय मंत्री जी ग्राह्यता पर इसका

जवाब दें तो मैं आपके माध्यम से सरकार से उम्मीद करना चाहता हूँ कि हमेशा की तरह। मैं जब कल माननीय निशंक जी से मिला था, तो मैंने उनसे कहा था कि निशंक जी, आप और हम उन परिस्थितियों से आगे बढ़े हैं, जब कि हमारे परिवार में कोई राजनैतिक व्यक्ति भी नहीं था।

मान्यवर, कोई बड़े ओहदे पर कोई बड़ा अधिकारी भी नहीं था। सुबह चार बजे आटा अपने लिए पीसते थे और तब स्कूल 15–15 किलोमीटर पैदल जाते थे जंगल के रास्तों होते हुए। मैंने निशंक जी से कहा हम दोनों लोग उन परिस्थितियों से निकलकर आये हैं, जिन मुश्किल परिस्थितियों की शायद कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है और अगर आप और हम इन नौजवानों के दर्द को नहीं समझेंगे, अगर आप और हम इन गरीबों की पीड़ा को नहीं समझेंगे, अगर आप और हम इन असहायों की पीड़ा को नहीं समझेंगे तो किससे कल्पना कर सकते हैं, किससे उम्मीद कर सकते हैं।

इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं विनम्र शब्दों में आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि पहले तो तत्काल ये सरकार उन नौजवानों को रिहा करे, ससम्मान रिहा करे, एक अपराधी की तरह नहीं। आप और हमने भी संघर्ष किया है, हमने भी लोकतंत्र की लड़ाई लड़ी है, कोई चोरी थोड़ी की है हमने, कोई डकैती थोड़ी की है हमने। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ और निर्णय ऐसा जरूर होना चाहिए जिससे इन नौजवानों की पीड़ा को, ये ठीक है ये वो नौजवान भी जानते हैं कि अगर 50 हजार, 60 हजार नौजवान बेरोजगार है, सबको हम शिक्षक नहीं बना सकते लेकिन एक शुरूआत तो होनी चाहिए, एक शुरूआत तो आपको करनी चाहिए। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष जी, ये निवेदन सरकार से कहना चाहता हूँ कि इनके दर्द को, इनकी पीड़ा को महसूस करते हुए, इस रूप में देखते हुए कि ये भी हमारे बेटे, हमारे भाई हैं कोई न कोई रास्ता निकलना चाहिए। ये मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष डा0 हरक सिंह रावत जी, माननीय केदार सिंह रावत जी, माननीय किशोर उपाध्याय जी की सूचना में उल्लेखनीय है कि राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में कुल स्वीकृत अध्यापकों के पदों की संख्या 20 हजार 650 है और इस प्रकार माननीय अध्यक्ष जी, 5 हजार जो पद रिक्त थे, उनके सापेक्ष वर्ष 2006 से संचालित जो विशिष्ट बी0टी0सी0 है, में अब तक 5 हजार 520 शिक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है। फलस्वरूप वर्तमान में प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की रिक्ति शून्य है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूँ वर्ष 2009 से 2012 तक जिनकी सेवानिवृत्ति अनुमानित है उनकी दर लगभग दो प्रतिशत है, के आधार पर लगभग 2500 अध्यापक सेवानिवृत्त होंगे, और भविष्य में उपलब्ध होने वाले इन रिक्तियों के प्रति द्विवर्षीय बी0टी0सी0 की प्रवेश परीक्षा भी करा चुके हैं और 3383 शिक्षा मित्र हैं। जिनको अभी हमने इन सब में प्रशिक्षित कराना है, ये प्रस्तावित है। इसी प्रकार प्रस्तावित पदों की संख्या रिक्त से अधिक हो रही है। जनपद में मानकानुसार स्वीकृत अध्यापक, जो सहायक अध्यापक, अध्यापक और शिक्षा मित्र हैं, के कुल 31 हजार 474 पदों के सापेक्ष 28 हजार 729 पदों की आवश्यकता है। जबकि शेष 2745 अतिरिक्त पद भी समर्पित किये जाने हैं। वर्ष 2009–10 तक उच्चीकृत जो विद्यालय हैं, जिनकी संख्या 584 है, उनमें जो

अध्यापक सरप्लस हुए हैं, उनको और एक किलोमीटर की परिधि के अंतर्गत जो विद्यालय हैं, उनको सम्मिलित करना है, एकीकरण करना है उससे भी रिक्तियों की उपलब्धता कम होगी।

वर्तमान में बी0एड0, एल0टी0 योग्यताधारियों की 1404 पदों की नियुक्ति की प्रक्रिया गतिमान है, विज्ञप्ति की जा चुकी है और जिन पर शीघ्र चयन की प्रक्रिया सम्पन्न होने वाली है। राज्य में विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण पर अद्यतन एन0सी0टी0 की मान्यता उपलब्ध नहीं है और माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड द्वारा भी विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षित पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी है। मान्यवर, साथ ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील नम्बर 8034/2006,1234-2,1236/2008 में दिनांक 12-2-2008 को यह व्यवस्था दी है कि उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश दिनांक 11-8-1997 के द्वारा बी0टी0सी0 के समान अन्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों और उपाधियों को प्रदान की गई समकक्षताओं को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है। अर्थात बी0टी0सी0 के अतिरिक्त अब कोई भी समकक्ष परीक्षा या उपाधि मान्य नहीं है। अतः एन0सी0टी0 से विशिष्ट बी0टी0सी0 मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण न होने एवं माननीय उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय एवं रिक्तियों के अभाव में विशिष्ट बी0टी0सी0 अभी प्रारम्भ किया जाना सम्भव नहीं है, रिक्ति की दशा पर विचार किया जा सकता है।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने आपके माध्यम से आग्रह भी किया था, एक तो जो गिरफ्तार 30 जवान जेल में रखे गये हैं उन्हें तत्काल रिहा किया जाय, पहली माँग यह तात्कालिक है। दूसरी मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ क्योंकि 1994 में जब यह विशिष्ट बी0टी0सी0 और उसके बाद 1998 में विशिष्ट बी0टी0सी0 की प्रक्रिया शुरू की गई थी, तब भी माननीय न्यायालय के तमाम दिशा निर्देश थे, लेकिन उस समय उत्तर प्रदेश सरकार ने कानून बनाया था, सरकार को यह अधिकार है कि वह इसमें कानून बना सकती है, क्योंकि इनके लिए आप प्रशिक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं, आप एक साल के बजाय इनके लिए दो साल की प्रशिक्षण की व्यवस्था करा दें तो स्वतः ही जो सुप्रीम कोर्ट के या हाईकोर्ट के दिशा निर्देश हैं कि बी0टी0सी0 समकक्ष योग्य होना चाहिए तो यह तो उससे भी ऊपर की योग्यता हो जायेगी। जहाँ तक बी0टी0सी0 प्रशिक्षण की बात है आप उनको एक साल का प्रशिक्षण देते हैं, आप उनके लिए दो साल के प्रशिक्षण की व्यवस्था कर दें, तो इस तरह व्यवस्था की जा सकती है।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैंने कहा वर्तमान में रिक्तियों की संख्या नहीं है, आगे रिक्तियों की संख्या होने पर विचार किया जायेगा।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, यह विरोधाभास है, जो हमारे पास जिलों से, लगातार एक वर्ष पहले भी यही बात आई कि रिक्तियों की संख्या कम है, तब भी हमने यहाँ रिक्तियों की संख्या दी थी, विभिन्न जनपदों में ये रिक्तियाँ हैं। उस समय भी आपने कहा था कि रेग्यूलर बी0टी0सी0 है उसके माध्यम से भर्ती कर रहे हैं तो लगातार पिछले वर्षों से यही

बात हो रही है कि हम रिक्ति के सापेक्ष रेग्यूलर बी0टी0सी0 को समायोजित करेंगे, इसलिए विशिष्ट बी0टी0सी0 के लिए पद नहीं बचे हैं। लेकिन लगातार पद रिक्त हैं, 2012 तक इन पदों की संख्या हजारों में है।

श्री गोबिन्द सिंह बिष्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं जिलेवार रिक्ति की सूचना देना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, आपके पास जो रिकार्ड है और माननीय नेता प्रतिपक्ष के पास जो रिकार्ड है, इसको आपस में देख लीजिए, जहाँ पर कोई विसंगति है तो उसे दूर कर दीजिए।

श्री गोबिन्द सिंह बिष्ट–

मान्यवर, हम दोनों आंकड़ों का परीक्षण करा लेंगे।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष डा0 हरक सिंह रावत जी, माननीय किशोर उपाध्याय जी, माननीय केदार सिंह रावत जी और माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

वित्तीय वर्ष 2009–10 के अनुपूरक अनुदानो की मांगों पर चर्चा एवं मतदान–

अनुदान संख्या–03 मंत्रिपरिषद, अनुदान संख्या–04 न्याय प्रशासन,अनुदान संख्या–06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन, अनुदान संख्या–07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें, अनुदान संख्या–08 आबकारी, अनुदान संख्या–10 पुलिस एवं जेल, अनुदान संख्या–11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति, अनुदान संख्या–12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण, अनुदान संख्या–13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास, अनुदान संख्या–14 सूचना, अनुदान संख्या–15 कल्याण योजनाएं, अनुदान संख्या–16 श्रम और रोजगार, अनुदान संख्या–17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान, अनुदान संख्या–18 सहकारिता, अनुदान संख्या–19 ग्राम्य विकास, अनुदान संख्या–20 सिंचाई एवं बाढ़, अनुदान संख्या–21 ऊर्जा, अनुदान संख्या–22 लोक निर्माण, अनुदान संख्या–23 उद्योग, अनुदान संख्या–24 परिवहन, अनुदान संख्या–25 खाद्य, अनुदान संख्या–26 पर्यटन, अनुदान संख्या–27 वन, अनुदान संख्या–28 पशुपालन, अनुदान संख्या–29 औद्योगिक विकास, अनुदान संख्या–30 अनुसूचित जातियों का कल्याण, अनुदान संख्या–31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री प्रकाश पंत)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–04 न्याय प्रशासन के अन्तर्गत रू0 03 हजार (तीन हजार) रूपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–04 न्याय प्रशासन के अन्तर्गत रू0 03 हजार (तीन हजार) रूपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत रू0–370464 हजार (सैंतीस करोड़ चार लाख चौसठ हजार) रूपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए स्वीकार की जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत रू0–370464 हजार (सैंतीस करोड़ चार लाख चौसठ हजार) रूपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए स्वीकार की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–07 वित्त कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें के अन्तर्गत रू0–33101 हजार (तीन करोड़ इक्तीस लाख एक हजार) रूपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए स्वीकार की जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–07 वित्त कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें के अन्तर्गत रू0–33101 हजार (तीन करोड़ इक्तीस लाख एक हजार) रूपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए स्वीकार की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

आबकारी मंत्री (श्री मदन कौशिक)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–08 आबकारी के अन्तर्गत रू0– 8950 हजार (नवासी लाख पचास हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए स्वीकार की जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–08 आबकारी के अन्तर्गत रू0– 8950 हजार (नवासी लाख पचास हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए स्वीकार की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–10 पुलिस एवं जेल के अन्तर्गत रू0–1118748 हजार (एक सौ ग्यारह करोड़ सतासी लाख अड़तालीस हजार) रूपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए स्वीकार की जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–10 पुलिस एवं जेल के अन्तर्गत रू0–1118748 हजार (एक सौ ग्यारह करोड़ सतासी लाख अड़तालीस हजार) रूपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति के अन्तर्गत रू0–2549340 हजार (दो सौ चौवन करोड़ तिरानवे लाख चालीस हजार) रूपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति के अन्तर्गत रू0–2549340 हजार (दो सौ चौवन करोड़ तिरानवे लाख चालीस हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए स्वीकार की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री *(श्री बलवन्त सिंह भौर्याल)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत रू0–552886 हजार (पचपन करोड़ अट्ठाईस लाख छियासी हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए स्वीकार की जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत रू0–552886 हजार (पचपन करोड़ अट्ठाईस लाख छियासी हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए स्वीकार की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास के अन्तर्गत रू0–2582952 हजार (दो सौ अट्ठावन करोड़ उन्तीस लाख बावन हजार) रूपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए स्वीकार की जाए।

*वक्ता के भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास के अन्तर्गत रू0–2582952 हजार (दो सौ अट्ठावन करोड़ उन्तीस लाख बावन हजार) रूपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए स्वीकार की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–14 सूचना के अन्तर्गत रू0–2228 हजार (बाईस लाख अट्ठाईस हजार) रूपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए स्वीकार की जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–14 सूचना के अन्तर्गत रू0–2228 हजार (बाईस लाख अट्ठाईस हजार) रूपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए स्वीकार की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–15 कल्याण योजनाएं के अन्तर्गत रू0–329960 हजार (बत्तीस करोड़ निन्यानवे लाख साठ हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–15 कल्याण योजनाएं के अन्तर्गत रू0–329960 हजार (बत्तीस करोड़ निन्यानवे लाख साठ हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से और राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–16 श्रम और रोजगार के अन्तर्गत रू0–54810 हजार (पांच करोड़ अड़तालीस लाख दस हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–16 श्रम और रोजगार के अन्तर्गत रू0–54810 हजार (पांच करोड़ अड़तालीस लाख दस हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से और राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान के अन्तर्गत रू0–209990 हजार (बीस करोड़ निन्यानवे लाख नब्बे हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान के अन्तर्गत रू0–209990 हजार (बीस करोड़ निन्यानवे लाख नब्बे हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*वन एवं परिवहन मंत्री (श्री बिशन सिंह चुफाल)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–18 सहकारिता के अन्तर्गत रू0–134430 हजार (तेरह करोड़ चौवालीस लाख तीस हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–18 सहकारिता के अन्तर्गत रू0–134430 हजार (तेरह करोड़ चौवालीस लाख तीस हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

ग्राम्य विकास मंत्री (श्रीमती विजय बड़थ्वाल)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–19 ग्राम्य विकास के अन्तर्गत रू0–326316 हजार (बत्तीस करोड़ तिरसठ लाख सोलह हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–19 ग्राम्य विकास के अन्तर्गत रू0–326316 हजार (बत्तीस करोड़ तिरसठ लाख सोलह हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

लघु सिंचाई समाज कल्याण मंत्री (श्री मातबर सिंह कण्डारी)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–20 सिंचाई एवं बाढ़ के अन्तर्गत रू0–693434 हजार (उन्हत्तर करोड़ चौंतीस लाख चौंतीस हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए स्वीकार की जाय।

---

* वक्ता के भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–20 सिंचाई एवं बाढ़ के अन्तर्गत रू0–693434 हजार (उन्हत्तर करोड़ चौंतीस लाख चौंतीस हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–21 ऊर्जा के अन्तर्गत रू0–5725000 हजार (पांच सौ बहत्तर करोड़ पचास लाख) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–21 ऊर्जा के अन्तर्गत रू0–5725000 हजार (पांच सौ बहत्तर करोड़ पचास लाख) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

आपदा प्रबन्धन मंत्री (श्री खजान दास)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–22 लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत रू0–2231500 हजार (दो सौ तेइस करोड़ पन्द्रह लाख) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–22 लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत रू0–2231500 हजार (दो सौ तेइस करोड़ पन्द्रह लाख) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–23 उद्योग के अन्तर्गत रू0–40923 हजार (चार करोड़ नौ लाख तेइस हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–23 उद्योग के अन्तर्गत रू0–40923 हजार (चार करोड़ नौ लाख तेइस हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बिशन सिंह चुफाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–24 परिवहन के अन्तर्गत रू0–20381 हजार (दो करोड़ तीन लाख इक्यासी हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–24 परिवहन के अन्तर्गत रू0–20381 हजार (दो करोड़ तीन लाख इक्यासी हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–25 खाद्य के अन्तर्गत रू0–37000 हजार (तीन करोड़ सत्तर लाख) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–25 खाद्य के अन्तर्गत रू0–37000 हजार (तीन करोड़ सत्तर लाख) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–26 पर्यटन के अन्तर्गत रू0–100400 हजार (दस करोड़ चार लाख) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–26 पर्यटन के अन्तर्गत रू0–100400 हजार (दस करोड़ चार लाख) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बिशन सिंह चुफाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–27 वन के अन्तर्गत रू0–151400 हजार (पन्द्रह करोड़ चौदह लाख) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–27 वन के अन्तर्गत रू0–151400 हजार (पन्द्रह करोड़ चौदह लाख) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रकाश पन्त –

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–28 पशुपालन के अन्तर्गत रू0–95503 हजार (नौ करोड़ पचपन लाख तीन हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–28 पशुपालन के अन्तर्गत रू0–95503 हजार (नौ करोड़ पचपन लाख तीन हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रकाश पन्त –

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–29 औद्योगिक विकास के अन्तर्गत रू0–132041 हजार (तेरह करोड़ बीस लाख इकतालीस हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–29 औद्योगिक विकास के अन्तर्गत रू0–132041 हजार (तेरह करोड़ बीस लाख इकतालीस हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मातबर सिंह कण्डारी –

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–30 अनुसूचित जातियों का कल्याण के अन्तर्गत रू0–518877 हजार (इक्यावन करोड़ अठ्ठासी लाख सतहत्तर हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–30 अनुसूचित जातियों का कल्याण के अन्तर्गत रू0–518877 हजार (इक्यावन करोड़ अठ्ठासी लाख सतहत्तर हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तराखण्ड विनियोग (2009–10 का अनुपूरक) विधेयक, 2009

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि विनियोग (2009–10 का अनुपूरक) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड विनियोग (2009–10 का अनुपूरक) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड विनियोग (2009–10 का अनुपूरक) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित किया जाय।

(प्रतियां वितरित की गयी)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड विनियोग (2009–2010 का अनुपूरक) विधेयक, 2009 पर विचार किया जाये।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड विनियोग (2009–2010 का अनुपूरक) विधेयक, 2009 पर विचार किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तराखण्ड विनियोग (2009–10 का अनुपूरक) विधेयक, 2009

(विधेयक संख्या................वर्ष 2009)

31 मार्च 2010 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था के लिये–

विधेयक

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा अधिनियमित–

संक्षिप्त नाम

1– यह अधिनियम उत्तराखण्ड विनियोग (2009–2010 का अनुपूरक) अधिनियम, 2009 कहलायेगा।

उत्तराखण्ड की समेकित निधि में वर्ष 2009–10 के लिये रू0 18156778000 का दिया जाना

2– ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिये, जो 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ–2 में दी गयी सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तराखण्ड की समेकित निधि में से इतनी धनराशि निकाली और काम में लायी जा सकती है, जो अनुसूची के स्तम्भ–3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग रू0 18156778000 (रूपये एक हजार आठ सौ पन्द्रह करोड़ सरसठ लाख अठ्ठहत्तर हजार मात्र) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

3–इस अधिनियम द्वारा उत्तराखण्ड की समेकित निधि में से जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग, 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में दिये हुये हैं।

अनुसूची

अनुपूरक आय–व्ययक 2009–2010

(धारायें 2 और 3 देखें)

अनुदान/क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (धनराशि हजार रूपयों में)			
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
1	2	3			
03	मंत्रपरिषद्	राजस्व	46245	0	46245
		पूंजी	0	0	0
04	न्याय प्रशासन	राजस्व	3	0	3
		पूंजी	0	0	0
06–	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	राजस्व	370464	0	370464

1	2	3			
07—	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें	राजस्व	21597	0	21597
		पूंजी	11504	0	11504
08—	आबकारी	राजस्व	6950	0	6950
		पूंजी	0	0	0
09—	लोक सेवा आयोग	राजस्व	0	7950	7950
		पूंजी	0	0	0
10—	पुलिस एवं जल	राजस्व	1068748	0	1068748
		पूंजी	50000	0	50000
11—	शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति	राजस्व	2350197	0	2350197
		पूंजी	199143	0	199143
12—	चिकित्सा एवं परिवार कल्याण	राजस्व	399773	0	399773
		पूंजी	153113	0	153113
13—	जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास	राजस्व	2582952	0	2582952
		पूंजी	0	0	0
14—	सूचना	राजस्व	2228	0	2228
		पूंजी	0	0	0
15—	कल्याण योजनायें	राजस्व	329960	0	329960
		पूंजी	0	0	0
16—	श्रम और रोजगार	राजस्व	54810	0	54810
		पूंजी	0	0	0
17—	कृषि कर्म एवं अनुसन्धान	राजस्व	209990	0	209990
		पूंजी	0	0	0
18—	सहकारिता	राजस्व	92218	0	92218
		पूंजी	42212	0	42212
19—	ग्राम्य विकास	राजस्व	276316	0	276316
		पूंजी	50000	0	50000
20—	सिंचाई एवं बाढ	राजस्व	226706	0	226706
		पूंजी	466728	0	466728

1	2		3		
21—	ऊर्जा	राजस्व	5000	0	5000
		पूंजी	5720000	0	5720000
22—	लोक निर्माण कार्य	राजस्व	181500	0	181500
		पूंजी	2050000	0	2050000
23—	उद्योग	राजस्व	40923	0	40923
		पूंजी	0	0	0
24—	परिवहन	राजस्व	20380	0	20380
		पूंजी	1	0	1
25—	खाद्य	राजस्व	37000	0	37000
		पूंजी	0	0	0
26—	पर्यटन	राजस्व	10600	0	10600
		पूंजी	89800	0	89800
27—	वन	राजस्व	151400	0	151400
		पूंजी	0	0	0
28—	पशुपालन सम्बन्धी कार्य	राजस्व	89953	0	89953
		पूंजी	5550	0	5550
29—	औद्योगिक विकास	राजस्व	132041	50	132091
		पूंजी	0	0	0
30—	अनुसूचित जातियों का कल्याण	राजस्व	296696	0	296696
		पूंजी	222181	0	222181
31—	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	राजस्व	31896	0	31896
		पूंजी	50000	0	50000
	योग—	राजस्व	9038546	8000	9046546
		पूंजी	9110232	0	9110232
	महायोग		18148778	8000	18156778

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से 3 अनुसूचि खण्ड–1 से प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड विनियोग (2009–2010 का अनुपूरक) विधेयक, 2009 पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड विनियोग (2009–2010 का अनुपूरक) विधेयक, 2009 पारित किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2009

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार किया जाये।

श्रीमन्, एक छोटा सा विधेयक अति आवश्यक लाना पड़ा क्योंकि हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय दिनांक 15 जनवरी, 2009 से केन्द्रीय विश्वविद्यालय बन गया, इसके चलते हुये जो उससे सम्बद्ध शैक्षणिक संस्थायें थीं उनमें संचालित जो व्यावसायिक पाठ्य क्रम हैं उनको सम्बद्धता एफिलेशन दिये जाने से सम्बंधित और भविष्य में जो भी इस प्रकार के शैक्षणिक व्यावसायिक कार्यक्रम, पाठ्यक्रम संचालित किया जायेंगे उनके एफिलेशन दिये जाने से संबंधित एक कठिनाई आ रही थी और जिसको देखते हुये निर्णय लिया गया कि नये संस्थानों को सम्बद्धता देने सम्बन्धी कठिनाईयाँ और केन्द्रीय विश्वविद्यालय की वर्तमान सम्बद्ध 179 संस्थान कॉलेजों की सम्बद्धता, नये नियम, उप नियम समाप्त किये जाने से संबंधित निर्णयों से उत्पन्न समस्याओं को दृष्टिगत एक नई एफिलेटिंग यूनिवर्सिटी राज्य विश्वविद्यालय पर विचार किया जाये। चूँकि अभी यह प्रकरण विचार हेतु विचाराधीन है, लेकिन इससे पूर्व आवश्यक हो गया था कि जो भी ऐसे संस्थान हैं उन संस्थानों के लिए हम आखिर क्या व्यवस्था कर रहे हैं और इसके लिए तात्कालिक प्रभाव से यह व्यवस्था इस तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक के माध्यम से की जा रही है जिसके अन्तर्गत उत्तराखण्ड के इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुये धारा–5 में यह व्यवस्था दी गई है।

मान्यवर, इसमें मूल अधिनियम की धारा–4 की उप धारा–1 के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा जोड़ी जाय। जिसमें यह कहा गया है कि इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग के लिए तकनीकी शिक्षा हेतु विश्वविद्यालय की अधिकारिता सम्पूर्ण उत्तराखण्ड तथा व्यावसयिक पाठ्यक्रमों हेतु सम्पूर्ण गढ़वाल मण्डल के लिए होगी। श्रीमन्, इसके माध्यम से अब उस समस्या का समाधान हो गया कि कल के दिन

जितनी भी संस्थाएं ऐसी होंगी जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करना चाहती हों या किसी भी तरह का पाठ्यक्रम शुरू करना चाहती हों उन पाठ्यक्रमों को इसके माध्यम से सम्बद्धता दी जा सकती है। इसमें मूल अधिनियम की धारा 17 की उप धारा के स्थान पर एक और उप धारा रखी गयी है। इसमें कार्यपरिषद के सदस्यों का उल्लेख किया गया है। इसी तरह से इसका जो मूल उद्देश्य है कि सम्बद्ध इंस्टीट्यूटों की व्यवस्था किस तरह से की जाय। चूंकि केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनने के बाद हमें एक दिक्कत का सामना करना पड़ा था, उस समस्या का समाधान इससे हो जायेगा। अतः मेरा आपके माध्यम से सम्मानित सदन से आग्रह है कि यह जो छोटा सा और अत्यावश्यक विधेयक है, इसे सर्वसम्मति से पारित किया जाय।

श्री किशोर उपाध्याय–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका अन्तर मन के भी अन्तर मन से आभारी हूँ कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया है। शिक्षा के प्रति राज्य सरकार कितनी गम्भीर है, वह इस संशोधन विधेयक के माध्यम से पता चल रहा है। मान्यवर, हम इस प्रदेश को ज्ञान का प्रदेश बनाना चाहते हैं जिसका उल्लेख माननीय मुख्यमंत्री जी, यहां पर अपने उद्बोधन में और सदन के बाहर के भी भाषणों में इस बात का जिक्र करते रहते हैं। मान्यवर, जब गढ़वाल विश्वविद्यालय, केन्द्रीय विश्वविद्यालय बन गया तो जिस तरह की स्थिति गढ़वाल क्षेत्र में उत्पन्न हो गयी। चाहे वह व्यावसायिक शिक्षण संस्थान हों, चाहे दूसरे महाविद्यालय हों और चाहे वह अन्य संस्थाएं हों। मान्यवर, आपने देखा भी होगा कि गढ़वाल क्षेत्र में जगह–जगह आंदोलन हो रहे हैं, छात्र आंदोलित हैं, अभिभावक आंदोलित हैं और पूरी जनता आंदोलित है। शिक्षा इस क्षेत्र के लोगों को उपलब्ध हो सके इस दिशा में सरकार ने कोई विचार नहीं किया है। सरकार को चाहिए था कि जब गढ़वाल विश्वविद्यालय केन्द्रीय विश्वविद्यालय बन गया तो तुरन्त अलग से एक विश्वविद्यालय की स्थापना करनी चाहिए थी, जोकि राज्य का अपना विश्वविद्यालय हो। इस सम्बन्ध में एक पूरा विधेयक सदन के सम्मुख लाना चाहिए था। मान्यवर, इसके लिए आपके पास भवन की कोई कमी नहीं थी। इसके लिए उत्तरकाशी के लोग आंदोलित हैं कि विश्वविद्यालय की स्थापना वहाँ पर करनी चाहिए। टिहरी में जो हमारा हेमवन्ती नन्दन बहुगुणा विश्वविद्यालय परिसर है, इसके लिए वहां की जनता और छात्र आंदोलित हैं। पौड़ी के लोग आंदोलित हैं, गोपेश्वर के लोग आंदोलित हैं कि आप एक नया विश्वविद्यालय इस क्षेत्र को दीजिए। आज आपने उनकी आशाओं पर तुषारापात किया है, कुठाराघात किया है।

मान्यवर, मेरा किसी क्षेत्र से लगाव भी नहीं है और दुराव भी नहीं है। यह हमारे प्रदेश की बात है। लेकिन यदि आप सारी की सारी चीजें देहरादून में ही करेंगे तो जो सुदूर क्षेत्र हैं, जो हमारे प्रदेश के अंग हैं। निश्चित रूप से उनके मन में एक पीड़ा होगी। तकनीकी विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में आप संशोधन ले आये हैं, लेकिन जो यहां के महाविद्यालय हैं, जिनमें कि अभी केन्द्रीय विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में विरोधाभास है कि इनको केन्द्रीय विश्वविद्यालय में लेंगे या नहीं लेंगे। किस तरह से इनका संचालन होगा, इसके सम्बन्ध में अभी सरकार के पास कोई विचार नहीं है।

मान्यवर, हमारा जो बादशाही थौल का परिसर है, हेमवती नन्दन बहुगुणा विश्वविद्यालय परिसर है, उसमें तो हर विभाग और हर तरह की अलग से व्यवस्था है। मान्यवर, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, मान्यवर, आप सीधे–सीधे इसको घोषित क्यों नहीं कर देते कि हम बादशाही थौल परिसर को विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित करने जा रहे हैं और इस तरह की सारी व्यवस्था हम बादशाही थौल परिसर से संचालित करेंगे। इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि इस तरह से सरकार उच्च शिक्षा की घोर उपेक्षा कर रही है। इस संशोधन विधेयक को सरकार वापस ले ले और इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। मान्यवर, यह मेरा आपसे अनुरोध है। धन्यवाद, आपने मुझे इस पर बोलने का मौका दिया।

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, जो तकनीकी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2009 इस सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया गया है, इस पर अपनी बात को, अपने विचारों को रखने का आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, कुछ अंश तक मैं माननीय किशोर उपाध्याय जी की बात का समर्थन करता हूँ। मैंने कुछ अंश इसलिए कहा माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष होने के नाते मैं किसी एक स्थान पर विश्वविद्यालय खोलने की पैरवी नहीं कर सकता हूँ। बाकी शेष जो बात माननीय किशोर उपाध्याय जी ने रखी है, मैं उनसे अपने आप को जोड़ता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, 15 जनवरी, 2009 को गढ़वाल विश्वविद्यालय केन्द्रीय विश्वविद्यालय बना और मैं आपके माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री डा0 मनमोहन सिंह जी का और भारत के मानव संसाधन मंत्री जी का इस प्रदेश की जनता की ओर से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने गढ़वाल विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने का निर्णय लिया। माननीय अध्यक्ष जी, इससे दशकों की संख्या में नहीं, सैकड़ों की संख्या में जो एकेडमिक और मैनेजमेंट शिक्षण संस्थान हैं, इंस्टीट्यूट हैं, उनके सम्मुख निश्चित रूप से एक दिक्कत आयी है और लगभग एक साल में कुछ माह कम गुजर गये हैं, ये विश्वविद्यालय, ये महाविद्यालय, ये संस्थान त्रिशंकु की तरह अधर में लटके हुए हैं। इन महाविद्यालयों का भविष्य क्या होगा, आप महसूस करेंगे।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अभी गढ़वाल विश्वविद्यालय की विज्ञप्ति पढ़ रहा था, व्यावसायिक बी0एड0 की जो प्रवेश प्रक्रिया है, उसको विश्वविद्यालय शुरू करने जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, जुलाई में यह शिक्षा सत्र शुरू होता है और अब तक इन संस्थानों में प्रवेश परीक्षा नहीं हो पायी है। प्रवेश नहीं हो पाये, यह जो सेल्फ फाइनेंस के बी0एड0 के कालेज हैं, उनमें। इसी प्रकार से मैनेजमेंट कालेजों में भी दिक्कतें थी और इसी तरह से जो एकेडमिक महाविद्यालय हैं, जैसे डी0ए0वी0, डी0बी0एस0 और गुरू राम राय कालेज हैं और राजकीय महाविद्यालय है। क्योंकि गढ़वाल विश्वविद्यालय से तीन तरह के महाविद्यालय सम्बद्ध हैं, गढ़वाल विश्वविद्यालय का स्वरूप रेजीडेंशियल और एफीलेशन का था। जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बनारस विश्वविद्यालय और जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय शुद्ध रूप से रेजीडेंशियल विश्वविद्यालय हैं, लेकिन दिल्ली

विश्वविद्यालय रेजीडेंशियल और एफीलेशन, दोनों ही तरह का है और उसी तरह का हमारे गढ़वाल विश्वविद्यालय का स्वरूप था। जहाँ पौड़ी, श्रीनगर और टिहरी में जो परिसर थे, वे गढ़वाल विश्वविद्यालय के रेजीडेंशियल परिसर थे और दो तरह के एकेडमिक महाविद्यालय, जिसमें सहायता प्राप्त महाविद्यालय, जैसे डी0ए0वी0, डी0बी0एस0 और गुरू राम राय आदि विद्यालय हैं और दूसरे राजकीय महाविद्यालय, जिसमें कोटद्वार, गोपेश्वर, ऋषिकेश और उत्तरकाशी हो गये। इस तरह सैकड़ों की संख्या में इस तरह के इंस्टीट्यूट और महाविद्यालय गढ़वाल विश्वविद्यालय से जुड़े हुये हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार एक साल में कुछ कदम चल पाई है, कुछ कदम मैंने इसलिये कहा क्योंकि यह जो विधेयक आ रहा है, वह केवल जो व्यावसायिक संस्थान हैं, जो मैनेजमेंट और तकनीक के कालेज हैं, जो एम0बी0ए0, बी0सी0ए0, बी0बी0ए0 आदि की शिक्षा देते हैं, उन संस्थानों के लिये आप इस विधेयक को ला रहे हैं। मान्यवर, मैं अखबारों में पढ़ रहा था, मीडिया के माध्यम से, जब मंत्रिमंडल की ब्रीफिंग हुई तो मुझे अध्ययन करने को मिला कि सरकार ने गढ़वाल विश्वविद्यालय से एफिलेटेड राजकीय और अशासकीय महाविद्यालय हैं, उनके लिये अलग से एक विश्वविद्यालय बनाने का निर्णय लिया है। मान्यवर, अच्छा यह होता कि जब तकनीकी विश्वविद्यालय से प्रदेश के मैनेजमेंट कालेजों और इंस्टीट्यूटों को जोड़ने का विधेयक आपने सदन में प्रस्तुत किया है।

श्री अध्यक्ष–

इस विधेयक पर चर्चा के लिये 10 मिनट निर्धारित थे, और 12 मिनट हो चुके हैं, इसे मैं पांच मिनट और बढ़ा रहा हूँ।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, अच्छा यह होता कि इसी के साथ एक विधेयक आता, जो कि गढ़वाल विश्वविद्यालय से जुड़े हुये महाविद्यालयों को सम्बद्ध करने के विषय में होता। तो शायद जो रोग केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनने के बाद गढ़वाल विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध महाविद्यालयों, संस्थाओं और व्यावसायिक संस्थाओं के सम्मुख था, उस रोग का पूरा निदान हो चुका होता या हो रहा होता। लेकिन इस सरकार ने आधा निदान किया है। अगर हमें फीवर आया है और इन्होंने बुखार को कम करने की तो दवा दे दी, लेकिन वह बुखार क्यों आया है, उस मर्ज को ठीक करने की दवा इस सरकार ने नहीं दी है। मान्यवर, यह सरकार तय करे कि जो नया विश्वविद्यालय, गढ़वाल विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों को जोड़ने के लिये आप बनाने जा रहे हैं, मैंने इसलिये भी इस बात को कहा कि माननीय किशोर उपाध्याय जी उस क्षेत्र के विधायक हैं और हर विधायक की यह कोशिश होनी चाहिये कि उसके क्षेत्र में कोई बड़ी संस्था, कोई उद्योग लगे। उनके क्षेत्र में तो वानिकी और औद्यानिकी विश्वविद्यालय बनना था, जिसके लिये धरने और भूख हड़ताल पर भी हमारे विधायक जी बैठे थे और सरकार ने उस पर आश्वासन भी दिया था।

मान्यवर, मैं अभी चम्बा गया था। वहां से मांग उठी थी कि जो चम्बा महाविद्यालय जो राजकीय डिग्री कालेज था उसका भवन खाली पड़ा है, उसमें गढ़वाल विश्वविद्यालय

से जुड़ा हुआ कोई विश्वविद्यालय का कार्यालय खोला जाय। मैं रुद्रप्रयाग गया था वहां भी इस तरह विश्वविद्यालय बनाने की मांग अभी चल रही है। गोपेश्वर में भी है, उत्तरकाशी में भी है, देहरादून में भी है, हरिद्वार में भी है। इस संबंध में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि सरकार इसमें निर्णय ले, लेकिन शीघ्र, क्योंकि बहुत लम्बे समय के बाद से दोनों, इससे गढ़वाल विश्वविद्यालय भी लड़खड़ा रहा है। विश्वविद्यालय का जो उप कार्यालय है, वहां छात्र नेताओं ने और छात्रों ने मार्कशीट को लेकर, डिग्री को लेकर धरना–प्रदर्शन किया। विश्वविद्यालय की स्थिति ऐसी है कि गढ़वाल विश्वविद्यालय के अधिकारी, कर्मचारी क्योंकि अब सेन्ट्रल गवर्नमेंट के हो गये हैं तो वो ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन पर सरकार का अंकुश नहीं रह गया है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि बहुत शीघ्र इन महाविद्यालय को जोड़ने के लिए एक विश्वविद्यालय का, जो आप कैबिनेट में निर्णय कर चुके हैं, उसकी स्थापना का विधेयक इस सदन के सम्मुख प्रस्तुत करके पूरे मर्ज का इलाज करना चाहिए, यही निवेदन मैं आपके माध्यम से करना चाहता हूँ।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, इस बात को तो सम्मानित नेता प्रतिपक्ष ने भी स्वीकार किया कि ये आवश्यक था कि जनवरी, 2009 के बाद जो आई हुई परिस्थितियाँ हैं, उन परिस्थितियों के लिए रास्ता निकाला जाय। अतः तात्कालिक प्रभाव से श्रीमन्, ये रास्ता निकाला गया है और तकनीकी विश्वविद्यालय, चूँकि यह विश्वविद्यालय धरातल पर है इसलिए आज के समय में जो भी परेशानियां आ रही हैं, उन परेशानियों से निजात पाने के लिए श्रीमन्, और हमारी शिक्षा की गुणवत्ता बनी रहे इसको दृष्टिगत रखते हुए ये व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है श्रीमन्, और इस लिए यह आवश्यक था। अब यह भविष्य की बात है कि हमें कितनी आवश्यकता है, कितने संस्थान हमारे पास आएंगे, उसके आधार पर हम क्या व्यवस्था करेंगे, लेकिन आज जो तात्कालिक व्यवस्था है, चूँकि श्रीमन्, 18 अगस्त, 2009 को ये पत्र जो हमारे शासन में प्राप्त हुआ श्रीमन् इसमें स्पष्ट रूप से ये बात इंगित है कि हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, श्रीनगर हैज बिकम्स सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी डब्ल्यू0ई0एफ0 फिफ्टीन्थ जनवरी, 2009 एकार्डिंग टू द क्लोज फोर एफ ऑफ द सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट, 2009 एप्लीकेबल टू दिस यूनिवर्सिटी ओनली दोज इंस्टीट्यूशन व्हिच वेयर एफिलेटेड टू द यूनिवर्सिटी ऑन 15 जनवरी, 2009 शैल एज स्टेण्ड एफिलेटेड टू विद द सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी। देयर इज नो प्रोविजन इन एक्ट एन इंस्टीट्यूज टू ग्रान्ट एफिलेशन टू न्यू इंस्टीट्यूशंस। अर्थात् नये संस्थानों को कोई भी एफिलेशन और ग्रान्ट दिया जाना बंद हो जायेगा और इसके चलते हुए ये व्यवस्था की गयी है, तात्कालिक व्यवस्था है, आवश्यक व्यवस्था है श्रीमन्, इसके बिना हमारी शिक्षा की गुणवत्ता और नये शिक्षा का विकास, शिक्षण संस्थानों का विकास संभव नहीं होगा श्रीमन्, इसलिए आवश्यक है इसको सर्वसम्मति से पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2009

(उत्तराखण्ड विधेयक संख्या , वर्ष 2009)

उत्तरांचल तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 में और संशोधन करने के लिए:-

विधेयक

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में राज्य विधान सभा द्वारा निम्नवत् रूप में अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2009 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. "उत्तरांचल" के स्थान पर शब्द "उत्तराखण्ड" का प्रतिस्थापन

2. उत्तरांचल तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 05 वर्ष 2005) में जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है में जहां-जहां शब्द "उत्तरांचल" आया है, वहां वह शब्द 'उत्तराखण्ड' पढ़ा जायेगा।

3. धारा-2 के खण्ड (घ) के पश्चात् खण्डों का पुनर्संख्यांकन

3. मूल अधिनियम की धारा-2 के खण्ड (घ) के पश्चात् हिन्दी भाग में खण्ड (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ठ), (ड) तथा (ढ) के रूप में पुनसंख्यांकित कर दिये जायेंगे।

4. धारा-2 के खण्ड (ख) का प्रतिस्थापन तथा खण्ड (ढ) के पश्चात खण्ड (ण) का अन्तःस्थापन

4. मूल अधिनियम की धारा-2 के खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा तथा खण्ड (ढ) के पश्चात् नया खण्ड (ण) अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात:-

"(ख)' अनुमोदित संस्था' का तात्पर्य विश्वविद्यालय /राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा की संस्था से है।"

"(ण)' व्यावसायिक शिक्षा' का तात्पर्य बी0एड0, एम0एड0, पैरामेडिकल, मेडिकल, बी0पी0एड0, विधि शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण कार्यक्रमों और ऐसे अन्य कार्यक्रमों या क्षेत्रों से है, जिन्हें केन्द्र सरकार, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, भारतीय दन्त विज्ञान परिषद, भारतीय पशुचिकित्सा परिषद, राष्ट्रीय शिक्षक प्रशिक्षण परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बार काउन्सिलिंग ऑफ इण्डिया, दूरस्थ शिक्षा परिषद एवं व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित किसी अन्य नियामक परिषद के परामर्श से गजट में अधिसूचना द्वारा घोषित करे।"

धारा-4 की उपधारा (1) का प्रतिस्थापन

5. मूल अधिनियम की धारा-4 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात:-

"(1) इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग के लिए तकनीकी शिक्षा हेतु विश्वविद्यालय की अधिकारिता सम्पूर्ण उत्तराखण्ड तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु सम्पूर्ण गढ़वाल मण्डल के लिए होगी।"

धारा–6 के खण्ड (क) एवं (झ) का प्रतिस्थापन

6. मूल अधिनियम की धारा–6 के खण्ड (क) एवं (झ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात्:–

"(क) तकनीकी शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा में शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान प्रदान कर और उनका उन्नयन तथा उद्योगों के घनिष्ठ सहयोग से तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा की प्राप्ति के लिए उद्यमिता और सहायक वातावरण का निर्माण करना।

(झ) शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों और समुदायों में तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा की उन्नति के लिए प्राविधान करना,

धारा–17 की उपधारा (1) का प्रतिस्थापन

7. मूल अधिनियम की धारा–17 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्:–

"(1) कार्य परिषद में निम्नलिखित होंगे:–

(क) कुलपति, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय – अध्यक्ष

(ख) प्रतिकुलपति उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय (यदि कोई हो) – सदस्य

(ग) निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की – सदस्य

(घ) कुलपति, गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर, – सदस्य

(च) तकनीकी शिक्षा विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव, – सदस्य

(छ) उच्च शिक्षा विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव – सदस्य

(ज) चिकित्सा शिक्षा विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव, – सदस्य

(झ) न्याय विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव – सदस्य

(ट) वित्त विभाग का सचिव/ प्रमुख सचिव, – सदस्य

(ठ) अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद या उसका नाम निर्देशिती, – सदस्य

(ड) राज्य सरकार की संस्तुति पर कुलाधिपति द्वारा नाम–निर्दिष्ट दो प्रतिष्ठित उद्योगपति, – सदस्य

(ड) राज्य सरकार की संस्तुति पर कुलाधिपति द्वारा
नाम–निर्दिष्ट दो ख्यातिप्राप्त प्रौद्योगिकीविद, – सदस्य

(ण) राज्य सरकार द्वारा चक्रानुक्रम में नाम–निर्दिष्ट
महाविद्यालयों के दो प्राचार्य, – सदस्य

(त) राज्य सरकार की संस्तुति पर कुलाधिपति द्वारा
नाम निर्दिष्ट दो प्रतिष्ठित चिकित्साविद्, दो शिक्षाविद्
एवं दो विधिविद् – सदस्य

धारा 20 की उपधारा (1) का प्रतिस्थापन

8. मूल अधिनियम की धारा–20 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात:–

"(1) वित्त समिति में निम्नलिखित होंगे:–

(क) कुलपति, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय – अध्यक्ष

(ख) वित्त विभाग का प्रमुख सचिव अथवा उसका
नाम निर्देशिती – सदस्य

(ग) तकनीकी शिक्षा विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव
अथवा उसका नाम निर्देशिती – सदस्य

(घ) उच्च शिक्षा विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव
अथवा उसका नाम निर्देशिती – सदस्य

(च) चिकित्सा शिक्षा विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव,
अथवा उसका नाम निर्देशिती – सदस्य

(छ) न्याय विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव
अथवा उसका नाम निर्देशिती – सदस्य

(ज) कुलपति, तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा
नाम–निर्दिष्ट कार्य परिषद के दो सदस्य – सदस्य

(झ) वित्त अधिकारी, तकनीकी विश्वविद्यालय – सदस्य

धारा–23 की उपधारा (1) एवं (2) का प्रतिस्थापन

9. मूल अधिनियम की धारा–23 की उपधारा (1) एवं (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायेगी, अर्थात:–

"(1) राज्य में तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा के क्रियाकलापों के प्रभावी समन्वय हेतु इस विश्वविद्यालय के विशेषतः अध्यापन, अनुसन्धान, शिक्षा के विस्तार एवं अन्य समान कार्यों के सम्बन्ध में

और विश्वविद्यालय के शैक्षिक एवं वित्तीय क्रियाकलापों और कार्यक्रमों के निरीक्षण हेतु राज्य सरकार शिक्षा एवं अनुसंधान हेतु एक परिषद का गठन करेगी जो "तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा हेतु राज्य समन्वय परिषद्" कहलायेगी।

(2) परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात:-

(एक) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, कृषि तथा न्याय विभाग के प्रभारी प्रमुख सचिव या सचिव।

(दो) गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमाऊं विश्वविद्यालय तथा तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति।

(तीन) तकनीकी शिक्षा विभाग में कार्यरत प्रमुख सचिव/सचिव परिषद के संयोजक होंगे।"

टिप्पणी– वरिष्ठतम प्रमुख सचिव/सचिव परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

धारा–30 की उपधारा (3) का प्रतिस्थापन

10. मूल अधिनियम की धारा–30 की उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात:-

"(3) पूर्ववर्ती उपधाराओं में दी गयी किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार अध्ययन, अध्यापन या अनुसंधान के हित में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं व्यवसायिक शिक्षा से संबंधित विभिन्न नियामक परिषदों के किसी सुझाव या सिफारिश या राज्य या राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर अपने द्वारा किये गये किसी विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए कार्य परिषद से विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नये या अतिरिक्त विनियम बनाने या उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट विनियमों को संशोधित करने या निरसित करने की अपेक्षा कर सकेगी और यदि कार्य परिषद ऐसी अपेक्षाओं का अनुपालन युक्तियुक्त समय में करने में विफल रहे तो राज्य सरकार नये या अतिरिक्त विनियम बना सकेगी या उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट विनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगी।"

निरसन एवं व्यावृत्ति

11. (1) उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, (उत्तराखण्ड अध्यादेश संख्या 03, वर्ष 2009) 2009 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियमों के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियमों के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी, मानो इस अध्यादेश के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से 11, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रकाश पंत—

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2009 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2009 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदन इक्फाई विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 (संशोधन) विधेयक 2009,

श्री प्रकाश पंत—

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित इक्फाई विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 (संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, प्रवर समिति के समक्ष यह विधेयक विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था और प्रवर समिति ने सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया और कुछ संशोधन इस विधेयक में किये उसके आधार पर धारा–2 की उप धारा (1) के खण्ड (घ) (ट) (ड) तथा (न) के स्थान पर निम्न उपधारा जोड़ी गई है। दूरस्थ शिक्षा पद्धति का तात्पर्य राज्य के भीतर शिक्षा की उस पद्धति से है जिसमें शिक्षण के लिए ऐसे सूचना प्रौद्योगिकी और संचार के माध्यमों, जैसे मल्टीमीडिया प्रसारण, दूर–दृश्य प्रसारण, टेलीकास्टिंग, इन्टरनेट पर आनलाइन, दूरसंचार की अन्य पारस्परिक विधियां, ई–मेल, इन्टरनेट, कम्प्यूटर, ई–लर्निंग, पत्राचार पाठ्यक्रम, या ऐसे किसी दो या अधिक माध्यमों का संयुक्त रूप से उपयोग किया गया है। दूसरा इसमें "ट" के माध्यम से उपधारा जोड़ी गई कि क्षेत्रीय केन्द्र का तात्पर्य राज्य में स्थित ऐसे केन्द्र से है जिसकी स्थापना या अनुरक्षण विश्वविद्यालय द्वारा राज्य के भीतर स्थित अध्ययन केन्द्रों के समन्वय, पर्यवेक्षण तथा प्रबन्धन मण्डल द्वारा प्रदत्त कार्यों के निष्पादन के उद्देश्य से की गयी हो। अध्ययन केन्द्र का तात्पर्य राज्य के भीतर स्थित ऐसे केन्द्र से है जिसकी स्थापना और अनुरक्षण विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों की सलाह, परामर्श या अन्य सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया हो। इस प्रकार से जो इन धाराओं में संशोधन किया गया है इसका लक्ष्य यह है कि हम राज्य की परिधि के बाहर जाकर विश्वविद्यालय का कोई शिक्षण केन्द्र या उसका परिसर स्थापित नहीं होने देना चाहेंगे। इस लिए मेरा अनुरोध है कि इस पर विचार किया जाय।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, जब इक्फाई विश्वविद्यालय, पेट्रोलियम विश्वविद्यालय, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हिमगिरी विश्वविद्यालय का विधेयक इस सदन के सम्मुख आया था तब हमने अपनी बात को रखा था। उस समय हमने आपके माध्यम से सरकार से आग्रह किया था कि इसे प्रवर समिति को सौंपा जाय।

श्री प्रकाश पंत–

माननीय अध्यक्ष जी, एक संशोधन कर दूँ, प्रवर समिति को प्रतिपक्ष के माध्यम से नहीं सौंपा गया था बल्कि सरकार ने स्वयं प्रवर समिति को सौंपा था ताकि इस पर और अधिक गहन अध्ययन हो सके।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैंने यह कहा था कि हमने भी आग्रह किया था, उसके बाद आप प्रस्ताव लाये थे। माननीय अध्यक्ष जी, हमने आग्रह किया था, सरकार ने प्रवर समिति को अपने प्रस्ताव के माध्यम से सौंपा था। उस समय हमने बहुत सारे तर्क, डिस्टेंस जो प्रोग्राम हैं, दूरस्थ जो केन्द्र हैं शिक्षा व्यवस्था के मामले में हमने यहां पर रखे थे लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, जब इस विषय पर हमने अपने तर्क सदन के सम्मुख रखे थे उस समय यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन के द्वारा, संसाधन मंत्रालय के द्वारा भारत सरकार के द्वारा कोई ऐसा निर्णय नहीं था कि डिस्टेंस प्रोग्राम, इन्टरनेट शिक्षा व्यवस्था देश में बन्द की जानी चाहिए। लेकिन इन बदली हुई परिस्थिति में यह जब सदन के सम्मुख आ रहा है, यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन के द्वारा भी अब यह निर्णय लिया गया है कि देश में जिस राज्य में विश्वविद्यालय स्थापित है उसी प्रदेश में वह अपने शिक्षा केन्द्र चला सकते हैं। देश के दूसरे प्रदेशों में अपने स्टेडी सेन्टर नहीं चल सकता है। तो इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, इन परिस्थितयों में हम इस विधेयक का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि यह यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन का भी सुझाव है। मुझे इतनी बात कहनी थी।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, प्रवर समिति ने जो संशोधन किये गै उनका स्वागत करता हूँ। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा जो प्रदेश है, जो उसकी भौगोलिक स्थिति है उसको देखते हुए अभी जो हमारे पाँच विश्वविद्यालय हैं, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कम से कम जो ये विश्वविद्यालय हैं, जिसने ये विश्वविद्यालय स्थापित किये हैं मान्यवर, उनके लिए खाली धन पैदा करने के खान न बन जाए बल्कि उसका लाभ इस प्रदेश की जनता को मिल सके। इसलिए इन विश्वविद्यालयों में जो आरक्षण की व्यवस्था, स्थानीय दूरस्थ क्षेत्र के लोग हैं, उसमें निश्चित रूप से होनी चाहिए नहीं तो अधिकतर जो इस तरह के शिक्षण संस्थान हैं। चाहे वह प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो अच्छे स्कूल्स हैं या चाहे जो इस त.. के विश्वविद्यालय हैं इसमें कम से कम 20 प्रतिशत स्थान आरक्षित होने चाहिए। इस पर ओमगोपाल जी भी अपने विचार रखेंगे।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, जो किशोर भाई जी ने कहा जो इक्फिक एरा विश्वविद्यालय डिम्ड यूनिवर्सिटी बनी है, उसने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के दिशा–निर्देशों पर इस उत्तराखण्ड में जितने भी विश्वविद्यालय बने हैं उनमें सबसे अधिक 30 प्रतिशत उत्तराखण्ड के नौजवानों को प्रवेश में आरक्षण की व्यवस्था की है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित इक्फाई विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 (संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

इक्फाई विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 (संशोधन) विधेयक, 2009

प्रवर समिति द्वारा यथा संशोधित

(विधेयक संख्या.....................वर्ष 2009)

इक्फाई विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 में अग्रेतर संशोधन करने के लिए–

विधेयक

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1\. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम इक्फाई विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2009 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

उत्तरांचल के स्थान पर उत्तराखण्ड पढ़ा जाना

2\. इक्फाई विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 (अधिनियम संख्या 16 वर्ष 2003) में जहां–जहां शब्द "उत्तरांचल" आया है वहां "उत्तराखण्ड" पढ़ा जायेगा।

धारा–2 की उपधारा (1) के खण्ड (घ), (ट), (ढ) एवं (न) की प्रतिस्थापना

3\. मूल अधिनियम की धारा–2 की उपधारा (1) के खण्ड (घ), (ट), (ढ), एवं(न) के स्थान पर निम्न उपधारा रख दी जायेगी: अर्थात–

"(घ) 'दूरस्थ शिक्षा पद्धति' का तात्पर्य राज्य के भीतर शिक्षा की उस पद्धति से है जिसमें शिक्षण के लिए ऐसे सूचना प्रौद्योगिकी और संचार के माध्यमों, जैसे मल्टीमीडिया, प्रसारण, दूर–दृश्य प्रसारण (टैलीकास्टिंग), इन्टरनेट पर आनलाइन, "दूरसंचार की" अन्य पारस्परिक विधियां, ई–मेल, इन्टरनेट, कम्प्यूटर, (पारस्परिक संवाद,) ई–लर्निंग पत्राचार पाठ्यक्रम, (गोष्ठी, सम्पर्क कार्यक्रम,) या ऐसे किसी दो या अधिक माध्यमों का संयुक्त रूप से उपयोग किया गया हो,"

"(ट) 'क्षेत्रीय केन्द्र' का तात्पर्य राज्य में ऐसे केन्द्र से है जिनकी स्थापना या अनुरक्षण विश्वविद्यालय द्वारा राज्य में स्थित अध्ययन केन्द्रों के समन्वय पर्यवेक्षण तथा प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रदत्त कार्यों के निष्पादन के उद्देश्य से की गयी हो,"

"(ड) 'अध्ययन केन्द्र' का तात्पर्य राज्य के भीतर स्थित ऐसे केन्द्र से है, जिसकी स्थापना या अनुरक्षण विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को सलाह, परामर्श या अन्य सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गयी हो"

"(ध) 'विश्वविद्यालय' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन प्रस्तावित इक्फाई विश्वविद्यालय, देहरादून से है जिसकी समस्त गतिविधियां उत्तराखण्ड राज्य के भीतर होंगी और जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आदेशों एवं दिशा निर्देशों का पालन करेगा"

धारा–7 के खण्ड (ख), (ग), (ज) एवं (झ) का प्रतिस्थापन

4. मूल अधिनियम की धारा–7 के खण्ड (ख), (ग), (ज) एवं (झ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात–

"(ख) उत्तराखण्ड राज्य में विश्वविद्यालय परिसर और राज्य के भीतर विभिन्न स्थानों में अध्ययन केन्द्रों की स्थापना,

"(ग) राज्य के भीतर अनवरत एवं दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम प्रदान करना"

"(ज) राज्य के भीतर विश्वविद्यालय तथा अन्य संस्थानों के संकाय सदस्यों के प्रशिक्षण एवं विकास के लिए कार्यक्रम आरम्भ कराना,"

"(झ) राज्य के भीतर किसी संगठन के साथ सहयोगी अनुसंधान कार्यक्रम आरम्भ करना तथा प्रोद्योगिकियों का व्यापारीकरण,"

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–4, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री प्रकाश पंत–

श्रीमन्, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित इक्फाई विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 (संशोधन), विधेयक 2009 पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित इक्फाई विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 (संशोधन), विधेयक 2009 पारित किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित देव संस्कृति विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2009

श्री प्रकाश पंत–

श्रीमन्, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित देव संस्कृति विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार किया जाए। श्रीमन्, इसमें भी वही संशोधन है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित देव संस्कृति विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

देव संस्कृति विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2009

(विधेयक संख्या वर्ष 2009)

देव संस्कृति विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 में अग्रतर संशोधन करने के लिए:–

विधेयक

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम देव संस्कृति विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2009 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

उत्तरांचल के स्थान पर उत्तराखण्ड पढ़ा जाना

2. देव संस्कृति विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 (अधिनियम संख्या 4 वर्ष 2002) में जहाँ–जहाँ शब्द "उत्तरांचल" आया है वहां "उत्तराखण्ड" पढ़ा जायेगा।

धारा–2 की उपधारा (1) के खण्ड (घ), एवं (थ) का प्रतिस्थापना

3. मूल अधिनियम की धारा–2 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) एवं (थ) के स्थान पर निम्न खण्ड रख दिये जायेंगे; अर्थात:–

"(घ) 'दूरस्थ शिक्षा पद्धति' का तात्पर्य राज्य के भीतर संचार के किसी माध्यम से यथा प्रसारण, दूर–दृश्य प्रसारण, पत्राचार पाठ्यक्रम सेमिनार, सम्पर्क कार्यक्रम या ऐसे किसी दो या अधिक साधनों के संयोजन द्वारा शिक्षा देने की पद्धति से है;"

"(थ) 'विश्वविद्यालय' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन स्थापित देव संस्कृति विश्वविद्यालय से है जिसकी समस्त गतिविधियाँ उत्तराखण्ड राज्य के भीतर होंगी और जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आदेशों एवं दिशा निर्देशों का पालन करेगा;"

धारा–3 की उपधारा (5) का प्रतिस्थापन

4. मूल अधिनियम की धारा–3 की उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात :–

"(5) देव संस्कृति विश्वविद्यालय का मुख्यालय शांतिकुंज हरिद्वार, उत्तराखण्ड में स्थित होगा और वह अपनी अधिकारिता के अन्दर राज्य में ऐसी अन्य जगहों पर भी अपने परिसर स्थापित कर सकता है;"

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से 4, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस के विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित देव संस्कृति विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2009 पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित देव संस्कृति विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2009 पारित किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित हिमगिरी नभ विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी इन द स्काई) अधिनियम, 2003 (संशोधन) विधेयक 2009

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित हिमगिरी नभ विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी इन द स्काई) अधिनियम, 2003 (संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार किया जाए। श्रीमन्, इसमें भी वही संशोधन है, कोई अतिरिक्त संशोधन नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित हिमगिरी नभ विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी इन द स्काई) अधिनियम, 2003 (संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

हिमगिरी नभ विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी इन द स्काई) अधिनियम, 2003 (संशोधन) विधेयक, 2009 (विधेयक संख्या............वर्ष 2009)

हिमगिरी नभ विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी इन द स्काई) अधिनियम, 2003 में अग्रत्तर संशोधन करने के लिए:–

विधेयक

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमगिरी नभ विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी इन द स्काई) (संशोधन) अधिनियम, 2009 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

उत्तरांचल के स्थान पर उत्तराखण्ड पढ़ा जाना

2. हिमगिरी नभ विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी इन द स्काई) (संशोधन) अधिनियम, 2003 (अधिनियम संख्या 17 वर्ष 2003) में जहाँ–जहाँ शब्द "उत्तरांचल" आया है वहाँ "उत्तराखण्ड" पढ़ा जायेगा।

धारा–2 की उपधारा (1) के खण्ड (घ), (ट), (ढ) तथा (घ) का प्रतिस्थापन

3. मूल अधिनियम की धारा–2 की उपधारा (1) के खण्ड (घ), (ट) (ढ) तथा (घ) के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित खण्ड रख दिए जायेंगे; अर्थात–

"(घ) 'दूरस्थ शिक्षा पद्धति' का तात्पर्य राज्य के भीतर शिक्षा की उस पद्धति से है जिसमें शिक्षण के लिए ऐसे सूचना प्रौद्योगिकी और संचार के माध्यमों, जैसे मल्टीमीडिया, प्रसारण, दूर–दृश्य प्रसारण (टेलीकॉस्टिंग), इन्टरनेट पर ऑनलाइन, अन्य पारस्परिक विधिया, ई–मेल, इन्टरनेट, कम्प्यूटर, पारस्परिक संवाद, ई–लर्निंग पत्राचार पाठ्यक्रम, गोष्ठी, सम्पर्क कार्यक्रम, या ऐसे किसी दो या अधिक माध्यमों का संयुक्त रूप से उपयोग किया गया हो;"

"(ट) 'क्षेत्रीय केन्द्र' का तात्पर्य राज्य के भीतर ऐसे केन्द्र से है जिसकी स्थापना एवं अनुरक्षण विश्वविद्यालय द्वारा राज्य में स्थित अध्ययन केन्द्रों के समन्वय, पर्यवेक्षण तथा प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रदत्त कार्यों के उद्देश्य से की गयी हो;"

"(ढ) 'अध्ययन केन्द्र' का तात्पर्य राज्य के भीतर विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त ऐसे केन्द्र से है, जिसकी स्थापना एवं अनुरक्षण विद्यार्थियों को सलाह, परामर्श या अन्य सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गयी हो;"

"(घ) 'विश्वविद्यालय' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन स्थापित हिमगिरी नभ विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी इन द स्काई) से है जिसकी समस्त गतिविधियाँ उत्तराखण्ड राज्य के भीतर होंगी और जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आदेशों एवं दिशा निर्देशों का पालन करेगा;"

धारा–4 की उपधारा (3) का प्रतिस्थापन

4. मूल अधिनियम की धारा–4 की उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात–

"(3) विश्वविद्यालय का मुख्यालय उत्तराखण्ड, देहरादून में स्थित होगा तथा जैसा समय–समय पर विनिर्दिष्ट किया जाय वह राज्य में अन्य स्थानों पर भी परिसर अथवा क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों एवं जेड कैरियर एकेडमी सेन्टर्स की स्थापना कर सकेगा।

परन्तु यह कि विश्वविद्यालय स्थापना के तीन वर्ष के अन्दर राज्य के तेरह जिलों में एक–एक अध्ययन केन्द्र स्थापित कर लेगा;"

धारा–4 की उपधारा (4) का निरसन

5. मूल अधिनियम की धारा–4 की उपधारा (4) को एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से 3, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित हिमगिरी नभ विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी इन द स्काई) अधिनियम, 2003 (संशोधन) विधेयक, 2009 पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित हिमगिरी नभ विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी इन द स्काई) अधिनियम, 2003 (संशोधन) विधेयक, 2009 पारित किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित पतंजलि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 (संशोधन) विधेयक 2009

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित पतंजलि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 (संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित पतंजलि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 (संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

पतंजलि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 (संशोधन) विधेयक, 2009

(विधेयक संख्या वर्ष 2009)

पतंजलि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 में अग्रतर संशोधन करने के लिए:–

विधेयक

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पतंजलि विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2009 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

उत्तरांचल के स्थान पर उत्तराखण्ड पढ़ा जाना

2. पतंजलि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 (अधिनियम संख्या 04 वर्ष 2006) में जहाँ–जहाँ शब्द "उत्तरांचल" आया है वहाँ "उत्तराखण्ड" पढ़ा जायेगा।

धारा–2 की उपधारा (1) के खण्ड (च), (ण), (द), एवं (प) का प्रतिस्थापन

3. मूल अधिनियम की धारा–2 की उपधारा (1) के खण्ड (च), (ण) (द) एवं (प) के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित खण्ड रख दिए जायेंगे; अर्थात–

"(च) 'दूरस्थ शिक्षा पद्धति' का तात्पर्य राज्य के भीतर शिक्षा की उस पद्धति से है जिसमें राज्य के भीतर शिक्षण के लिए ऐसे सूचना प्रौद्योगिकी और संचार के माध्यमों, जैसे मल्टीमीडिया, प्रसारण, दूर–दृश्य प्रसारण (टैलीकास्टिंग), इन्टरनेट पर ऑनलाइन, दूरसंचार की अन्य परस्पारिक विधियां, ई–मेल, इन्टरनेट, कम्प्यूटर, ई–लर्निंग पत्राचार पाठ्यक्रम, या ऐसे किसी दो या अधिक माध्यमों का संयुक्त रूप से उपयोग किया गया हो;"

"(ण) 'क्षेत्रीय केन्द्र' का तात्पर्य राज्य में स्थित ऐसे केन्द्र से है जिसकी स्थापना या अनुरक्षण विश्वविद्यालय द्वारा राज्य के भीतर स्थित अध्ययन केन्द्रों के समन्वय, पर्यवेक्षण तथा प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रदत्त कार्यों के निष्पादन के उद्देश्य से की गयी हो;"

"(द) 'अध्ययन केन्द्र' का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य के भीतर ऐसे केन्द्र से है, जिसकी स्थापना एवं अनुरक्षण विद्यार्थियों को सलाह, परामर्श या अन्य सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गयी हो;"

"(प) 'विश्वविद्यालय' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन प्रस्तावित पतंजलि विश्वविद्यालय से है जिसकी समस्त गतिविधियाँ उत्तराखण्ड

राज्य के भीतर होंगी और जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आदेशों एवं दिशा निर्देशों का पालन करेगा;"

धारा–4 की उपधारा (3) का प्रतिस्थापन

4. मूल अधिनियम की धारा–4 की उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात–

"(3) पतंजलि विश्वविद्यालय का मुख्यालय उत्तराखण्ड, हरिद्वार में स्थित होगा तथा जैसा समय–समय पर वह अपनी अधिकारिता के अन्दर राज्य में अन्य स्थानों पर भी परिसर अथवा क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों एवं योग प्रशिक्षण केन्द्रों, अनुसंधान संस्थान आदि की स्थापना कर सकेगा, परन्तु इस संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य संवैधानिक संस्थाओं द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाना होगा;"

धारा–6 का प्रतिस्थापन

5. मूल अधिनियम की धारा–6 को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात–

"(6) राज्य में विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्र, अध्ययन केन्द्र, योग प्रशिक्षण व अनुसंधान केन्द्र हो सकते हैं। पतंजलि विश्वविद्यालय राज्य के किसी अन्य अनुसंधान संस्थान व विश्वविद्यालय के साथ सामूहिक अनुसंधान कार्य कर सकता है किन्तु उसे किसी अन्य महाविद्यालय या संस्था को सम्बद्धता प्रदान करने की शक्ति नहीं होगी। राज्य में परिसर के बाहर केन्द्र या अध्ययन केन्द्र स्थापित करने के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (निजी विश्वविद्यालय मानकों की स्थापना और उसके अनुरक्षण सम्बन्धी) विनियम का भी पालन किया जाना होगा;"

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से 5, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित पतंजलि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 (संशोधन) विधेयक, 2009 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित पतंजलि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 (संशोधन) विधेयक, 2009 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित पेट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 (संशोधन) विधेयक 2009

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित पेट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 (संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित पेट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 (संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

पेट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 (संशोधन) विधेयक, 2009

(विधेयक संख्या वर्ष 2009)

पेट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 अग्रतर संशोधन करने के लिए:–

विधेयक

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पेट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

उत्तरांचल के स्थान पर उत्तराखण्ड पढ़ा जाना

2. पेट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 (अधिनियम संख्या 15 वर्ष 2003) में जहाँ–जहाँ शब्द "उत्तरांचल" आया है वहाँ "उत्तराखण्ड" पढ़ा जायेगा।

धारा–2 की उपधारा (1) के खण्ड (च), (झ),(ण) (ल), एवं (त्र) का प्रतिस्थापन

3. मूल अधिनियम की धारा–2 की उपधारा (1) के खण्ड (च), (झ) (ण) (ल) एवं (त्र) के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित खण्ड रख दिए जायेंगे; अर्थात–

"(च) 'संगटक महाविद्यालय' का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा राज्य के भीतर अनुरक्षित किसी महाविद्यालय या संस्था से है;"

"(ञ) 'दूरस्थ शिक्षा पद्धति' का तात्पर्य राज्य के भीतर शिक्षा की उस पद्धति से है जिसमें शिक्षण के लिए ऐसे सूचना प्रौद्योगिकी और संचार के माध्यमों, जैसे मल्टीमीडिया, प्रसारण, दूर–दृश्य प्रसारण (टेलीकास्टिंग), इन्टरनेट पर ऑनलाइन, दूरसंचार की अन्य पारस्पारिक विधिया, ई–मेल, इन्टरनेट, कम्प्यूटर, पारस्परिक संवाद, ई–लर्निंग पत्राचार पाठ्यक्रम, गोष्ठी सम्पर्क कार्यक्रम, या ऐसे किसी दो या अधिक माध्यमों का संयुक्त रूप से उपयोग किया गया हो;"

"(म) 'क्षेत्रीय केन्द्र' का तात्पर्य राज्य के भीतर स्थित ऐसे केन्द्र से है जिसकी स्थापना या अनुरक्षण विश्वविद्यालय द्वारा अध्ययन केन्द्रों के समन्वय, पर्यवेक्षण तथा प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रदत्त कार्यों के निष्पादन के उद्देश्य से की गयी हो;"

"(ल) 'अध्ययन केन्द्र' का तात्पर्य राज्य के भीतर विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य के भीतर ऐसे केन्द्र से है, जिसकी स्थापना एवं अनुरक्षण विद्यार्थियों को सलाह, परामर्श या अन्य सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गयी हो;"

"(त्र) 'विश्वविद्यालय' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन प्रस्तावित पेट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय से है जिसकी समस्त गतिविधियाँ उत्तराखण्ड राज्य के भीतर होंगी और जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आदेशों और दिशा निर्देशों का पालन करेगा;"

धारा–4 की उपधारा (3) का प्रतिस्थापन

4. मूल अधिनियम की धारा–4 की उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात–

"(3) विश्वविद्यालय का मुख्यालय उत्तराखण्ड, देहरादून में स्थित होगा तथा जैसा समय–समय पर विनिर्दिष्ट किया जाये वह राज्य के भीतर अन्य स्थानों पर भी परिसर अथवा क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों एवं कैरियर एकेडमी सेन्टर्स की स्थापना कर सकेगा;"

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से 4, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित पेट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 (संशोधन) विधेयक, 2009 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित पेट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 (संशोधन) विधेयक, 2009 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के निवासियों को जाति प्रमाण पत्र लेने में आ रही परेशानियों के सम्बंध में श्री प्रेमानन्द महाजन, श्री तिलकराज बेहड़ एवं डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल स0 वि0 स0 द्वारा दी गई सूचना पर नियम–54 के अन्तर्गत चर्चा

(माननीय अध्यक्ष जी द्वारा मद संख्या:– 27 पर माननीय सदस्य श्री प्रेमानन्द महाजन का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे।)

श्री तिलक राज बेहड़:–

माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश के अन्दर अनुसूचित जाति के लोग हों या पिछड़ी जाति के लोग हों। मान्यवर, जब से प्रदेश के अन्दर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के लोगों के प्रमाण पत्र बनना बन्द ही नहीं हुए, जिन परिवारों के बच्चे मेडिकल और अन्य क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे थे, उनका पढ़ना भी बन्द हो गया है। आज 40 साल, 50 साल के प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं। वर्ष 2000 में राज्य का गठन हुआ, गठन के बाद उस समय और भी प्रदेश बने। अन्य प्रदेशों के अन्दर, उस राज्य में रहने वाले सभी लोगों को, चाहे वह स्थायी प्रमाण–पत्र थे या जाति प्रमाण–पत्र थे उनकी सुविधाएं प्रदान की गयी हैं। इस राज्य के अन्दर पिछले तीन वर्षों में, जो शासनादेश सरकार द्वारा निर्गत किया गया है, उनमें बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं किया गया है या तो किसी का दबाव बनता है, अगर सरकार के किसी मंत्री को किसी व्यक्ति का प्रमाण–पत्र बनाना हो वह बना देता है। आम व्यक्ति इस प्रमाण –पत्र को बनाने में घूमता ही रहता है। वह तहसीलदार का या पटवारी का चक्कर काटता है,जबकि वह वहां रह रहा है, उसका 30–30 साल से मकान है, वह कहीं न कहीं नौकरी कर रहा है चाहे वह सरकारी नौकरी में हो या प्राइवेट नौकरी में, चाहे वह अपनी खेती कर रहा हो।

बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें अभी भी 20–20 साल से 40–40 साल से नजूल की भूमि है वहां रह रहे हैं, उनको पट्टे नहीं मिले जबकि उनके पास बिजली के बिल

हैं उनके पास सारी सुविधाएं है, वो वोट भी कर रहे हैं पर जब वे प्रमाण–पत्र लेने जाते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि तुम कहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारे पिताजी कहां के रहने वाले हैं, तुम्हारे दादाजी कहा के रहने वाले हैं। एक वाकया है, 31 वाहिनी पी0ए0सी0 का एक जवान, जब से उसकी भर्ती हुई वह पी0ए0सी0 में ही है, उसके लड़के का पंतनगर यूनिवर्सिटी में चयन हो गया और जब वह गया इण्टरव्यू के लिए जब उससे जाति प्रमाण पत्र मांगा गया तो उसने कहा कि मैं तो इतने समय से रह रहा हूँ और जब वह तहसील गया तो उसको जाति प्रमाण पत्र नहीं मिला, जो व्यक्ति इतने सालों से रह रहा है उसके बच्चे को नहीं मिल रहा है। मान्यवर, एक नहीं कई समस्याएं इस प्रदेश के अंदर हो रही हैं। अगली बार भी सदन के अंदर यह विषय उठा था और जाति प्रमाण पत्र को लेकर सारे लोग गंभीर थे और सभी माननीय सदस्यों ने इसको बड़ी गम्भीरता से लिया कि जाति प्रमाण पत्र बनना चाहिए चाहे वे किसी भी जाति के लोग हों। जाति प्रमाण पत्र मिलना चाहिए। राज्य बनने के बाद अगर जाति प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा तो उनके बच्चे वंचित रह जायेंगे, क्योंकि न तो उनको कोई सरकारी नौकरी मिल पायेगी और न ही आगे पढ़ाई कर पायेंगे।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि जाति प्रमाण पत्र के लिए सुझाव पेश किए हैं सदन में, उस पर विचार किया जाए और उसमें संशोधन करते हुए जाति प्रमाण पत्र को बनाने के लिए आदेश जारी किये जाए। क्योंकि जो लोग यहाँ बहुत सालों से रह रहे हैं वे यहाँ के निवासी हैं। पहले भी 15 साल वाले व्यक्ति के प्रमाण पत्र बनते थे और अब इस सरकार ने 40 साल 50 साल जबकि इस पर कई बार चर्चा हो चुकी है, बहस हो चुकी है, जिला प्रशासन के साथ भी जब बैठकें होती हैं तो यह बात आती है। तो सरकार इस पर शासनादेश करे और मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि इसका संशोधित शासनादेश करके और इसका सरलीकरण करके और जो लोग वास्तव में इस कारण अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं और एक लम्बे समय से यहाँ पर रह रहे हैं। अब राज्य की तो किसी को जानकारी नहीं थी, आंदोलन चला कभी ज्यादा चला कभी कम चला, कभी तेजी से चला और सबकी मांग थी कि छोटा राज्य बन जाए और छोटे राज्य के पीछे यह नहीं था कि जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं वे जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास पत्र से वंचित हो जायेंगे। एक बहुत बड़ा वर्ग इससे वंचित हो गया है।

मान्यवर यह एक ही जिले की समस्या नहीं है उत्तराखण्ड के अंदर। यह समस्या सब जगह है। मैं कोटद्वार जाता हूँ तो वहाँ लोग कहते हैं और देहरादून जाते हैं तो वहाँ यह समस्या है। सारे जनपदों की इस तरह की समस्याएँ हैं तो मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करूँगा कि सरकार को आप भी निर्देश दें और संशोधन हो, पहले वाले व्यक्ति को जो यहाँ पर रहता था जिसको अधिकार है राज्य बनने के बाद। ठीक है राज्य बन गया अब वह जा तो कहीं सकता नहीं है उसका सारा कारोबार है यहीं पर। हम तो यह

कहते है कि एक लाईन तय हो जाए कि 2000 में जो आया हो उसको दिया जाय। अब ऐसा तो है नहीं कि उसका 30 साल 40 साल का रिकार्ड देखा जाए तो किसको मालूम था कि हम उत्तर प्रदेश से अलग हो जायेंगे। कहा जाता है कि नहीं तुम्हारी पत्नी अगर वह चुनाव लड़ना चाहती है जिला पंचायत का तो, पिछली बार तो इसका सरलीकरण हो गया तो चुनाव लड़े, नहीं तो कहा जाता है कि वह रामपुर की रहने वाली है, बरेली से ब्याह के आई है तो मान्यवर, अब राज्य बन गया और हमने राज्य को स्वीकार कर लिया और राज्य के बने 9 वर्ष हो गए तो जो लोग राज्य के अंदर रहने वाले हैं तो वे लोग तो यहाँ के निवासी हो गये हैं ऐसे लोगों को वंचित किया जा रहा है।

*डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर सुप्रीम कोर्ट की अलग अलग रूलिंग आई है और मैं अपनी बात आज यहाँ जो रखना चाहूँगा वह एक जज्बाती बात नहीं करेंगे। एक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग या जो हमारा संविधान है उसके अन्तर्गत अगर हम बात करें तो कुछ निष्कर्ष निकल सकता है। एस0सी0 और एस0टी0 का जो प्रेसीडेन्सियल नोटिफिकेशन 1950 में हुआ और उसके बाद मण्डल आयोग का गठन हुआ और ओ0बी0सी0 का जो प्रेसीडेन्सियल नोटिफिकेशन हुआ वह हुआ 1991 में। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग यह कहती है कि जो व्यक्ति जिस प्रदेश में सन् 1950 में रहता था उसके बच्चे ही उस प्रदेश में नौकरी पा सकते हैं। मान्यवर, पहले तो मैं ओ0बी0सी0 पर आऊँगा, जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, वर्ष 1991 में नोटिफिकेशन हुआ, प्रेसीडेन्सियल नोटिफिकेशन और उस वर्ग को 1950 का 40–50 साल पहले का देखा जा रहा है, गलत हो रहा है। मान्यवर, ओ0बी0सी0 के अंदर सरकार यदि स्पष्ट निर्देश दे दे कि प्रेसीडेन्सियल नोटिफिकेशन 1991 में हुआ इसलिए 1991 देखा जाये। अब एस0सी0 और एस0टी0 की समस्या इस प्रदेश में बहुत बड़ी है क्योंकि जब उत्तराखण्ड बना उत्तर प्रदेश का भाग था और एक जिले से दूसरे जिले में लोग एजुकेशन के लिए और रोजगार के लिए माइग्रेट करते थे और उन्हें नहीं पता था कि उत्तराखण्ड का गठन होगा। ठीक है हो गया, अब उनकी समस्या का हम किस तरह निदान करें, उसके अंदर हमें कोई न कोई रास्ता ढूँढना पड़ेगा।

मेरा इसमें सुझाव है कि पहले तो हम अगर एस0सी0–एस0टी0 के प्रमाण पत्र को दो तरीके से विभाजित कर दें एक तो आव्रजन, मतलब जो 1950 से यहाँ पर रह रहे हैं और एक प्रव्रजन जो 1950 के बाद यहाँ पर आये। अगर हम उनको प्रमाण पत्र देंगे तो बहुत सी ऐसी समस्यायें जैसे समाज कल्याण की जैसे अटल आवास हो, इन्दिरा आवास हो, छात्रवृत्तियों की समस्या है, स्थानीय निकाय में चुनाव लड़ने की समस्या है, ग्राम प्रधान के चुनाव लड़ने की समस्या है, वार्ड मेम्बर के चुनाव लड़ने की समस्या है

* वक्ता के भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तो ये जो व्यक्ति इस प्रदेश में रह रहा है वह चुनाव लड़ सकता है वोट डालने का अधिकार है, तब हम उसकी जाति को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को प्रोविजन सर्टिफिकेट इश्यू कर दिये जायं और उससे उन्हें इलेक्शन लड़ने के लिए, एजुकेशन के लिए, समाज कल्याण की योजना में एलाऊ कर दें तो एक समस्या हमारे पास बचती है कि इम्प्लायेमेण्ट के लिए जो आरक्षण है उसमें किस तरह से निदान हो सके, तो मैं समझता हूँ कि ये समस्यायें है जो इस तरह से ली जाएं तो 75 प्रतिशत जो निदान जनमानस का है वह हो जायेगा। मान्यवर, बात आती है कि इम्प्लायमेण्ट में समस्या का निदान कैसे हो, तो इसमें समस्या यह आ रही है चाहे पहाड़ की हो या मैदान की हो, मैदान में खासतौर से तराई, पाकिस्तान बना उसके बाद बहुत बड़ी जनसंख्या यहाँ पर माइग्रेट हुई उनके पास 1950 के किसी तरह के रिकार्ड यहाँ पर एवेलेबिल नहीं हैं। जो पाकिस्तान से आये हैं वो पाकिस्तान में जाकर तो आरक्षण नहीं ले सकते हैं, उसका लाभ तो उन्हें इसी प्रदेश में लेना है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो यहाँ रह रहे हैं पहाड़ पर भी और यहाँ भी जिनके पास कोई प्रमाण नहीं है कि वे इस समय प्रमाण दे सकें और वे वाकई रह रहे हैं।

अभी छत्तीसगढ़ में हमारी समिति गई थी तो उसे मैं पढ़ रहा था कि कोई भी, व्यक्ति अपने आप को डिक्लेरेशन देगा फार्म में कि मैं 1950 से यहाँ पर रह रहा हूँ अगर उसके पास प्रमाण है तो वह प्रमाण देगा और यदि उसके पास प्रमाण नहीं भी है तो वहाँ का राजस्व अधिकारी उस गाँव में उस वार्ड में जायेगा और मौके पर वह पता करेगा बुजुर्गों से, वहाँ के लोगों से यह पता करेगा कि यह व्यक्ति उस जगह पर सन 1950 से रह रहा है, उसके पूर्वज वहाँ पर रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं, तो इस तरह से वो वहाँ मौके पर जाकर निरीक्षण करके अपनी रिपोर्ट लगायेगा, लोगों के बयान दर्ज करेगा और उसके आधार पर वह बतायेगा कि सन् 1950 से रह रहा है या नहीं रह रहा है। हरियाणा में भी इसी तरह से हो रहा है, तो हमारा यह कहना है कि इस विधान सभा के माध्यम से संकल्प जाये, क्योंकि 9 नवम्बर, 2000 में इस प्रदेश का गठन हुआ और जो व्यक्ति उस समय इस प्रदेश का निवासी था उसका प्रमाण पत्र बना दें उसको सुविधा दी जाए और जब तक उस संकल्प का जवाब केन्द्र सरकार से या सुप्रीम कोर्ट जायें तो जब तक उसका जवाब नहीं आता तो उस समय तक यह व्यवस्था बनाई जाए। अगर कोई व्यक्ति यह कहता है कि वह इस प्रदेश का स्थाई निवासी है और कहे कि मैं 1950 से यहाँ पर हूँ और किसी वजह से उसके पास साक्ष्य नहीं हैं तो मौके पर जाकर राजस्व के अधिकारी या निगम के अधिकारी इसकी जाँच करें और मौके पर उसका कथन सही पाया जाता है तो उसको उसका लाभ दिया जाये। मान्यवर, इसमें सुप्रीम कोर्ट की किसी भी रूलिंग का वाइलेशन नहीं हुआ है मान्यवर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कोई मेथड नहीं बताया है, उन्होंने कोई मेथालॉजी ऐसी नहीं बतायी है कि इस साक्ष्य को हम मानेंगे या आप मानें।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1950 में वह व्यक्ति उस प्रदेश में रहना चाहिए। अब यह तो प्रदेश सरकार पर निर्भर है कि वह किस तरह से इस साक्ष्य को लेती है कि 1950 में वह व्यक्ति या उसका परिवार इस प्रदेश में रह रहा था। इस तरह से इसका सरलीकरण किया जा सकता है।

यहां पर चर्चा का यही उद्देश्य है कि पूरे उत्तराखण्ड के हमारे एस0सी0 के निवासी जो प्रमाण पत्र नहीं बना पा रहे हैं, जो बहुत समय से यहां पर रह रहे हैं और उनका प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है यह किस तरह से बनें। इसके तरीके ढूंढे जायं कि सुप्रीम कोर्ट और किसी भी रूलिंग का और संविधान का कोई वाईलेशन न हो। हम कोई ऐसा बीच का रास्ता निकालें कि उसमें जो ये लोग हैं उनको लाभ मिल सके और इस दौरान हम सुप्रीम कोर्ट में जायं और यहां से एक संकल्प पारित किया जाय कि 9 नवम्बर, 2000 को जो व्यक्ति इस प्रदेश में रह रहा था, उसको जाति प्रमाण पत्र का लाभ इस प्रदेश के निवासी को दिया जाय। यह संकल्प यहां पर पारित किया जाय। मान्यवर, मैंने जो बातें यहां पर आपके सामने रखी वे विद इन द कांस्टीट्यूशन रखी, इसमें कहीं भी किसी तरह का वाईलेशन नहीं होगा और इस तरह से बहुत बड़ी समस्या का निदान होगा। मान्यवर, दो तरह के प्रमाण पत्र प्रव्रजन के रूप में दे दिये जायं और मौके पर तस्दीक करके यदि उन्हें साक्ष्य मान लिया जाय तो मैं समझता हूँ कि यह समस्या इस प्रदेश की काफी हद तक हल हो जायेगी। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

आबकारी गन्ना, नगर विकास मंत्री (श्री मदन कौशिक)-

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय तिलक राज बेहड़ जी ने जो विषय यहां पर रखा है। निश्चित रूप से वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह समस्या सबकी है। लेकिन मैं माननीय तिलक राज बेहड़ जी के प्रस्ताव में, एक-दो संशोधन जरूर करना चाहूंगा कि इसकी शुरुवात 2006 में हुई थी न कि इस सरकार के आने के बाद (व्यवधान)

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल-

माननीय अध्यक्ष जी, हमने सरकार को सुझाव दिया है। यहां पर हल्की बातें न की जायं। यह बहुत ही गम्भीर विषय है। (व्यवधान)

श्री दिनेश अग्रवाल-

मान्यवर, आप आज की बात करें, वर्ष 2006 की बात न करें। आप तो दोषारोपण की बात कर रहे हैं यह स्वस्थ परम्परा नहीं है। (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक-

मान्यवर, यहां पर किसी विषय पर चर्चा हो रही है। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, क्या सरकार के माननीय मंत्री जी चर्चा में भाग ले रहे हैं ? (व्यवधान)

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, किस तरह बनना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, चर्चा हो रही है न?(व्यवधान)

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, चर्चा में माननीय मंत्री जी भाग ले रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

जिन माननीय सदस्यों ने इसका प्रश्न उठाया है, पहले वे बोलेंगे उसके बाद माननीय मंत्री जी उत्तर देंगे और उसके बाद अन्य माननीय सदस्य बोलेंगे और फिर अन्त में माननीय मंत्री जी, उनका जवाब देंगे।

सिंचाई मंत्री (श्री मातबर सिंह कण्डारी)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय तिलक राज बेहड़ जी तो वरिष्ठ सदस्य हैं और कई बार मंत्री भी रहे हैं और माननीय डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल जी ने भी बहुत अच्छे सुझाव दिये हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप उनकी बात मान लीजिए न।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैं उनकी बात कैसे मान लू।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, पीठ से निर्देश आ गये हैं। (हंसी)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि कृपया पहले हमारी बात सुन लें, इसके बाद जो निर्णय माननीय अध्यक्ष जी पारित करेंगे, उसका पालन किया जायेगा। मान्यवर, अनुसूचित जाति और जनजाति की कट ऑफ डेट राष्ट्रपति नोटिफिकेशन जारी होने के

बाद दिनांक 10–08–1950 है। मान्यवर, इसमें यह कहा गया है कि जिस समय राज्य का मूल निवासी वह 1950 में था, उसी राज्य में अनुसूचित जाति और जनजाति का माना जाएगा। मेरा कहना है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का 1950 में जन्म नहीं हुआ था तो उसके माता–पिता या दादा का जन्म जिस राज्य में हुआ होगा, उसी राज्य में आरक्षण का लाभ मिलेगा। मान्यवर, एक निवेदन सुन लीजिए। जिस प्रकार से डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल जी ने कहा, उससे एक अव्यवस्था हो जाएगी । अगर मान लीजिए हम इसमें सरलता करते हैं तो जाति प्रमाण पत्र एक ही राज्य से मिलेगा और जाति प्रमाण पत्र का लाभ आरक्षण के लिए होता है और जैसा माननीय तिलक राज बेहड़ जी ने कहा, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, सरकार के कोटे का जो लाभ मिलता है, उसमें इसका सदुपयोग होता है। मूल निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र का लाभ तभी उठा पाएंगे जब उस राज्य में हम 1950 से रह रहे हों यह व्यवस्था है। अब रहा सवाल ओ0बी0सी0 का, ओ0बी0सी0 के लिए जैसा माननीय डा0 सिंघल जी ने कहा 1991 कट ऑफ डेट मान रहे हैं। (व्यवधान)

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, राज्य ही 2000 में बना। उस राज्य में जब से रह रहे होंगे तभी से तो उस राज्य का माना जाएगा।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, उस राज्य की जो भौगोलिक सीमा है, उस भौगोलिक सीमा के अन्तर्गत जो लोग यहाँ रह रहे थे, उनको लाभ मिलेगा।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, राज्य ही 2000 में बना। 50 साल से इस राज्य में कैसे रह सकते हैं? (व्यवधान)

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, उसकी भौगोलिक सीमा तो होगी।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, काहे की भौगोलिक सीमा फिर तो वह यहाँ से वापस उत्तर प्रदेश जाए यहाँ से समान उठाकर। (व्यवधान)

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, तब वह किसी राज्य में तो रहा होगा।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, अब यह राज्य बन गया है, तो यहाँ से छोड़कर उत्तर प्रदेश वापस जाए। वहीं जाकर काम करे और यहाँ सब कुछ बेच जाए।(व्यवधान) यहाँ से निकाल दो फिर। शासनादेश कर दो, 2000 से पहले के लोग सब चले जाएं यहाँ से।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, यह कॉन्स्टीट्यूशन है, इसके आधार पर हम काम करते हैं। आज हम कोई नियम बनाना चाहें तो नहीं बना सकते हैं। (व्यवधान)

श्री किशोर उपाध्याय–

माननीय अध्यक्ष जी, आप हम सबका ज्ञान वर्द्धन करते हैं और माननीय मंत्री जी आपको कॉन्स्टीट्यूशन दिखा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बहुत बड़ी बात कह दी, 50 साल। अभी तो राज्य बने हुए 9 साल हुए हैं। 50 साल होते–होते तो हम भी नहीं रहेंगे यहाँ। इनमें से कोई नहीं रहेगा।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

मान्यवर, जो कॉन्स्टीट्यूशन कट ऑफ डेट है, वह 1950 है, जिसमें भारत का संविधान लागू हुआ था। उस संविधान के आधार पर अनुसूचि में जो जातियाँ दर्ज थीं, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति। तो प्रेसिडेंशियल कट ऑफ डेट जो व्यक्ति जहाँ निवास कर रहा था, उसका जाति प्रमाण पत्र वहीं से बनेगा। यह व्यवस्था माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दी और महाराष्ट्र स्टेट पर जो मुकदमा माधुरी पाटिल बनाम भारत सरकार कायम हुआ और इसी के साथ एक एक्शन कमेटी बनाम भारत सरकार भी मुकदमा दर्ज हुआ। इन दोनों मुकदमों में व्यवस्था दी गयी, उसी के आधार पर गृह मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से एक सर्कुलर आया, उसके आधार पर सन् 2006 में उत्तराखण्ड में जो सरकार थी, उस सरकार ने एक सर्कुलर निकाला, जिसकी वजह से यह दिक्कत पैदा हुई। श्रीमन्, हमने भारत सरकार को इस प्रकरण को निस्तारित करने के लिए लिखा है। भारत सरकार से जब यह प्रकरण निस्तारित होने का कोई अनुदेश आएगा, उसके बाद ही कोई कार्यवाही हो पाएगी।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूँ। कानून की व्याख्या हम जिस तरह से करें, उस तरह से कानून की व्याख्या

हो जाती है। यह सत्य है कि प्रेसिडेंसियल ऑर्डर 1950 का है। यह भी सत्य है, जैसा कि डा0 सिंघल जी ने कहा कि जो हमारी पिछड़ी जाति है, उसका भी प्रेसिडेंसियल ऑर्डर है, 1991 का। अब क्या कारण है कि 1991 के प्रेसिडेंसियल ऑर्डर पर आज भी 50 साल, 60 साल का विवरण मांगा जाता है। (व्यवधान) यह सत्यता है। श्रीमन्, यह समस्या केवल दिनेश अग्रवाल, शैलेन्द्र मोहन सिंघल या तिलक राज बेहड़ की नहीं है, यह समस्या उधर बैठे सदस्यों की भी है, यह समस्या पूरे प्रदेश की है। जो लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं, उनकी चिन्ता सदन को करनी चाहिये और सदन के सदस्य उसकी चिन्ता भी कर रहे हैं। या तो सरकार की ओर से निर्देश चला जाय कि इन लोगों से 50 साल, 60 साल का हिसाब न मांगा जाय, जो अनुसूचित जाति और जनजाति के सर्टिफिकेट हैं, उनको 1991 के बाद माना जायेगा। मेरा कहना यह है कि जब पंजाब राज्य से हरियाणा अलग हुआ, उसमें तो यह व्यवस्था नहीं हुई कि मूल राज्य में आप करेंगे, वहां पर ऐसी कोई समस्या नहीं आई। जब हम 2000 में अलग हुये तो हमारा कसूर क्या यही था कि हमने अपना अलग राज्य बना दिया। हम उत्तर प्रदेश के अविभाज्य अंग थे, हमने उससे अलग अपना राज्य बना दिया। अब उत्तराखण्ड में जो व्यक्ति उत्तर प्रदेश से आकर रह रहा था, तब उसको देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, उत्तरकाशी से सारे सर्टिफिकेट मिल रहे थे, लेकिन जैसे ही राज्य बना तो उस पर 1950 का प्रेसिडेंशियल आर्डर लागू हो गया। अब क्या सरकार की मंशा यह बताने की है कि वह सहारनपुर से आया था, वह बलिया से या गोंडा से आया था, इसलिये उसको यहां पर यह लाभ नहीं मिल सकता है।

हमारा यह कहना है कि इस पर सरकार को बहुत चिन्ता से सोचना चाहिये। जो 2006 में कार्यवृत्त बना, रामचन्द्रन जी के समय में यह बना है, सबने कहा कि इस कार्यवृत्त के बनने से ही यह भ्रांति बनी, ऐसा माननीय पंत जी ने भी कहा, हम भी इससे सहमत हैं, उसी कार्यवृत्त की वजह से सारी भ्रांतियां उत्पन्न हुई हैं। लेकिन क्या सरकार वर्तमान व्यवस्था से संतुष्ट है, क्या उससे यहां के लोगों को परेशानी नहीं हो रही है, क्या इस व्यवस्था से यहां के छात्र–छात्राओं को दिक्कत नहीं हो रही है। मैं समझता हूँ कि कई लोगों के पास इस बात के उदाहरण होंगे कि परीक्षाओं और इंटरव्यू के कॉल आये तो उन लोगों के पास सर्टिफिकेट नहीं थे, जिससे उन लोगों को लाभ नहीं मिल पाया। आज जो स्थिति है, जैसा कि पंत जी ने भी कहा कि हम लोग एक संकल्प यहां से पारित करें। जो यह धारणा बन गई है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या अलग–अलग है, हमारे राज्य का गठन 2000 में हुआ, हम इस बात पर विचार करें, सोचें, चिंतन करें, क्योंकि यह एक चिंतनीय विषय है। यह विषय ऐसा नहीं है कि सत्ता पक्ष में एक बात कह दी और विपक्ष ने एक बात कह दी, यह एक गंभीर विषय है और सरकार को इस पर चर्चा करनी चाहिये। हमारी कट ऑफ डेट 2000 है, सुप्रीम कोर्ट के माधुरी पाटिल वाले केस या दूसरे केस पर हम न जायें। हमारा राज्य 2000 में बना और

आज 2009 है, तो इस पर से बहुत ज्यादा विसंगति हो जायेगी। क्योंकि छात्रों का, छात्राओं का, नौजवानों का इससे नुकसान हो रहा है। वह कहीं पर नौकरी या शिक्षा के लिए जाते हैं तो उनको दिक्कत पैदा हो जायेगी। जैसा कि शैलेन्द्र जी ने भी कहा कि अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग व्यवस्थायें हैं, क्या माधुरी पाटिल वाला केस झारखण्ड में लागू नहीं होता, क्या यह केस छत्तीसगढ़ में लागू नहीं होता? समिति जब झारखण्ड गई थी तो उसने वहां पर देखा कि वहां मौके पर पटवारी जाता है और देखता है कि आपके पास किसी जमीन के कागजात हैं, या नहीं, क्योंकि हर आदमी के पास तो जमीन नहीं भी हो सकती है।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार को इस विषय पर गम्भीर होना चाहिये, क्योंकि यह विषय बार-बार आयेगा। यह विषय ऐसा नहीं है कि आज ही आया और आज ही समाप्त हो जायेगा। यह विषय बहुत गंभीर है और इससे बहुत लोग प्रभावित हैं, इसलिये इस पर हमें बहुत गंभीरता से चिंतन और मनन करना चाहिये और गंभीरता से इसका कोई रास्ता निकालना चाहिये। मान्यवर, जब हम यहां अपने राज्य के अंदर संविदा पर लोग रखे हुए हैं, हमने अपने राज्य के अंदर वर्कचार्ज, डेलीवेजेज पर लोग रखे हुए हैं। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, क्यों नहीं सरकार ने उस सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग का पालन कर लिया, आज तक क्यों हम इतने लोगों को रखे हुए हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारे राज्य के लोगों का अहित नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने उन लोगों को अभी तक जो हमारे दैनिक कर्मचारी थे, सुप्रीम कोर्ट की बहुत स्पष्ट रूलिंग है, पढ़ लीजिए यदि कोई पढ़ना चाहता हो सुप्रीम कोर्ट की उस रूलिंग को, ऐसा क्यों हो रहा है कि हम अपने इंट्रेस्ट के लिए जो चीज हम चाहते हैं उसको हम तोड़-मरोड़ करके कर लेते हैं। राज्य के हित के लिए मैं समझता हूँ कि उसको गम्भीर होना चाहिए, बहुत गम्भीर बात है। ये खाली पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है, सबकी बात है और इस मसले पर सरकार को कोई रास्ता निकालना चाहिए जिससे सरलीकरण हो सके। ये मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ।

*श्री हरभजन सिंह चीमा-

माननीय अध्यक्ष जी, ऐसे विषय पर चर्चा जो पूरे प्रदेश की समस्या का विषय है, इस पर आपने मुझे विचार रखने का अवसर दिया, आपका मैं आभारी हूँ। ये ऐसी समस्या है जिससे हमारे पूरे प्रदेश में जहां आरक्षण के संबंध में न्याय सबको एक जैसा नहीं मिल रहा, वहीं लोगों में, यहां के निवासियों में क्षेत्रीय भेदभाव की भावना पैदा हो रही है। मैदान में तराई और भाभर का क्षेत्र जिसमें 80 से 85 प्रतिशत यहां के लोग पाकिस्तान और पंजाब और हरियाणा से आ करके बसे हैं और 1950 के बाद में आकर

* वक्ता के भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यहां पर बसे हैं, उनको क्या न्याय मिलेगा। मूल की परिभाषा हम क्या लगाते हैं ? अगर कोई बच्चा किसी प्रदेश में जन्म लेके वहां का मूल निवासी नहीं कहला सकता तो क्या कोई व्यक्ति भारत में जन्म लेके भारतीय कहलाने का उसको अधिकार है? अगर देश में, भारत में जन्म लेके भारतीय कहलाने का अधिकार है तो उत्तराखण्ड में पैदा होने वाले बच्चे को उत्तराखण्ड का मूल निवासी होने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। क्योंकि जाति प्रमाण–पत्र और मूल निवास प्रमाण–पत्र को एक ऐसे सूत्र में बांध दिया गया है कि आज हमारे सैकड़ों बच्चे जो जाति प्रमाण–पत्र के बिना स्कूलों से उनको जो सहायता मिलती है, वो भी नहीं ले पा रहे हैं। वो तो हम, मुझे कहना नहीं चाहिए कि मात्र छात्रवृत्ति के लिए हम प्रमाण–पत्र और मोहरें लगा रहे हैं जिससे हजारों की तादाद में यहां के उन बच्चों को जाति प्रमाण–पत्र से जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा प्राप्त कर पा रहे हैं। अन्यथा अगर सही मायनों में जाति प्रमाण–पत्र के ऊपर ये चीज आधारित हो तो हमारा जो विभाग है, इस विभाग के प्रति आज लोगों की भावना बिल्कुल अलग होती चली जा रही है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपनी तरफ से, हलांकि सत्ता पक्ष में होते हुए भी, विपक्ष की भावना को हमें यह नहीं सोचना चाहिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें जन समस्याओं के प्रति अपने राजनीतिक स्तर से ऊपर उठ करके भी प्रदेश के हित में सोचना होगा। बात सही उन्होनें कही कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग होती है, बहुत सारी रूलिंग हैं जिन रूलिंगों के होते हुए भी उनको तोड़–मरोड़ करके अपना काम सीधा किया जाता है। मैं तो ये भी कहूँगा मान्यवर, अगर ऐसी कोई बाध्यता माननीय सर्वोच्च न्यायालय की है भी, हम जहाँ भारत सरकार के सामने अपने घुटने टेक रहे हैं क्यों न सर्वोच्च न्यायालय के सामने हमारी सरकार को अपने इस प्रदेश की समस्या के प्रति जागरूक होते हुए वहाँ से रीलीफ माँगने की चेष्टा करनी चाहिए। क्योंकि यह समस्या जटिल है, यह पूरे प्रदेश में है और उसका मुख्य प्रभाव मैदानी क्षेत्र पर पड़ रहा है क्योंकि इससे जो भावनायें हमारे क्षेत्रीय लोगों में पैदा हो रही है यह धीरे–धीरे जटिल समस्या बनके इसका प्रारूप और स्वरूप बदल ना जाये इससे पूर्व हमें इस जटिल समस्या का समाधान कर लेना चाहिए, ऐसी मैं सदन के सामने अपेक्षा करता हूँ।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे चर्चा में भाग लेने का मौका दिया आपका धन्यवाद। मैं अपने आप को तिलक राज बेहड़ जी से, डा0 सिंघल साहब से, दिनेश अग्रवाल जी से, माननीय बीमा जी से सम्बद्ध करते हुए आपके माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहता हूँ कि एक जो यह प्रकरण 2006 से चला आ रहा है यह बहुत ही गम्भीर विषय है। यह न पर्वतीय क्षेत्र का विषय है न मैदानी क्षेत्र का विषय है, यह उन लोगों का विषय है जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश राज्य के मूल रूप से हिस्सा थे और उत्तराखण्ड बनने के बाद उत्तराखण्ड का हिस्सा बन गये। जब किसी राज्य का गठन

होता है तो जो वहाँ के निवासी हैं, जो अपने मूल राज्य के निवासी थे वह उस राज्य के निवासी भी होने चाहिए। क्योंकि उत्तराखण्ड बनने का बहुत से लोगों को अन्दाज नहीं था जो उत्तराखण्ड में निवास कर रहे थे। मेरा मुख्य रूप से यह कहना है कि अन्य प्रदेश भी इस भारत वर्ष में बने हैं। अन्य प्रदेशों ने अपनी नीतियाँ बनायी हैं, अन्य प्रदेशों ने अपना अधिनियम बनाया है उसके जरिये जाति प्रमाण–पत्र और मूल निवास प्रमाण–पत्र जारी किये जा रहे हैं। जब उत्तराखण्ड का गठन हुआ था तो इसके साथ–साथ दो अन्य राज्यों का भी गठन हुआ था छत्तीसगढ़ और झारखण्ड। अभी माननीय सिंघल साहब ने बताया कि जब कमेटी छत्तीसगढ़ गई तो वहाँ की सरकार ने अपने तरीके से अधिनियम बनाया है कि एक जो व्यक्ति वहाँ का मूल निवासी है वह शपथ पत्र देगा और राज पत्रित अधिकारी जाकर जाँच करेगा और दो गवाहों के माध्यम से उसे जाति प्रमाण पत्र जारी कर देंगे। एक वह राज्य है जिसमें 1950 को कट आफ डेट मानी जा रही है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि अनुसूचित जाति की 1950 से कट आफ डेट सुप्रीम कोर्ट के अनुसार और केन्द्र सरकार के अनुसार मानी जा रही है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन हम नहीं कर सकते हैं न किसी को करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के प्रत्येक आदेश का उल्लंघन किसी प्रकार से नहीं होना चाहिए। यदि दाये बाये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन तो न हो, उससे दाये बाये होकर कुछ रास्ता निकाला जा सकता है। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था उमा देवी बनाम सरकार में कि कोई भी स्थाई रूप से नौकरी हिन्दुस्तान में किसी को नहीं दी जायेगी। जिन्हें दी गई उन्हे निकाला भी गया है। उत्तर प्रदेश में निकाला गया, अन्य प्रदेश में निकाला गया है। जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद हम उत्तराखण्ड के अपने नौजवान साथियों को नौकरी दे सकते हैं जिसमें सभी वर्ग के लोग हैं, संविदा पर रख सकते हैं तो क्यों नही जाति–प्रमाण पत्र में रास्ता निकाला जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को ध्यान में रखते हुए रास्ता निकाला जाए जिस प्रकार से हमने संविदा पर नौकरी अपने नौजवान साथियों को दी है। आज 1950 कट आफ डेट अनुसूचित जाति के लिए मैं कहता हूँ 1991 बैकवर्ड के लिए, यह तो अजीब तमाशा है। सरकार को भी अपनी बात केन्द्र सरकार के सामने रखनी चाहिए। वैसे तो केन्द्र सरकार का मसला हो सकता है लेकिन प्रदेश सरकार इसका सरलीकरण कर सकती है यदि चाहे। इसलिए कर सकती है जब अन्य प्रदेश की सरकारों ने किया है। जब 1991 से ओ0बी0सी0 का व्यक्ति रह रहा है उसे तो जाति प्रमाण–पत्र जारी कर दिये जायेंगे सरकार के अनुसार हॉलाकि अभी दिये नहीं जा रहे हैं लेकिन सरकार कह रही है। और इस प्रदेश में जो 1950 से अनुसूचित जाति के लोग रह रहे हैं उसमें 1950 से पहले रहने वालों को दिये जायेंगे।

यह दुर्भाग्य है या सौभाग्य है यह मैं नहीं कह सकता उत्तराखण्ड बनने के बाद, मैं दुर्भाग्य ही कहूँगा कि 1950 में अनुसूचित जाति के लोगों को अनुसूची में ले गये और

ओ0बी0सी0 में 1991 में बैकवर्ड के लोगों को लिया गया। तो उत्तराखण्ड में तो हो सकता है कि अनुसूचित जाति के लोग जो यहाँ निवास करते हैं उनका दुर्भाग्य है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि एक रास्ता ऐसा निकाला जाए जिससे कि इस समस्या का स्थाई समाधान हो जाए। कई बार माननीय सदस्यों ने सदन में धरना दिया, प्रदर्शन किया और ऐसी घटना भी घटित हो गई जो उत्तराखण्ड के इतिहास में आज तक नहीं हुई वह इसी प्रकरण में हुई वह जानबूझकर किसी ने नहीं की थी लेकिन भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लोगों की पीड़ा को समझते हुए घटना घटित हो गई थी। मेरा कहना यह है कि जब स्थाई निवास प्रमाण पत्र 15 साल बाद दे दिया जाता है, एक सामान्य जाति का व्यक्ति जो यहाँ रहता है, उसको स्थाई निवास प्रमाण–पत्र मिल जाता है। जब कोई चुनाव का मामला आयेगा तो वह चुनाव लड़ सकता है लेकिन एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति जो 15 साल से यहाँ रह रहा है यदि उसे चुनाव लड़ने की आवश्यकता पड़े तो जब तक उसे जाति प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा तो वह चुनाव भी नहीं लड़ पायेगा। दोहरी प्रक्रिया लागू हो जायेगी। एक व्यक्ति को अधिकार मिल जायेगा दूसरे व्यक्ति को अधिकार नहीं मिलेगा। एक व्यक्ति को 1991 के बाद अधिकार मिल जायेगा दूसरे को 1950 के बाद अधिकार नहीं मिल पायेगा। यह तो मानवता का भी एक नियम है कि मानवता को ध्यान में रखते हुए सरकार निर्णय ले सकती है। बहाने बाजी तो हो सकती है यह तो कोर्ट के मसले हैं। एक अगर बढ़िया वकील है, अच्छी फीस लेता है तो कोर्ट को उसी तरफ मोड़ देता है, एक वकील जो अपनी बात ठीक तरह से नहीं रख पाता है, वह कोर्ट से निर्णय नहीं करा पाता है।

मान्यवर, हम वकालत नहीं कर रहे हैं, हम तो पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं। आप जज हैं और हम जनता की पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं जनता दुखी है, जनता पीड़ित है। 2006 से यहां के अनुसूचित जाति के लोग, यहां के बैकवर्ड के लोग पीड़ित हैं। उनकी पीड़ा को ध्यान में रखते हुए आप इस पर ऐसा निर्णय लें, ऐसा सरलीकरण करें जिससे कि सरकार की वाह–वाह हो जाए और उन लोगों को न्याय मिल जाएं, धन्यवाद।

श्री ओमगोपाल–

माननीय अध्यक्ष जी.....

(सत्ता पक्ष और विपक्ष के साथियों द्वारा माननीय सदस्य श्री ओमगोपाला जी से यह कहने पर कि आप अपना भाषण चश्मा पहन कर दें। श्री ओमगोपाल जी द्वारा काला चश्मा पहना गया।)

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, ओमगोपाल जी बिल्कुल ओमपुरी जैसे लग रहे हैं।

श्री ओमगोपाल–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे अनुसूचित जाति, ओ0बी0सी0 के मूल निवास प्रमाण–पत्र और जाति प्रमाण–पत्र पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, हम लोग भी चाहते हैं कि उत्तराखण्ड में रह रहे अनुसूचित जाति जनजाति व ओ0बी0सी0 के लोगों को प्रमाण–पत्र और जाति प्रमाण–पत्र मिले। हमको उन चीजों में भी जाना होगा और उन तथ्यों की ओर भी ध्यान दिलाना होगा। उत्तराखण्ड बनने के बाद यहां बहुत बड़ा जनसंख्या घनत्व हुआ है। मान्यवर, मलिन बस्तियों में काफी वृद्धि हुई है। जहां पर 100 या डेढ़ सौ आदमी निवास करते थे आज वहाँ पर आठ से दस हजार तक लोग निवास करने लगे हैं। मान्यवर, सब लोग आज मूल निवास एवं जाति प्रमाण–पत्र चाहते हैं, एक सीमा तो तय करनी ही पड़ेगी। मान्यवर, डा0 सिंघल साहब ने कहा छत्तीसगढ़ की उस बस्ती में जायेंगे और वहां के बारे में पटवारी और तहसीलदार जाकर जो पहले से निवास कर रहे हैं उन लोगों से पूछेंगे कि कब से यहां पर ये लोग निवास कर रहे हैं। मान्यवर, आज के समय में कोई मना नहीं करेगा। यदि कोई व्यक्ति वहां पर चार दिन से भी रह रहा हो तो वह पूरे मुहल्ले के लोगों से दोस्ती कर लेगा। चूंकि वहां पर वोटों की राजनीति बहुत है,क्योंकि वहां का बी0टी0सी0 मैम्बर, प्रधान और जिला पंचायत सदस्य भी लिख देगा, अगर वहां नगर निगम है तो सभासद भी लिख देगा।

मान्यवर, प्रमाण पत्र बनना चाहिए हम मना नहीं कर रहे हैं लेकिन उसमें कोई समय सीमा तय होनी चाहिए चाहे वह 30 साल या 35 साल की हो। मान्यवर, पहाड़ का मूल निवासी व्यक्ति या पहाड़ का जो अनुसूचित जाति का व्यक्ति है। चूंकि इस प्रमाण–पत्र के बनने का सीधा–सीधा सम्बन्ध रोजगार से जुड़ा हुआ है। चूंकि एक समय सीमा तय नहीं होने पर बहुत बड़ी असमानता हो जायेगी और हमारे पहाड़ के लोग इस प्रमाण पत्र से वंचित हो जायेंगे चूंकि रोजगार के लिए ओ0बी0सी0 कोटे की या अनुसूचित जाति कोटे की कुछ ही सीट होती हैं। मान्यवर, इस प्रकार से जो व्यक्ति 50 साल से रह रहा हो वह इस प्रमाण–पत्र से वंचित न हो जाय। इस प्रकार से हमें सारी चीजों को ध्यान में रखना होगा, लेकिन एक समय सीमा तो तय होनी ही चाहिए कि व्यक्ति कितने सालों से यहां पर रह रहा है।

श्री किशोर उपाध्याय–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं श्री तिलक राज बेहड़ जी और सिंघल जी का आभारी हूँ वो जो समाज का वंचित व्यक्ति है और जो अन्तिम छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति है उसका दर्द इस विधान सभा के सदन में लाये हैं। मान्यवर, इस प्रमाण–पत्र को बनाने में पर्वतीय क्षेत्र हो या हर क्षेत्र में परेशानी आ रही है। मान्यवर, एक वाकया मैं आपको सुनाता हूं,प्रमाण–पत्र कोई भी हो, चाहे वह निवास प्रमाण–पत्र, स्थायी प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति

प्रमाण पत्र हो, पिछड़ी जाति हो, मान्यवर आज की स्थिति ऐसी है कि एक लाल गांधी है उसको सुविधा शुल्क के रूप में दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष–

आपने उस समस्या के बारे में कोई बात नहीं बतायी है, इसलिए आप उस समस्या के बारे में उल्लेख करें।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, उसमें अनुसूचित जाति और सारे जाति के लोग भी हैं। मान्यवर, मैं समस्या के ही बारे में उल्लेख कर रहा हूँ। अब मेरी समझ में नहीं आया कि एक लाल गांधी क्या है तो उन्होंने कहा यह नहीं है तो दो हरे गांधी दे दो। तो मान्यवर, जिस तरह से सरकार ने प्रमाण पत्रों को बनाने में भ्रष्टाचार की हद तोड़ दी है मैं तो यह प्रस्ताव भी चाहता हूँ कि इसके साथ साथ जो नोटों पर गांधी का चित्र होता है एक संकल्प जाए कि वह चित्र हटा दिया जाए। जिससे इतने महान पुरूष का अपमान तो नहीं होगा और उस पर भगाया जाता है लटकाया जाता है।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, मैंने तो जैसे पहले भी कहा है मैं उसी बात पर बल देता हूँ।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, पहले विधान सभा की प्रवर समिति बनी थी और उसने विभिन्न प्रदेशों का दौरा भी किया था, माननीय प्रकाश पंत जी उसके अध्यक्ष थे। माननीय अध्यक्ष जी, जो विचार धारा इस हाउस में बनकर आई है आज उसको मैं संक्षिप्त में 2–3 मिनट में बताकर खत्म करूँगा। एक विचार धारा यह बनकर आई जैसे ओम गोपाल जी ने कहा कि कट आफ डेट होनी चाहिए तो 9 नवम्बर, 2000 का कट ऑफ डेट हो कि आदमी उस समय का निवासी हो, उसके बाद उससे पहले की जो स्थिति सन् 1991 की स्थिति या 1950 की स्थिति उसके लिए सरकार संकल्प के माध्यम से केन्द्र सरकार के पास जाए, सुप्रीम कोर्ट में जाए यह एक रास्ता है। और जब तक वहाँ से निर्णय नहीं आता तो जैसे मैंने पहले कहा कि दो तरह के प्रमाण पत्र अप्रजन और प्रव्रजन सरकार जारी करने का निर्णय ले और जो 1950 का एक साक्ष्य है उसमें वहाँ जो मौजूदा बुजुर्ग लोग हैं उनके साक्ष्य को, उनकी गवाही को एक साक्ष्य मानें तो मैं समझता हूँ कि सारी समस्या का करीब करीब निदान हो जायेगा। क्योंकि हम जो सुझाव दे रहे हैं वह बिल्कुल स्पष्ट संविधान की विचारधारा के अन्तर्गत दे रहे हैं तो हम यह चाहेंगे कि सरकार द्वारा जो जवाब आए वह संविधान के जो सुझाव दिए हैं उन्हीं बिन्दुओं के अनुसार हो और दूसरा आज जो इस पर एक घण्टे की चर्चा हुई जिसमें लाखों रूपया इस प्रदेश का खर्च हो रहा है और पूरे

प्रदेश का नौजवान देख रहा है कि इस चर्चा से सरकार क्या निर्णय लेने जा रही है तो सरकार इसमें कुछ निर्णय ले, वह यह न कह दे, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डाल दे। इससे काम नहीं चलेगा। सरकार इस पर निर्णय ले कि आखिरकार किस तरह से हो सकता है। जब तक निर्णय नहीं लेगी तब तक चर्चा का कोई मायने नहीं होगा।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि ओ0बी0सी0 की कट आफ डेट जैसाकि डा0 सिंघल जी ने कहा कोई नहीं है। जिस तिथि को जो जाति के लिए अधिसूचना जारी हो जाती है वही तिथि उसकी कट आफ डेट है। 23 मार्च, 1991 को जो सूची जारी हुई थी वह अलग हुई फिर जाकर सितम्बर में हुई और फिर हमारे उत्तराखण्ड में हुई। तीन जातियाँ 2003 में हमारी उथिया, बोरा और हितमारती और गोरखा। दूसरा यह कहना कि 1950 में हम जो है ओ0बी0सी0 को मान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, ओ0बी0सी0 के लिए हम कह रहे हैं कि ढाई लाख से कम की आय हो और दूसरा वह मूल निवासी हो यहाँ का।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, बात तो वही हो गयी। जब मूल निवास प्रमाण पत्र मांग रहे हैं तो फिर यही तो झगड़े की जड़ है कि जब मूल निवास प्रमाण पत्र होगा तब जाति प्रमाण पत्र मिलेगा। मूल निवास को जाति प्रमाण पत्र से क्यों जोड़ा जा रहा है?

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, यह मूल शब्द कहाँ से आ गया, सुप्रीम कोर्ट की कौन सी रूलिंग है कि मूल निवासी प्रेसिडेन्शियल नोटिफिकेशन से पहले आप देखेंगे।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, आपने सर्वदलीय समिति की बैठक की और सर्वदलीय समिति ने निर्णय लिया इस संबंध में एक्शन ईश्यू ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट इन सिड्यूल कास्ट एण्ड सिड्यूल ट्राईब इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भी लोगों ने कहा......।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, मैं ओ0बी0सी0 की बात कर रहा हूँ।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैं कह रहा हूँ कि इसकी कट ऑफ डेट नहीं है अभी, ये मैंने आपसे कह दिया है कि अभी कट ऑफ डेट नहीं किया है।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, आप मूल शब्द हटा दीजिए।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैं हटाने वाला होता तो हटा देता। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, इस विषय पर निश्चित रूप से सरकार इसकी गम्भीरता को स्वीकारती है, इसलिए आपके माध्यम से यहाँ पर समिति भी गठित की गई थी और उस समिति ने अपना अध्ययन भ्रमण भी किया, राज्यों की परिस्थितियाँ देखी और परिस्थितियाँ देखने के बाद निष्कर्ष यही निकला कि जब तक भारत सरकार के माध्यम से निर्देश न आये व्यवस्था सुधरने की स्थिति में नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

जो समिति का निर्णय था मेरे ख्याल से सर्वसम्मति का निर्णय नहीं था।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, उसको सर्वसम्मति से सदन ने स्वीकार किया था।

श्री हरिदास–

मान्यवर, आप तो झारखण्ड गये ही नहीं थे। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं सरकार की तरफ से कुछ कहना चाह रहा हूँ और आप कहने नहीं देंगे तो मैं बैठ जाऊँ। माननीय अध्यक्ष जी, इस विषय की गम्भीरता को स्वीकार करते हुये सरकार यहाँ पर सरकारी संकल्प इसके सम्बंध में भारत सरकार को इन कठिनाईयों के संबंध में अवगत कराते हुये सदन का संकल्प ले करके आयेगी। (व्यवधान)

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, आप ने पिछड़े वर्ग को नहीं जोड़ा।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, ओ0बी0सी0 के बारे में क्लियर कर दें।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, संविधान के अनुच्छेद 340, अनुच्छेद 341, अनुच्छेद 342, इन तीनों अनुच्छेदों में जो व्यवस्थायें दी हैं उससे बाहर नहीं जा सकते हैं और इसके लिए जब भारत सरकार दिशा निर्देश नहीं देगी हम कुछ कर नहीं सकते, इस दिशा निर्देश प्राप्त करने के लिए हम संकल्प लेकरके आयेंगे। (व्यवधान)

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, आप पिछड़ा वर्ग को सुन नहीं रहे हैं। मान्यवर, हम इससे संतुष्ट नहीं हैं और जिस तरह से सरकार जानबूझकर यहाँ के लोगों को जाति प्रमाण–पत्र, स्थाई प्रमाण–पत्र नहीं देना चाहती है इसलिए मैं और मेरा दल इसका बहिर्गमन करता है।

(भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य सदन से बाहर चले गये)

नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–53 के अन्तर्गत मो0 शहजाद, श्री सुरेन्द्र राकेश, श्री ओम गोपाल रावत, श्री किशोर उपाध्याय, श्री केदार सिंह रावत, श्री यशपाल बेनाम, श्री सुरेन्द्र सिंह जीना तथा श्री पुष्पेश त्रिपाठी की कुल 08 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से जनपद हरिद्वार में लदान–ढुलान के ठेके के संबंध में मो0 शहजाद की सूचना को नियम–53 के अन्तर्गत वक्तव्य के लिए तथा देहरादून शहर के अन्तर्गत पल्टन बाजार में अतिक्रमण/सड़क चौड़ीकरण में हटाये गये दुकानदारों को पुनर्वासित किये जाने के संबंध में श्री पुष्पेश त्रिपाठी की सूचना को केवल वक्तव्य के लिए और ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण कार्य में कम्पनी द्वारा घोर लापरवाही के कारण व्याप्त असंतोष के संबंध में श्री सुरेन्द्र सिंह जीना की सूचना को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार कर रहा हूँ। शेष सूचनायें अस्वीकार हुई।

(भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य सदन में आ गये)

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, मेरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था।

श्री अध्यक्ष–

कोई बात नहीं आप कल अपनी सूचना दे दीजिए। कल अंतिम दिन है तो कल सभी सूचनाएं स्वीकार हो ही जायेंगी।

राज्य में शिक्षा विभाग में कार्यरत् उत्तर प्रदेश के विकल्पधारी शिक्षकों को उनके मूल स्थान में भेजने के सम्बन्ध में श्री यशपाल बेनाम, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर शिक्षा राज्य मंत्री का वक्तव्य

विद्यालयी शिक्षा मंत्री (श्री गोविन्द सिंह बिष्ट):–

[उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम–2000 की धारा–73 के अन्तर्गत कार्मिकों के अन्तिम आवंटन का अधिकार भारत सरकार में निहित है, भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के आदेश दिनांक 11.09.2001 के प्रस्तर–(ग) में प्राविधानित है कि "जो 09 नवम्बर, 2000 से तत्काल पूर्व विद्यमान उत्तरांचल राज्य के हिल सब काडर से सम्बन्धित है या जिनकी सेवायें 09 नवम्बर, 2000 से तत्काल पूर्व विद्यमान उत्तर प्रदेश राज्य के हिल सब काडर जिलों के अन्दर सामान्यतः स्थानान्तरण हेतु अधीनस्थ है।

09 नवम्बर, 2000 को और उसके बाद उत्तरांचल राज्य की सेवा हेतु अन्तिम रूप से आवंटित किये जाते हैं।"

शिक्षा विभाग में राज्य गठन से पूर्व पर्वतीय उप संवर्ग गठित था। भारत सरकार के उपर्युक्त आदेश के अन्तर्गत शिक्षा विभाग के कार्मिक उत्तरवर्ती राज्य उत्तराखण्ड हेतु आवंटित हैं, एवं उन्हें उत्तर प्रदेश हेतु कार्यमुक्त किये जाने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है।] †

राज्य के जनपद अल्मोड़ा के देघाट नामक स्थान में निर्माणाधीन उच्च स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण की धीमी गति से उत्पन्न जनाक्रोश के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

[सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, देघाट, जनपद अल्मोड़ा के भवन निर्माण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या–47/XXVIII–5–2006–84/2005 (TC) दिनांक 15.02.06 द्वारा प्रदान की गयी थी। योजना की कुल लागत रू0 176.00 लाख थी। योजना में निम्नलिखित कार्य निष्पादित करने का प्राविधान रखा गया था:–

नोट:– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नोट– † देखिये संलग्नक नत्थी 'ग' पृष्ठ संख्या–186 पर

1. मुख्य भवन — 1 नग

2. श्रेणी–4 आवास — 4 नग

3. श्रेणी–2 आवास — 2 नग

3. श्रेणी–1 आवास — 2 नग

योजना के लिए प्रस्तावित भूमि पर विवाद होने के कारण कार्य शीघ्र प्रारम्भ नही हो सका। श्रेणी–2 के आवासों के लिए दिनांक 01.07.06 तथा मुख्य भवन हेतु दिसम्बर 2007 में भूमि उपलब्ध हो पायी। निर्माण कार्य क्रमशः अगस्त 2006 एवं दिसम्बर 2007 में प्रारम्भ हुआ।

योजना का कार्य प्रारम्भ करने हेतु उपर्युक्त शासनादेश दि0 15.02.06 द्वारा रू0 50.00 लाख, शासनादेश संख्या–150/XXVIII–5–2006–84/2005 दिनांक 20.03.07 रू0 65.00 लाख एव शासनादेश संख्या–95/XXVIII–5–2008–84/2005 दिनांक 07.02.08 द्वारा रू0 61.00 लाख इस प्रकार अब तक कुल रू0 176.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई। अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम द्वारा माह नवम्बर, 2009 तक रू0 150.00 लाख व्यय किया जा चुका है, कार्य की भौतिक प्रगति निम्नवत् है:–

- मुख्य भवन के स्ट्रक्चर का कार्य पूर्ण हो गया है जिसके प्लास्टर का कार्य प्रगति पर है।
- श्रेणी–2 के दो आवास अन्तिम स्तर पर हैं।
- श्रेणी–1 के दो आवास अन्तिम स्तर पर हैं।

दिनांक 25.02.08 से प्रभावी कुर्सी क्षेत्रफलों दरों के पुनर्निर्धारण, स्थल विकास कार्य, चाहरदीवारी, सैप्टिक टैंक, सोकपिट के कार्यों में स्वीकृत लागत से अधिक लागत आने, आवासीय भवनों के प्रथम तल हेतु फ्रेम्ड स्ट्रक्चर का प्राविधान किये जाने, चिकित्सालय भवन में उच्च विशिष्टियों, फर्शों एवं दीवारों में ग्लेज्ड टाईल लगाने के कार्यों का प्राविधान किये जाने, वाह्य जलापूर्ति कार्य का प्राविधान किये जाने, स्थल की आवश्यकतानुसार चाहरदीवारी की लागत में वृद्धि एवं वाह्य विद्युत संयोजन की लागत में वृद्धि के कारण कार्य का पुनरीक्षित प्राकलन शासन को प्राप्त हुआ है।

पुनरीक्षित प्राक्कलन पर महानिदेशक को कार्यदायी संस्था द्वारा धन उपलब्ध होने पर भी कार्य निष्पादन विलम्ब से किये जाने के कारण योजना के अवशेष कार्य को

"जहां है जैसा है" के आधार पर पृथक से कराये जाने के सम्बन्ध में विचार किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। कार्य निष्पादन में हुए विलम्ब के लिए अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल को जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है। स्वीकृत धनराशि से मुख्य भवन एवं श्रेणी (I) एवं (II) के आवासों का कार्य शीघ्र ही पूर्ण करा लिया जायेगा। वर्तमान में स्थानीय जनता को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, देघाट में तैनात दो चिकित्साधिकारियों द्वारा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।]

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते है कल पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिए।

(सदन की कार्यवाही 07 बजकर 50 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

दिनांकः– 23 दिसम्बर, 2009 महेश चन्द्र

देहरादून सचिव,

विधान सभा, उत्तराखण्ड।

नत्थी "क"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या–5 का उत्तर पीछे पृ0 सं0–33 पर)

संख्या–116 /09–XIX–2/111 खाद्य/2002

प्रेषक,

कुँवर सिंह
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

(1) आयुक्त
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग,
उत्तराखण्ड देहरादून।

(2) समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

(3) संभागीय खाद्य नियंत्रक
गढ़वाल संभाग, देहरादून/
कुमायूँ संभाग, हल्द्वानी।

(4) समस्त जिला पूर्ति अधिकारी
उत्तराखण्ड।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग–2

विषयः– लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत अन्त्योदय अन्न योजना, बी0पी0एल0 योजना एवं ए0पी0एल0 योजना में वर्ष 2009–2010 (जुलाई 2009 से मार्च 2010) हेतु खाद्यान्न का मासिक आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवर सचिव, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–1–3/2009–बीपी–III (27), दिनांक 05 जून, 2009 की छायाप्रति संलग्न कर भेजने हेतु मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि भारत सरकार द्वारा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य हेतु अन्त्योदय, बी0पी0एल0 एवं ए0पी0एल0 अन्न योजनाओं हेतु माह जुलाई, 2009 से मार्च, 2010 हेतु खाद्यान्न का आवंटन निम्नवत किया है–

माह जुलाई 2009 से मार्च 2010 हेतु अन्त्योदय एवं बी0पी0एल0 योजना में खाद्यान्न का मासिक आंवटन (मी0टन में)

व्यापार की वस्तु	ए0ए0वाई0	बी0पी0एल0	योग
चावल	3711	8095	11806
गेहूँ	1582	4043	5625
योग–	5293	12138	17431

एपी0एल0 आवंटन (तदर्थ/अतिरिक्त आवंटन को सम्मिलित करते हुये)

(मी0टन में)

व्यापार की वस्तु	सामान्य मासिक आवंटन	तदर्थ/अतिरिक्त आवंटन	योग
चावल	2324	— —	2324
गेहूँ	2766	12000	14766
योग:—	5090	12000	17090

उपर्युक्त तालिका में आवंटित खाद्यान्न गेहूँ/चावल का जनपदवार मासिक आवंटन ए0ए0 वाई0 हेतु संलग्नक–1 तथा बी0पी0एल0 हेतु संलग्नक–2 एवं ए0पी0एल0 हेतु संलग्नक–3 (I एवं II) में निर्धारित ब्रेकअप के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

2. उक्त खाद्यान्न उठान की वैधता अवधि प्रत्येक माह के आवंटन हेतु प्रथम दिन को सम्मिलित करते हुये, 50 दिन की होगी तथा माह जुलाई 2009 के खाद्यान्न उठान की वैधता अवधि भारत सरकार के पत्र जारी होने के 50 दिन तक प्रदान की गई है। निर्धारित वैधता अवधि के भीतर खाद्यान्न का उठान किये जाने के सम्बन्ध में भारत सरकार के उपर्युक्त पत्रों तथा भारत सरकार के पत्र दिनांक 21.02.2008 द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

3. सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु आवंटित की जा रही खाद्यान्न की मात्रा केवल उसी प्रयोजन के लिये वितरित की जायेगी जिस हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमति प्रदान की गई है। इसका किसी अन्य उद्देश्य एवं योजना के लिये कदापि उपयोग न किया जाय तथा खाद्यान्न का उपयोगिता प्रमाण–पत्र पी0डी0एस कंट्रोल आर्डर 2001 के अनुसार आवश्यक रूप में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

4. बी0पी0एल0 योजना के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार को 19.800 किग्रा0 गेहूँ एवं 15.200 किग्रा0 चावल एवं शेष अन्य जनपदों हेतु 10.250 किग्रा0 गेहूँ एवं 24.750 किग्रा0 चावल प्रति राशनकार्ड/प्रतिमाह उपलब्ध कराया जायेगा।

5. अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत सभी जनपदों को गेहूँ 10.460 किग्रा0 एवं चावल 24.540 किग्रा0 प्रति राशनकार्ड प्रतिमाह आवंटित किया जायेगा।

6. ए0पी0एल0 योजना के अन्तर्गत 20 किग्रा0 गेहूँ तथा 15 किग्रा0 चावल प्रति राशनकार्ड प्रतिमाह आवंटित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 371/09–XIX–2/111 खाद्य/2002 दिनांक 26 मई, 2009 के अनुसार खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित किया जायेगा तथा उक्त शासनादेश भारत सरकार द्वारा माह जुलाई, 2009 से माह मार्च, 2010

हेतु एपीएल योजना के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न की समय सीमा तक विस्तारित समझा जायेगा।

7. उपर्युक्तानुसार स्वीकृत खाद्यान्न 35.00 किग्रा० प्रतिराशन कार्ड उपर्युक्त योजनाओं में प्रतिमाह उपलब्ध कराया जायेगा।

8. स्टेटपूल में भण्डार समाप्त होने की दशा में सम्बन्धित खाद्यान्न का उठान भारतीय खाद्य निगम से किया जायेगा तथा इन योजनाओं के अन्तर्गत खाद्यान्न का उठान भारतीय खाद्य निगम से जनपदों की मांग के अनुसार ही किया जायेगा। गेहूँ एवं चावल के उठान के संबंध में संभागीय खाद्य नियंत्रक गढ़वाल/कुमाऊँ संभाग, खाद्यान्न के उठान एवं वितरण की व्यवस्था इस प्रकार करेंगे कि परिवहन दुलान में कम से कम व्यय हो।

9. वित्त नियंत्रक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग स्टेटपूल से उठाये गये खाद्यान्न का वितरण तैयार कर तत्काल प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्ताव आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के माध्यम से भारत सरकार को भेजेंगे तथा खाद्यान्न के उठान हेतु समुचित धनराशि की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

10. उपर्युक्त आवंटन के संबंध में यदि भारत सरकार द्वारा कोई अन्य निर्देश प्राप्त होंगे तो तदनुसार यथासमय इस शासनादेश में उक्त सीमा तक संशोधन किया जायेगा।

भवदीय

(कुँवर सिंह)

अपर सचिव

संख्या–116(1)/09–नपन–2/111 खाद्य/02 टीसी, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
2. अवर सचिव, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली को उनके पत्र संख्या–1–3/2009–बीपी–III(27), दिनांक 05 जून, 2009 के संदर्भ में।
3. वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. वित्त नियंत्रक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. वरिष्ठ संभागीय वित्त अधिकारी,खाद्य, गढ़वाल संभाग, देहरादून/कुमायूँ संभाग, हल्द्वानी।

6. अपर सचिव, मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड के अवलोकनार्थ
7. निजी सचिव, खाद्य मंत्री उत्तराखण्ड को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
8. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
9. समन्वयक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)

उप सचिव।

संलग्नक—1

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009—2010 हेतु चावल एवं गेहूँ का जनपदवार मासिक आवंटन

(माह जुलाई, 2009 से मार्च, 2010 तक)

शासनादेश सं0—116/09—XIX—2/111—खाद्य/02 टी0सी0, दिनांक 19 जून, 2009 का संलग्नक

अन्त्योदय योजना

गढ़वाल संभाग (मी0 टन में)

क0सं0	जनपद का नाम	चावल का मासिक आवंटन	गेहूँ का मासिक आवंटन	कुल मात्रा (35 किलो प्रतिकार्ड)
1.	देहरादून	357.637	152.480	510.117
2.	हरिद्वार	541.565	230.850	772.415
3.	पौड़ी गढ़वाल	249.146	106.230	355.376
4.	टिहरी गढ़वाल	374.693	159.740	534.433
5.	चमोली	218.667	93.220	311.887
6.	रूद्रप्रयाग	113.268	48.300	161.568
7.	उत्तरकाशी	211.919	90.340	302.259
	योग	2066.895	881.160	2948.055

कुमायूँ संभाग

8.	नैनीताल	279.036	118.970	398.006
9.	बागेश्वर	165.440	70.930	236.370
10.	पिथौरागढ़	268.263	114.360	382.623
11.	चम्पावत	145.710	62.100	207.810
12.	ऊधमसिंह नगर	424.239	180.430	604.669
13.	अल्मोड़ा	361.417	154.050	515.467
	योगः—	1644.105	700.840	2344.945
	महायोगः—	3711.000	1582.00	5293.000

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव

संलग्नक–2

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009–2010 हेतु चावल एवं गेहूँ का जनपदवार मासिक आवंटन

(माह जुलाई, 2009 से मार्च, 2010 तक)

शासनादेश सं0–116/09–XIX–2/111–खाद्य/02 टी0सी0, दिनांक 19 जून, 2009 का संलग्नक

बी0पी0एल0 योजना

गढ़वाल संभाग (मी0 टन में)

क0सं0	जनपद का नाम	चावल का मासिक आवंटन	गेहूँ का मासिक आवंटन	कुल मात्रा (35 किलो प्रतिकार्ड)
1.	देहरादून	827.185	342.535	1169.720
2.	हरिद्वार	777.530	1012.835	1790.365
3.	पौड़ी गढ़वाल	575.810	238.440	814.250
4.	टिहरी गढ़वाल	853.525	353.440	1206.965
5.	चमोली	505.785	209.445	715.230
6.	रुद्रप्रयाग	262.055	108.515	370.570
7.	उत्तरकाशी	490.210	202.990	693.200
	योग	4292.100	2468.200	6790.300

कुमायूँ संभाग

8.	नैनीताल	645.410	267.265	912.675
9.	बागेश्वर	382.720	158.485	541.205
10.	पिथौरागढ़	620.480	256.945	877.425
11.	चम्पावत	337.070	139.585	476.655
12.	ऊधमसिंह नगर	981.260	406.345	1387.605
13.	अल्मोड़ा	835.960	346.175	1182.135
	योग:–	3802.900	1574.800	5377.700
	महायोग:–	8095.000	4043.000	12138.000

(राजेन्द्र सिंह)

उप सचिव

संलग्नक-3(i)

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009–2010 हेतु चावल एवं गेहूँ का जनपदवार मासिक आवंटन

(माह जुलाई, 2009 से मार्च, 2010 तक)

शासनादेश सं0–116/09–XIX–2/111–खाद्य/02 टी0सी0, दिनाक 19 जून, 2009 का संलग्नक

ए0पी0एल0 योजना

गढ़वाल संभाग (मी0 टन में)

क0सं0	जनपद का नाम	चावल का मासिक आवंटन	गेहूँ का मासिक आवंटन	कुल मात्रा (35 किलो प्रतिकार्ड)
1.	देहरादून	426.50	507.70	934.20
2.	हरिद्वार	374.80	445.40	820.20
3.	पौड़ी गढ़वाल	214.90	255.80	470.70
4.	टिहरी गढ़वाल	135.60	161.40	297.00
5.	चमोली	75.00	88.70	163.70
6.	रुद्रप्रयाग	54.00	65.20	119.20
7.	उत्तरकाशी	56.70	67.30	124.30
	योग	1337.50	1591.50	2929.00

कुमायूँ संभाग

8.	नैनीताल	257.40	306.50	563.90
9.	बागेश्वर	51.53	61.10	112.40
10.	पिथौरागढ़	97.80	116.40	214.20
11.	चम्पावत	48.60	57.90	106.50
12.	ऊधमसिंह नगर	384.30	457.50	841.80
13.	अल्मोड़ा	147.10	175.10	322.20
	योगः–	986.50	1174.50	2161.00
	महायोगः–	2324.00	2766.00	5090.00

(राजेन्द्र सिंह)

उप सचिव

संलग्नक–3(II)

वर्ष 2009–10 में माह जुलाई, 2009 से मार्च, 2010 हेतु तदर्थ/अतिरिक्त एoपीoएलo गेहूँ का माहवार/जनपदवार आवंटन

शासनादेश सं0–116/09–XX–2/111–खाद्य/02 टी0सी0, दिनांक 19 जून, 2009 का संलग्नक

ए0पी0एल0 योजना

गढ़वाल संभाग

(मी0 टन में)

क0सं0	जनपद का नाम	गेहूँ का मासिक आवंटन
1.	देहरादून	2000.000
2.	हरिद्वार	800.000
3.	पौड़ी गढ़वाल	1896.000
4.	टिहरी गढ़वाल	1196.000
5.	चमोली	643.000
6.	रूद्रप्रयाग	476.000
7.	उत्तरकाशी	491.000
	योग	7304.000

कुमायूँ संभाग

8.	नैनीताल	1200.000
9.	बागेश्वर	454.000
10.	पिथौरागढ़	865.000
11.	चम्पावत	429.000
12.	ऊधमसिंह नगर	450.000
13.	अल्मोड़ा	1298.000
	योग:–	4696.000
	महायोग:–	12000.000

(राजेन्द्र सिंह)

उप सचिव

नत्थी "ख"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या–2 का उत्तर पीछे पृ0संख्या–40 पर)

गंगोत्री एवं यमुनोत्री में जारी विशेष परमिट/उचित दर विक्रेताओं को पूरे यात्राकाल में आवंटित मिटटी तेल का विवरण

क0स0	सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता का नाम व पता गंगोत्री	आवंटित मिटटी तेल (लीटर में)
1	2	3
1	श्री अतर सिंह एफ0पी0एस0 गंगोत्री	3960
2	श्री सुमेश चन्द, एफ0पी0एस0 गंगोत्री	3960
3	श्री विजयपाल मखलोग एफ0पी0एस0 गंगोत्री	3960
4	श्री जगेन्द सिंह एफ0पी0एस0 गंगोत्री	3960
5	श्री रायसिंह एफ0पी0एस0 गंगोत्री	3960
6	श्री नरेन्द्र सिंह एफ0पी0एस0 गंगोत्री	3960
7	श्री देवेन्द्र सिंह एफ0पी0एस0 गंगोत्री	3960
8	श्री भवान सिंह एफ0पी0एस0 गंगोत्री	3960
9	श्री गिरवीर सिंह एफ0पी0एस0 गंगोत्री	3960
10	श्री विक्रम सिंह एफ0पी0एस0 गंगोत्री	3960
11	सचिव पाँच मन्दिर गंगोत्री	9000
12	ईशावास्यम आश्रम, गंगोत्री	7200
13	हरीश सेमवाल,कीर्तिलो गंगोत्री	600
14	श्री सुरेश सेमवाल,मनीष गेस्ट हाउस गंगोत्री	600
15	जयपुर धर्मशाला गंगोत्री	300
16	चन्द्रलोक आश्रम गंगोत्री	300
17	लाल बाबा आश्रम गंगोत्री	1320
18	योग निकेतन ट्रस्ट गंगोत्री	300
19	प्रभारी पर्यटन आवास गृह भोजवासी गंगोत्री भोजवासा लंका भैरवघाटी भटवाडी	3480
20	कैलाश संगम योग इन्स्ट्रयट गंगोत्री	300
21	बिरला मंगल निकेतन	300
22	तपस्विता सेवा सदन	300
23	श्री राम बाबा भोजवासा	300
24	सुमानन्द आश्रम, गौरी कुण्ड गंगोत्री	300
25	सुदर्शन सेवा सदन गंगोत्री	300
	योग	64500

(देखिये वक्तव्य का नत्थी 'ग' पृ0सं0–153 पर)

सं0–27/9/2001–एस0आर0(एस)

भारत सरकार

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

लोक नायक भवन, तीसरा तल,
खान मार्केट, नई दिल्ली 110 003
दिनांक: 11.09.2001

आदेश

उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा (76) के उपखण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि वे सभी अधिकारी और कर्मचारी:

(क) जिनका उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा (73) में विनिर्दिष्ट 13 जिलों में से एक जिला स्तर अधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी है और जो दिनांक 9 नवम्बर, 2000 को और उसके बाद उत्तरांचल राज्य में आते है अथवा जिनकी सेवाऐं उपरिनिर्दिष्ट जिला क्षेत्रों के भीतर सामान्यतः स्थानांतरण हेतु अधीनस्थ है अथवा

(ख) जिनका नियुक्ति प्राधिकारी, दिनांक 9 नवम्बर, 2000 को और उसके बाद उत्तरांचल राज्य के गढ़वाल और कुमाऊँ डिवीजन का एक प्रभागीय स्तर का अधिकारी है अथवा जिनकी सेवाऐं उपर्युक्त डिवीजन क्षेत्रों के अन्दर सामान्यतः स्थानातरण हेतु अधीनस्थ है अथवा

(ग) जो 9 नवम्बर, 2000 से तत्काल पूर्व विद्यमान उत्तरांचल राज्य के हिल सब काडर से सम्बन्धित है या जिनकी सेवाए 9 नवम्बर, 2000 से तत्काल पूर्व विद्यमान उत्तर प्रदेश राज्य के हिल सब काडर जिलों के अन्दर सामान्यतः स्थानांतरण हेतु अधीनस्थ है अथवा

(घ) जो दिनांक 9 नवम्बर, 2000 को और उसके बाद उत्तरांचल राज्य के राज्य क्षेत्र के भाग में विशेष परियोजना अथवा उपक्रम हेतु नियुक्त है और जिनकी सेवाऐं 9 नवम्बर, 2000 को और उसके बाद उत्तरांचल राज्य के राज्यक्षेत्र के भाग भौगोलिक क्षेत्र के बाहर सामान्यतः स्थानांतरण योग्य नहीं है,

9 नवम्बर, 2000 को और उसके बाद उत्तरांचल राज्य की सेवा हेतु अंतिम, रूप से आवंटित किये जाते है।

(आर0आर0 प्रसाद)
निदेशक (रा0पु0)

प्रतिलिपि:–

1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
2. मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन, देहरादून, उत्तरांचल।
3. संयुक्त सचिव (के0से0) गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 10 विधान सभा/181–18–8–2012–200 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।

क्र0सं0	सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता का नाम व पता यमुनोत्री	आवंटित मिटटी तेल (लीटर में)
1	2	3
1	श्री अनिल सिंह चौहान एफ0पी0एस0 डामटा	3960
2	श्री शशिमोहन सिंह राणा एफ0पी0एस0 नौगांव	3960
3	श्री विनोद कुमार बहुगुणा एफ0पी0एस0 बडकोट	3960
4	श्री राजेश नेगी एफ0पी0एस0 बडकोट	3960
5	श्री हरदेव सिंह एफ0पी0एस0 खदारी	3960
6	श्री जबर सिंह एफ0पी0एस0 स्यानाचटटी	3960
7	श्री संजय सिंह एफ0पी0एस0 रानाचटटी	3960
8	श्री बचन सिंह एफ0पी0एस0 हनुमान चट्टी	3960
9	श्री प्यारे लाल उनियाल एफ0पी0एस0 खरसाली	3960
10	सचिव, पाँच मन्दिर समिति यमुनोत्री	600
11	श्री जानकी धर्मशाला, जानकीचट्टी	600
12	महात्माराम मरोजदास श्री हनुमान मन्दिर यमुनोत्री	1320
13	श्री राम कृष्ण दास त्यागी, श्री राम मन्दिर यमुनोत्री	600
	योग	38760